# अध्याय–10
# पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
# Animal Husbandary, Dairy Development and Fisheries

राष्ट्रीय तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेरी उत्पाद तथा मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार होने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की आजीविका का कृषि क्षेत्र के साथ सहायक स्रोत है। कृषि क्षेत्र ग्रामीण परिवारों के लिए भोजन का आधार है तो सहायक गतिविधियॉ लोगों की आय सृजन का माध्यम है। यह आय लोगों में क्रय शक्ति का वर्धन करती है जो उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादो हेतु मॉग का सृजन करती है। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 14 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते है जिनमें से अधिकांश का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। यद्यपि कृषि क्षेत्र में बढ़ते मशीनीकरण के कारण पशुओं विशेषकर बैल का महत्व कम हुआ है, परन्तु पर्वतीय जनपदों में छोटे खेत तथा जैविक कृषि के दृष्टिगत इनका महत्व बना हुआ है।

## 10.1 पशुपालन (Animal Husbandary)

### 10.1.1. वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी योजनाओं का विवरण–

गाय एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बछिया ही उत्पन्न किये जाने हेतु ऋषिकेश में सैक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है जिसके द्वारा मार्च 2019 से अभी तक 3.36 लाख सैक्स सॉर्टेड सीमेन स्ट्रा का उत्पादन किया जा चुका है। वर्ष 2020–21 में निर्धारित 3.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 0.88 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये। इससे 2414 संतति उत्पन्न हुई, जिसमे 2308 संतति मादा है। इस प्रकार कुल उत्पन्न संतति में मादा संतति का प्रतिशत 95.61 रहा है।

**10.1.2. कोविड–19 के अन्तर्गत विभागीय कार्यों में विशेष प्रयासों का विवरण**– वैश्विक महामारी (कोविड–19) के कारण लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 25 जून, 2020 तक):–

- राज्यस्तर पर कट्रोल रूम बनाकर नोडल अधिकारी की तैनाती की गई।
- दूरभाष पर प्राप्त 10,488 समस्याओं (पशु चिकित्सा आदि) का निस्तारण किया गया।
- पशु आहार यथा– कैटल फीड, हरा चारा, भूसा आदि के रेट कन्ट्रोल किये गये।
- 67874 काम्पैक्ट फीड ब्लाक का पशुओं के चारे हेतु वितरण किया गया।
- निराश्रित श्वान (Dogs) पशुओं हेतु 1.97 लाख भोजन पैकेट (रोटी, ब्रेड) की व्यवस्था की गई।
- निराश्रित बडे पशुओ हेतु 1.51 लाख पशु आहार (भूसा, चारा) की व्यवस्था की गई।

**10.1.3 स्वरोजगारपरक योजनायें**– वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण–

**1– महिला बकरी पालन योजना**– महिला परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जाने एक इकाई जिसमें 03 बकरी एवं एक बकरा 100 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष

2020–21 में कुल 358 महिला हितग्राही लाभान्वित किये जाने हेतु चयनित हैं।

**2– गौ पालन योजना**– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सृदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु चतुर्थ व्यात या इससे कम व्यात की दुधारू गाय की इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2020–21 में कुल 674 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर के अन्त तक अवमुक्त धनराशि ₹ 121.32 लाख के सापेक्ष ₹ 73.44 लाख व्यय की गई।

**3– भेड़ पालन योजना**– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सृदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 भेड़ एवं 01 मेढा की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2020–21 में कुल 148 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर के अन्त तक अवमुक्त धनराशि ₹ 46.62 लाख के सापेक्ष ₹ 10.71 लाख व्यय की गई।

**4.– बकरी पालन योजना**– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सृदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 बकरियों एवं 01 बकरे की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में कुल 517 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर के अन्त तक अवमुक्त धनराशि ₹ 162.85 लाख के सापेक्ष ₹ 95.76 लाख व्यय की गई।

**5– कुक्कुट पालन योजना**– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर 50–50 एक दिवसीय चूजों की यूनिट निःशुल्क स्थापित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 50 एक दिवसीय चूज़ें, 1 माह का राशन व जाली निःशुल्क दी जाती है। वर्ष 2020–21 में कुल 1619 इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

**10.1.4. वर्ष 2020–21 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासो का विवरण–**

**1–टोल फ्री नम्बर– पशुपालकों की सुविधा हेतु पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से टोल फ्री नम्बर (1800–120–8862) प्रारम्भ किया गया है।**

**2– राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम**– वर्ष 2020–21 में 27.18 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में खुरपका मुहपका रोग के नियन्त्रण हेतु टीकाकरण के पूर्व 20.45 लाख पशुओं की ईयर टैगिग की गई है तथा 23 सितम्बर, 2020 से वर्तमान तक कुल 20.19 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है।

**3– पशुधन बीमा योजना**– नेशनल लाईवस्टॉक मिशन रिस्क मेनेजमेन्ट एण्ड इंश्योरेंस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पशुधन बीमा योजना का संचालन ओरियन्टल इंश्योंरेस कम्पनी, देहरादून एवं हिन्दुस्तान इंश्योंरेस ब्रोकर लि0 नई दिल्ली के साथ किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 तक के लिए निर्धारित 1.00 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक हजार पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

**4– पशु प्रजनन फार्म कालसी**– पशु प्रजनन फार्म, कालसी में 565 गौवंशीय पशुओं (425 गाय, बछिया एवं 140 सांड़/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा

है। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

**5– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव**– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत मे 337 बद्री नस्ल के गौवंशीय पशुओं (275 गाय, बछिया एवं 62 सांड/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। फार्म में बद्री नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अतिहिमीकृत वीर्य एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है।

**6– भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड को ब्राजील से रेड सिन्धी व गिर पशुओं के जर्मप्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।**

**7– भेड़–बकरी विकास कार्यक्रम**– भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर मेढ़े क्रय किये गये है तथा गत वर्ष माह दिसम्बर 2019 में आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 77 Pure line एवं 284 Cross line उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई है। आयातित मैरीनों के जर्म प्लाज्म को शीघ्रता से व्यापक स्तर पर राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ो में प्रसारित करने के उद्देश्य से भेड़ों में Heat Synchronization and Artificial Insemination योजना प्रारम्भ की गयी है। नेशनल लाईवस्टाक मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर के अन्त तक अवमुक्त धनराशि ₹ 1050 लाख के सापेक्ष ₹ 384.27 लाख व्यय की गई।

**8– सहकारिता के माध्यम से राज्य के भेड़/बकरी विकास**– राज्य के 10000 से अधिक भेड़/बकरी पालकों, जिनमे 7000 से अधिक महिला पशुपालक है को प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में संगठित करते हुये बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्यों के साथ Contractual Farming and Buy Back अनुबन्ध पर बकरियां क्रय कर मीट उपभोगताओं को उच्च गुणवत्ता का स्वच्छ, स्वस्थ Himalayan Goat Meat-BAKRAW उपलब्ध कराया जा रहा है।

**9– ऊन ग्रोथ योजना के माध्यम से ऊन विकास**– राज्य के 10 सीमान्त पर्वतीय भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन ग्रोथ सेन्टर स्थापित कर भेड पालको को मशीन शियरिंग, ऊन की ग्रेडिंग, गुणवत्ता की जांच एवं ऊन जैविक प्रमाणिकरण का प्रयास कर ऊन उत्पादकों की आजीविका में सुधार लाया जा रहा है।

**10– कुक्कुट विकास**– वर्ष 2020–21 में 06 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर क्रायलर चूजों का उत्पादन कर 7.84 लाख चूजे कुक्कुट पालकों को वितरित किया जा चुके है।

**11– मदर पोल्ट्री योजना**– वर्ष 2017–18 से वर्तमान तक 39 मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना की जा चुकी है (प्रत्येक जनपद में 03) व वर्तमान तक कुल 1.54 लाख एक माह के चूजे कृषकों को आवंटित किए जा चुके है।

**12– इनोवेटिव कुक्कुट विकास योजना**– भारत सरकार के सहयोग से जनपद अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं टिहरी में इनोवेटिव कुक्कुट विकास योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 02 विकासखण्डों के 200–200 कृषकों को 200–200 एक माह आयु के कुक्कुट पक्षी प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है एवं वर्तमान

तक 1.50 लाख एक माह के चूजे कृषकों को आवंटित किए जा चुके है।

**13– गोसदनों की स्थापना:** 'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के अनुरुप वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में 32 मान्यता प्रदत्त गोसदन हैं। इन गोसदनों को अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु मान्यता दी गयी है। सभी मान्यता प्रदत्त गोसदनों को वार्षिक राजकीय अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर के अन्त तक अवमुक्त धनराशि ₹ 226.84 लाख के सापेक्ष ₹ 221.44 लाख व्यय की गई।

तालिका 10.1
उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2019 की पशुगणना का वर्ष 2012 की पशुगणना से तुलनात्मक विवरण

| क0सं0 | पशुओ का वर्ग | पशुगणना 2012 उत्तराखण्ड | पशुगणना 2019 उत्तराखण्ड | %वृद्धि / ह्रास उत्तराखण्ड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कासब्रीड गोवंशीय | 497592 | 576820 | 15.92 |
| 2 | स्वदेशी गोवंशीय | 1508461 | 1275303 | -15.46 |
| 3 | कुल गोवंशीय | 2006053 | 1852123 | -7.67 |
| 4 | महिषवंशीय | 987775 | 866318 | -12.30 |
| 5 | कुल गोवंशीय तथा महिषवंशीय | 2993828 | 2718441 | -9.20 |
| 6 | भेड़ | 368756 | 284615 | -22.82 |
| 7 | बकरी | 1367413 | 1371971 | 0.33 |
| 8 | सूकर | 19907 | 17659 | -11.29 |
| 9 | कुल कुक्कुट | 4641937 | 5018684 | 8.12 |

स्रोतः पशुगणना 2019

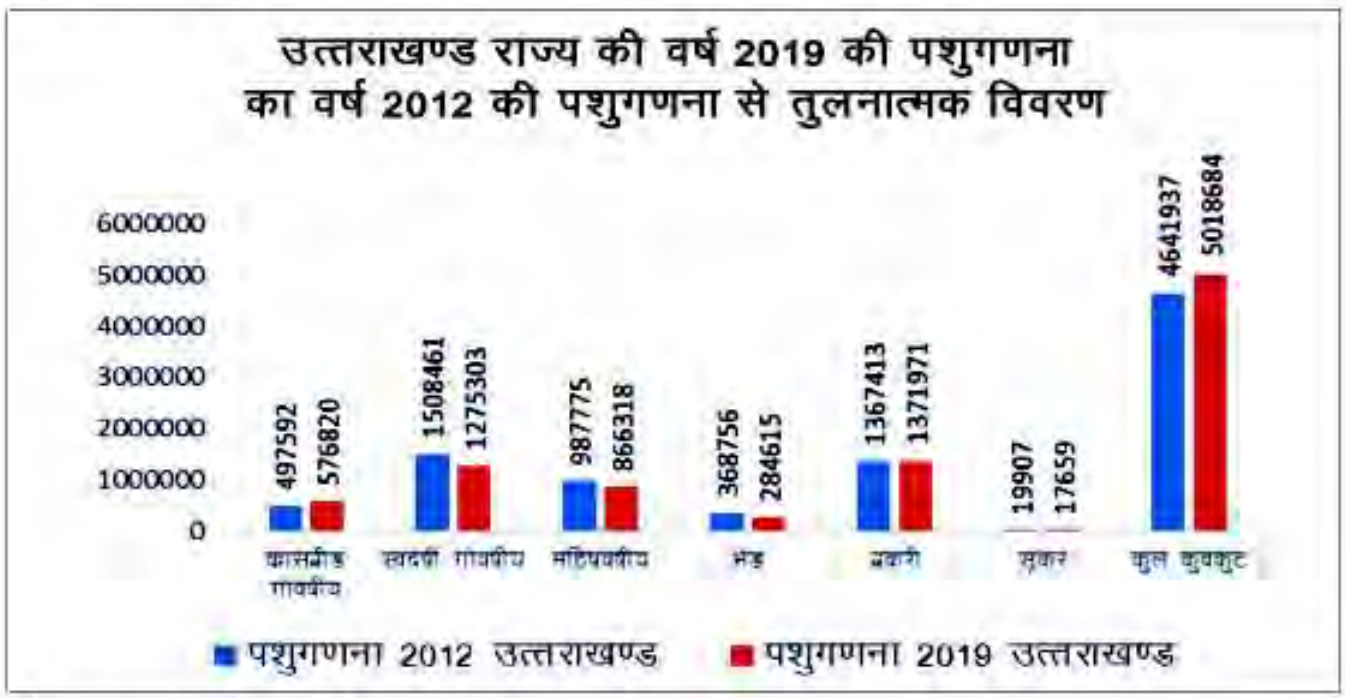


स्रोतः पशुगणना 19वीं तथा 20वीं।

20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है।

**10.1.5. उत्तराखण्ड के मुख्य पशुधन उत्पादन**– वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 4.541 कि0ग्रा0 हो गया है। वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस से बढकर वर्ष 2019–20 में 4.737 कि0ग्रा0 हो गया है। सरकार द्वारा संचालित रोग नियंत्रण तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम का पशु उत्पादकता की वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव पडा है। वर्ष 2011–12 में प्रति भेड़ वार्षिक ऊन के उत्पादन 1.446 कि0ग्रा0 से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 1.574 कि0ग्रा0 हो गया।

## पशुपालन व्यवसाय में सफल प्रयोग

जनपद देहरादून में अग्रणी तथा प्रगतिशील डेयरी कृषक श्री ललित बाड़ाकोटी, पुत्र स्व श्री रामदयाल बाड़ाकोटी वर्तमान में कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनकी डेयरी का नाम सिद्धार्थ डेयरी जो इण्टर कालेज रोड़ बालावाला, देहरादून में स्थित है। इनके पास कुल 15 पशु है जिनमें उच्च कोटी की 07 गाय, 07 बछडियां तथा 01 बछडा है। दुग्ध उत्पादन कुल 85 कि0ग्रा0 है। डेयरी उद्यम के साथ–साथ श्री बाडाकोटी जी सब्जी उत्पादन, चारा उत्पादन वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इत्यादि के कार्य करते है। श्री बाडाकोटी जी ने बालावाला क्षेत्र में ही 22 बीघा जमीन भी लीज पर ली है, जिसमें वे चारा उत्पादन व सब्जी उत्पादन का कार्य कर रहे है। वे स्वंय के उपयोग के लिए चारा उत्पादन करते ही है, साथ–साथ आस–पास के डेयरी कृषकों को भी चारा उपलब्ध कराते है। श्री ललित जी ने कोविड 19 संक्रमण काल के लॉकडाउन के दौरान कई व्यक्तियों में डेयरी व्यवसाय हेतु प्रेरित कर रहें हैं। लॉकडाउन के समय लगभग 12 विदेशी प्रवासियों को तथा विभिन्न जनपदों के 250 उत्तराखण्ड़ प्रवासियों को डेयरी उद्यम शुरू करने में मदद की। इनके द्वारा बालावाला क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय डेयरी कृषक स्वंय सहायता समूह भी गठन किया गया है। जिसमें समूह के सदस्यों द्वारा अभी तक कुल 10 लाख रू0 जमा किये जा चुके है। ऐसे पशु जो बीमारी के कारण खडे नही हो पाते, उनके लिए स्वंय सहायता समूह के माध्यम से 02 पशु लिफ्ट मशीने भी खरीदी गयी है, जिसमें कई पशुओं की जाने बचायी जा चुकी है। **श्री ललित बाड़ाकोटी उत्तराखण्ड़ के प्रथम पशुपालक है, जिन्हे डेयरी उद्यम के अन्तर्गत प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। इनके अथक प्रयासो से सम्भव हुआ है कि डेयरी उद्यम में कार्यरत कृषकों को 600 यूनिट बिजली तक घरेलु रेट पर बिल जमा करना होगा जो पहले व्यवसायिक रेट पर जमा करना होता था।**

## 10.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT):-

**भूमिकाः–**

दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए, उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दूध की वर्ष पर्यन्त उचित दर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दुग्ध पदार्थो "आँचल ब्राण्ड" की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में माह दिसम्बर, 2020 तक औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन 1.62 लाख कि0ग्रा0 तथा औसत तरल दुग्ध बिक्री 1.63 लाख प्रतिदिन है। दुग्ध उत्पादन में सतत वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशुस्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

**10.2.1** डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का विवरणः–

**(क) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)**– दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु इच्छुक दुग्ध उत्पादक सदस्यों को यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक ब्रिकी के प्रस्तावित मूल्य में से प्रति तीन किलोग्राम पर ₹ 45/– दिया जायेगा।

**(ख) मिनरल मिक्सचरः**– दुधारू पशुओं में कम दुग्ध उत्पादन तथा बांझपन एक गम्भीर समस्या है। इसके निराकरण हेतु दुधारू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में मिनरल की आवश्यकता होती है। इसे दृष्टिगत् रखते हुए दुग्ध उत्पादकों मिनिरल मिक्सचर के प्रस्तावित मूल्य में से प्रति किलोग्राम ₹ 30.00 अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

**(ग) संतुलित पशुआहार अनुदान**– उत्तराखण्ड में चारे की कमी के कारण दुधारू पशुओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, जिससे दुग्ध उत्पादन कम रहता है। इस समस्या के समाधान हेतु दुग्ध उत्पादकों को अपने पशुओं को संतुलित आहार दिये जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैदानी क्षेत्र ₹ 2.00 प्रति कि0ग्रा0 तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 4.00 प्रति कि0ग्रा0 का अनुदान दिया जाता है। इसी तरह कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक हेतु दुग्ध उत्पादक को मैदानी क्षेत्र ₹ 1.00 प्रति कि0ग्रा0 तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 3.00 प्रति कि0ग्रा0 का अनुदान दिया जाता है।

**(घ) पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को साईलेज अनुदानः**– पर्वतीय क्षेत्रों में, हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण दुधारू पशुओं को निर्धारित मात्रा हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस हेतु दुग्ध उत्पादकों को रियायती दरों पर वैक्यूम पैक्ड साईलेज उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। वैक्यूम पैक्ड साईलेज हेतु दुग्ध उत्पादकों को निम्न अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा– पर्वतीय क्षेत्र हेतु ₹ 4.00 प्रति कि0ग्रा0।

**(ड़) हैडलोड अनुदानः**– दुग्ध उत्पादन को रोड़ हेड तक पहुंचाने हेतु उन दुग्ध समितियों को जिनके दुध में 11 प्रतिशत या इससे अधिक कुल ठोस (Total Solid) उपलब्ध होता है, उनके लिए मैदानी क्षेत्र में 25 पैसा प्रति लीटर प्रति कि0मी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 पैसा प्रति लीटर प्रति कि0मी0 का हैडलोड अनुदान दिया जाता है।

**10.2.2 डेरी विकास की मुख्य योजनायेंः–**

**(क) महिला डेरी विकास योजनाः**– प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु आय–व्यय

जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। राज्य में दिसम्बर, 2020 तक 1200 महिला डेरी समितियाँ संचालित है जिनमें 43692 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी हो रही है।

**(ख) दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना:–** प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत Solid Not Fat-S.N.F. अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में ₹ 1100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

**(ग) गंगा गाय महिला डेरी योजना:–** गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 600.00 लाख को बजट प्राविधान किया गया है, जिससे 6500 पशुक्रय किये जायेंगे। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी को पशुनाद के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशु बीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। प्रत्येक पात्र हितग्राही हेतु कुल लागत ₹ 52,000 निर्धारित है, जिसमें से ₹ 27,000 अनुदान, ₹ 20,000 ऋण तथा ₹ 5,000 लाभार्थी का अंशदान शामिल है।

उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सभी 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 निबन्धित किये गये हैं। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीयत एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का भी गठन किया गया हैं।

**10.2.3 डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियां एक दृष्टि में:–**

- मिल्क फोर्टीफिकेशन के अन्तर्गत तरल दुग्ध विटामिन ए और डी मिलाया जाता है, इससे दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
- 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।
- 11 दुग्धशालाऐं, जिनकी दैनिक क्षमता 2.70 लाख लीटर प्रतिदिन ।
- 45 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 100 मै0टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला।
- 164 दुग्ध मार्गों पर 4188 दुग्ध सहकारी समितियां गठित।
- माह दिसम्बर, 2020 तक 1,58, 588 दुग्ध उत्पादक सदस्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी।
- माह दिसम्बर, 2020 तक 1200 महिला डेरी समितियों में 43692 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी।
- माह दिसम्बर, 2020 तक औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 1,62,390 किलोग्राम प्रतिदिन।
- माह दिसम्बर, 2020 तक औसत तरल दुग्ध बिक्री 1,63, 099 लीटर प्रतिदिन।
- माह दिसम्बर, 2020 में पशुआहार विक्रय 940 मै0टन।
- प्रति समिति दैनिक औसत दुग्ध उपार्जन 71.51 ली0।
- दैनिक नगरीय दुग्ध विक्रय ली0 1,56,709
- प्राथमिक पशुचिकित्सा संख्या / डिवर्मिंग 4801 / 12750

## 10.3 मत्स्य (Fisheries):—

मात्स्यिकी क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ–साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि और भलाई में योगदान दे रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वन एवं जल मुख्य जल संसाधन है। जल का उपयोग जहाँ एक ओर मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल के उपयोग में किया जा रहा है वही दूसरी तरफ जल आधारित मात्स्यिकी विकास कार्यों हेतु सम्भावनाओं से भरा पड़ा है। राज्य में मछली पालन एवं इससे जुड़े अन्य व्यवसाय जनमानस के मध्य एक बेहतर व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुके है एवं इस क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत व्यक्तियो का रूझान मात्स्यिकी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। जनमानस को मात्स्यिकी क्षेत्र से जोड़े जाने हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा जिला सेक्टर में 01, राज्य सेक्टर अन्तर्गत 08 जबकि केन्द्र सेक्टर में 17 अर्थात कुल 26 योजनायें संचालित की जा रही है,

### मत्स्य विकास–एक दृष्टि

| क्र0 स0 | मद | इकाई | संख्या / उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | आच्छादित जनपद | संख्या | 13 |
| 2. | मत्स्य प्रक्षेत्र / हैचरियॉ केन्द्र | संख्या | 12 |
| 3. | राज्य स्तरीय कार्प ब्रूड बैंक | संख्या | 01 |
| 4. | राज्य स्तरीय ट्राउट ब्रूड बैंक | संख्या | 01 (निर्माणाधीन) |
| 5. | मत्स्य आहार फीड मिल | संख्या | 03 |
| 6. | मत्स्य पालक विकास अभिकरण | संख्या | 01 |
| 7. | राज्य स्तरीय ट्राउट फेडरेशन | संख्या | 01 |
| 8. | जनपद स्तरीय फेडरेशन | संख्या | 01 |
| 9. | मत्स्य सहकारी समितियाँ | संख्या | 60 |
| 10. | नदियों की लम्बाई | कि0मी0 | 2686 |
| 11. | वृहद जलाशय | संख्या<br>हैक्टेयर | 07<br>20587 |
| 12. | झील | संख्या<br>हैक्टयर | 31<br>297 |
| 13. | ग्राम समाज एवं राजस्व के तालाब / पोखर / निजी ता लाब | हैक्टेयर | 863 |
| 14. | ट्राउट रेसवेज | हैक्टेयर | 340 |
| 15. | नदियों में संरक्षण, संवर्द्धन एवं एंग्लिग हेतु क्रियाशील बीट | संख्या | 51 |
| 16. | मत्स्य उत्पादन प्रतिवर्ष अनुमानित | मैटिक टन | 5300 |
| 17. | मत्स्य पालन में संलिप्त व्यक्ति | संख्या | 9929 |

**10.3.1. वर्ष 2020–21 में मात्स्यिकी की नवोन्मेषी (Innovative) योजनाः–** मात्स्यिकी क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु ''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना'' प्रारम्भ की गयी है, जिसको राज्य में भी संचालित किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु राज्य में कुल धनराशि ₹ 43.10 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये है जिसमें नवोन्मेषी कार्य के रूप में 26 बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम की स्थापना एवं प्रसंस्करण कार्यो हेतु 19 कियॉस्को की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला सैक्टर की योजनाओं में लाभार्थियों को मत्स्य पालन हेतु अनुदानित दरों पर मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाना आरम्भ किया गया है। राजकीय क्षेत्र में सीमित संसाधन होने के कारण ट्राउट मत्स्य बीज की उपलब्धता भी गत वर्षो में सीमित रही है, जिसके निराकरण हेतु नवोन्मेषी कार्य के रूप में ''राज्य कृषि विकास योजना'' के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में लघु हैचरी की स्थापना कराते हुए ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन के कार्य प्रारम्भ कराये गये है।

**कोविड–19 के अन्तर्गत विभागीय कार्यो में विशेष प्रयास का विवरण–** जनपद स्तर पर मत्स्य पालको की समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नामित किये गये तथा साथ ही मत्स्य पालको की विभिन्न आवश्यकताओं यथा मत्स्य आहार आदि के दृष्टिगत मत्स्य पालकों को सक्रिय रूप से Whatsapp ग्रुप से जोड़ा गया।

**कोविड–19 के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर रिवर्स पलायन के अन्तर्गत लौटे गये प्रवासियो हेतु किये गये विशेष प्रयासों का विवरण–** कोविड–19 के कारण राज्य में रिवर्स पलायन के अन्तर्गत लौटे गये प्रवासियो हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओ में वर्ष अन्तर्गत 117 व्यक्तियो को मात्स्यिकी क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त किये जाने हेतु चयनित किया गया है। आगामी वर्ष में अधिक से अधिक प्रवासियो को मात्स्यिकी क्षेत्र से जोड़ा जायेगा।

**वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण–** वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानो से लगभग 835 प्रत्यक्ष जबकि 2585 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगें।

**वर्ष 2020–21 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों तथा तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and innovations) हेतु किये गये प्रयास**

- राज्य में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को सहकारिता के माध्यम से विस्तारित कर मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्वि हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना के अन्तर्गत मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न परियोजनायें जिनकी कुल लागत ₹ 164.49 करोड़ है जिसका संचालन प्रारम्भ कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के बेहतरीन अवसर सृजित करने हेतु कलस्टर आधारित ''ट्राउट फार्मिंग परियोजना'' संचालित की जा रही है जबकि राज्य के मैदानी

जनपद हरिद्वार में निर्बल मछुवा समुदाय की समितियों एवं व्यक्तियों को सशक्त किये जाने हेतु मेजर कार्प फार्मिंग, पंगेशियस फार्मिंग, समन्वित मत्स्य पालन, प्रदूषण मुक्त तालाब जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

- ट्राउट मात्स्यिकी के समुचित विकास, उत्पादकता वृद्वि, बैकवर्ड एवं फारवर्ड मार्केट लिकेंज आदि हेतु समितियों को संयुक्त उद्यम (जे०वी०) से जोड़ा जा रहा है।
- नाबार्ड वित्त पोषित योजना के माध्यम से जनपद बागेश्वर में नवीन ट्राउट हैचरी की स्थापना की जा रही है।
- एंग्लिंग से पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद पौड़ी अन्तर्गत दिनांक 19.11.2020 से 22.11.2020 तक प्रथम एंग्लिंग महोत्सव आयोजित किया गया जिसमें लगभग देश एवं विदेश से कल 21 एंग्लर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया जिससे स्थानीय व्यक्तियो में एंग्लिंग से रोजगार एवं नदियो में मात्स्यिकी संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न हुयी।
- विलुप्त हो रहे ग्राम समाज के तालाबो को पुर्नजीवित किये जाने हेतु अभिलेखो अनुसार तालाबो का सीमांकन कराते हुए तालाबो का जीर्णोद्वार किया गया।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन हेतु नवीनतम तकनीकी आधारित गतिविधि के रूप में कुल 40 आर०ए०एस० एवं बायोफ्लॉक यूनिटो की स्थापना की जा रही है।
- जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फैडरेशन लि० हरिद्वार के माध्यम से हिमालयन मछली के स्वच्छ विपणन हेतु "उत्तराफिश" ब्रॉण्ड अन्तर्गत प्रथम आउटलेट की स्थापना जनपद देहरादून में की गयी जो एक ओर मत्स्य पालको को उनकी मछलियो के उचित मूल्य उपलब्ध कराने मे सहायक है वहीं दूसरी ओर ग्राहको को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रेजरवेटिव रहित मछली की उपलब्धता भी सुनिश्चितता कर रहा है।
- राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में हैचिंग ट्रे एवं ट्रफ की उपलब्धता कराते हुए ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन के कार्य प्रारम्भ कराये गये है।
- उन्नत ट्राउट मत्स्य बीज की उपलब्धता हेतु इस वर्ष डेनमार्क से 12 लाख ट्राउट मत्स्य बीज का आयात किया जा रहा है।

## राज्य में बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्यवाही

देश के कतिपय राज्यों में बर्ड फ्लू (Bird flu) का संक्रमण परिलक्षित होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में इसके संक्रमण की आंशका के दृष्टिगत इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय समिति एंव जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

1– शासन द्वारा संक्रमित क्षेत्रों / राज्यों से कुक्कुट पक्षी, अण्डों व अन्य कुक्कुट उत्पादों के आयात पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देश पारित किये गये है।

2– भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी बर्ड फ्लू कार्ययोजना 2020–21 सभी जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी है।

3– जनपद स्तर पर बर्ड फ्लू नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित है।

4– राज्य के कुक्कुट पक्षियों में निरन्तर सर्विलांस किया जा रहा है तथा वर्ष 2020–21 में 12 जनवरी, 2021 तक कोई भी कुक्कुट पक्षी बर्ड फ्लू हेतु पॉजिटिव नहीं पाया गया है।

5– भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी नई कार्ययोजना 2020–21 के अनुसार राज्य के कुक्कुट पक्षियों में नये सिरे से सर्विलांस कराया जा रहा है।

6– जिन क्षेत्रों में मृत कौवे पाये गये हैं, में विशेष सर्विलांस किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पक्षियों के क्लोकल व नेजल स्वाब तथा सीरम एकत्र कर आई0वी0आर0आई0 बरेली में करायी जायेगी।

7– समस्त जनपदों को कुक्कुट फार्मों की व्यक्तिगत जॉच (फिजिकल सर्विलांस) किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

9– कुक्कुट पक्षियों में आकस्मिक अत्यधिक मृत्यु होने पर अथवा बर्ड फ्लू की शंका होने पर कुक्कुट पक्षी को तत्काल एन0आई0एच0एस0ए0डी0 भोपाल विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

10–समस्त जनपदों से बर्ड फ्लू की प्रतिदिन की सूचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपर निदेशक के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके अनुसार 12 जनवरी, 2021 तक राज्य के कुक्कुट पक्षियों में रोग के लक्षण नहीं पाये गये हैं।

11–निदेशालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है जिसकी दूरभाष संख्या– 0135–2532809 है।

12–विभागीय टोल फ्री नं0 18001208862 पर भी कुक्कुट पालकों द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

# अध्याय–11
# वन तथा पर्यावरण
# Forest and Environment

उत्तराखण्ड राज्य में अनेक जैव सतत प्राकृतिक संसाधनों जैसे– ग्लेशियर, वन, नदियाँ तथा खनिज संसाधनों का प्रचुर भण्डार है। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय सम्पदा का अभिन्न अंग है जो राज्य के बाहर भी बडी आबादी तक इकोसिस्टम सेवाएं तथा वस्तुए प्रदान करता है। राज्य में कुल वन क्षेत्र 38000 वर्ग कि0मी0 है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 71 प्रतिशत है। यद्यपि राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में इस वन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019–20 में केवल 1.39 प्रतिशत है, परन्तु राज्य के वन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का वार्षिक प्रवाहित मूल्य (Flow Value) ₹ 95112 करोड़ तथा टिम्बर स्टॉक, कार्बन स्टॉक तथा भूमि आदि तीन सेवाओं का स्टॉक मूल्य (Stock Value) ₹ 14,13,676 करोड़ अनुमानित किया गया। वन प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई एक अमूल्य निधि हैं और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि एवं प्रगति के प्रतीक हैं। बाघ गणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य 442 बाघों के साथ मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक के बाद सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला तीसरा राज्य है। संवहनीय विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत लक्ष्य–15 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है, जिसमें 2030 तक लक्ष्य फायर लाईन निर्माण 49524 कि0मी0 रखा गया है। राज्य में वानिकी क्षेत्र में आवंटित बजट की स्थिति, कुल बजट तथा सकल घरेलु उत्पाद के सापेक्ष ग्राफ संख्या–11.1 में प्रदर्शित है।

ग्राफ 11.1

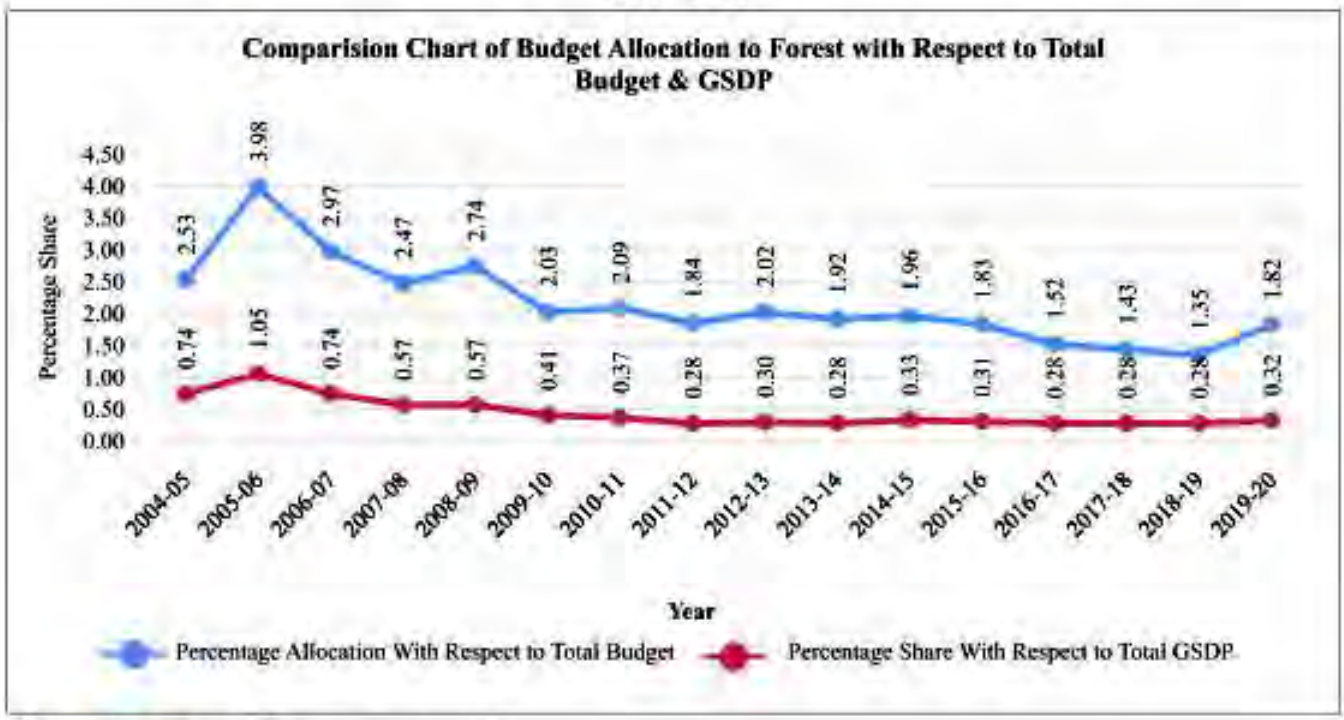


**स्रोत:** अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

**11.1 जनपदवार वनों का प्रतिशतः–** उत्तराखण्ड वन सांख्यिकी के अनुसार राज्य की अधिकांश जनपदों में कुल वन क्षेत्रफल उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक है जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। केवल हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा बागेश्वर जनपद में वनों का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत से कम है। जनपदवार वनों का प्रतिशत ग्राफ संख्या 11.2 में प्रदर्शित हैः–

ग्राफ 11.2

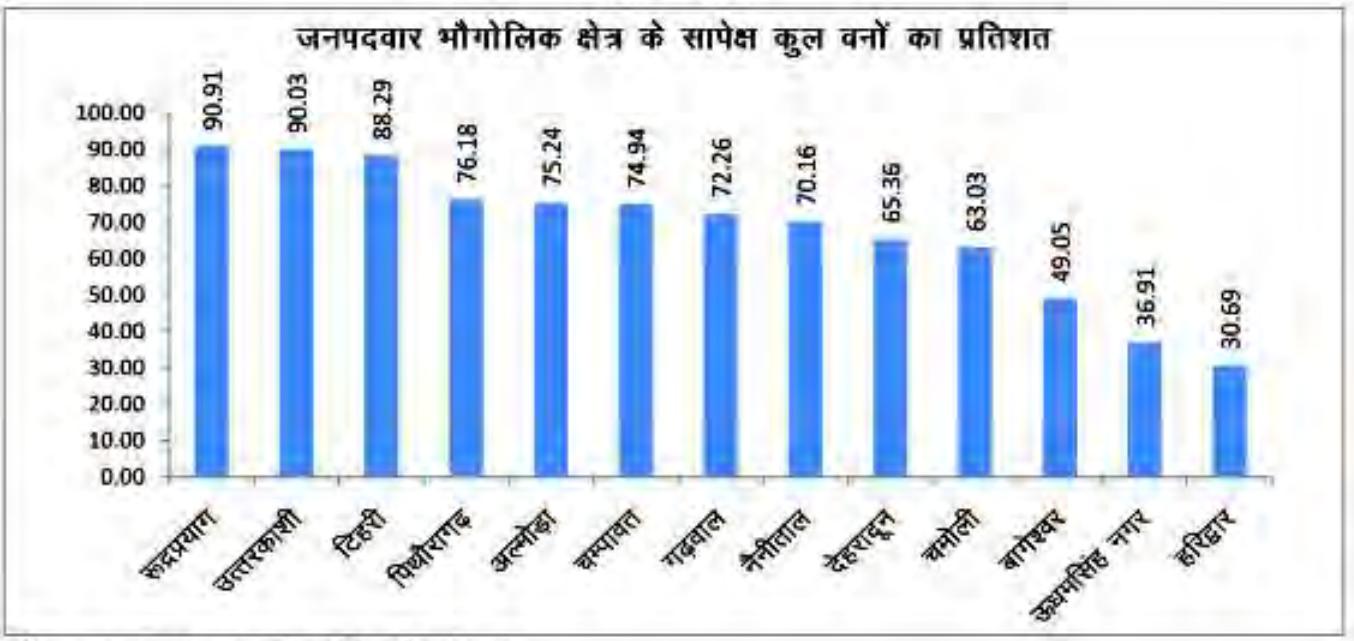


स्रोतः उत्तराखण्ड वन सांख्यिकीय वर्ष 2018–19

ग्राफ संख्या 11.3

स्रोतः उत्तराखण्ड वन सांख्यिकीय वर्ष 2018–19 तालिका संख्या 1.7

तालिका 11.1
अग्नि संवेदनशील वन भूभाग

| संवेदनशीलता | क्षेत्रफल | कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत |
|---|---|---|
| अति संवेदनशील | 45.56 | 0.17 |
| उच्च संवेदनशील | 443.12 | 1.60 |
| अधिक संवेदनशील | 2689.15 | 9.32 |
| मध्यम संवेदनशील | 7316.58 | 21.66 |
| कम संवेदनशील | 32275.70 | 67.25 |

स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019

तालिका 11.1 के अनुसार एफएसआई 2019 की रिपोर्ट में 11 फीसद जंगल पर आग का अधिक प्रकोप है। राज्य में ऐसे वनों का क्षेत्रफल 11.09 फीसद भाग पर फैला है। अर्थात 3177.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे प्रभावित है। वही 45.56 वर्ग किलोमीटर ऐसा भाग है जिसे वनाग्नि की दृष्टि से अति संवेदनशील बताया गया है।

**11.2 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Management and Planning Authority, CAMPA):–** कैम्पा परियोजना के तहत वर्ष 2011–12 से 12 जनवरी, 2021 तक की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ तालिका–11.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 11.2
उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

| वर्ष | वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में) | | भौतिक उपलब्धियाँ | |
|---|---|---|---|---|
| | अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना | व्यय की गई धनराशि | लक्ष्या (है0 में) | उपलब्धि (है0 में) |
| 2011-12 | 7586.49 | 6323.85 | 3972.52 | 3843.43 |
| 2012-13 | 5640.00 | 4420.43 | 715.55 | 438.77 |
| 2013-14 | 10669.00 | 6262.54 | 3080.84 | 2696.25 |
| 2014-15 | 13677.44 | 12382.52 | 2239.13 | 2077.81 |
| 2015-16 | 26650.86 | 15900.74 | 1432.90 | 945.00 |
| 2016-17 | 34680.00 | 10445.15 | 3155.01 | 2621.83 |
| 2017-18 | 31235.00 | 9016.05 | 3476.51 | 3474.21 |
| 2018-19 | 31830.00 | 11908.96 | 3500.00 | 2715.00 |
| 2019-20 | 21310.52 | 12328.20 | 3250.00 | 3222.45 |
| 2020-21 (दिनांक 12.01.2021 तक) | 22509.00 | 11304.57 | 2962.99 | 2533.57 |
| **Total** | **211062.05** | **133603.41** | **27785.45** | **24568.32** |

स्रोतः वन विभाग उत्तराखण्ड।

**संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) 2020–21–** वर्ष 2020–21 के लिए उत्तराखंड कैंपा की वार्षिक योजना (एपीओ) संचालन समिति द्वारा अपनी बैठक में 03 जनवरी, 2020 को

₹ 22856.00 लाख की राशि अनुमोदित की गई थी। भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष एपीओ के लिए ₹ 22509.00 लाख की अंतिम मंजूरी दी, जो वर्तमान में राज्य में लागू किया जा रहा।

**11.3 नमामि गंगे परियोजना**– गंगा की अविरल एवं निर्मल धारा बनाये रखे जाने के उद्देश्य से वन विभाग में वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ हुई है। गंगा में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह योजना देश के पांच राज्यों उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में चलाई गयी है। परियोजना की अवधि 05 वर्ष (2016–17 से 2020–21 तक) है तथा कुल लागत ₹ 885.9102 करोड है, जिससे कुल 54855.43 है0 का उपचार किया जाना है। उत्तराखण्ड में इस योजना को 23,372 वर्ग कि0मी0 में क्रियान्वित किया जा रहा है जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.7 प्रतिशत है। योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक 2943.5 है0 वनीकरण 5112 है0 में अग्रिम मृदा कार्य, 623 है0 में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य एवं 1190.35 है0 में 175602 पौधों का रोपण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गंगा तथा उसकी 11 सहायक नदियां भागीरथी, असीगंगा, बालगंगा, भिलंगना, नयार, धौलीगंगा, अलकनन्दा, मन्दाकनी, नन्दाकनी, पिन्डर तथा सोंग नदियों के जलागम क्षेत्रों में कार्य किया जाना है। परियोजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

ग्राफ 11.4

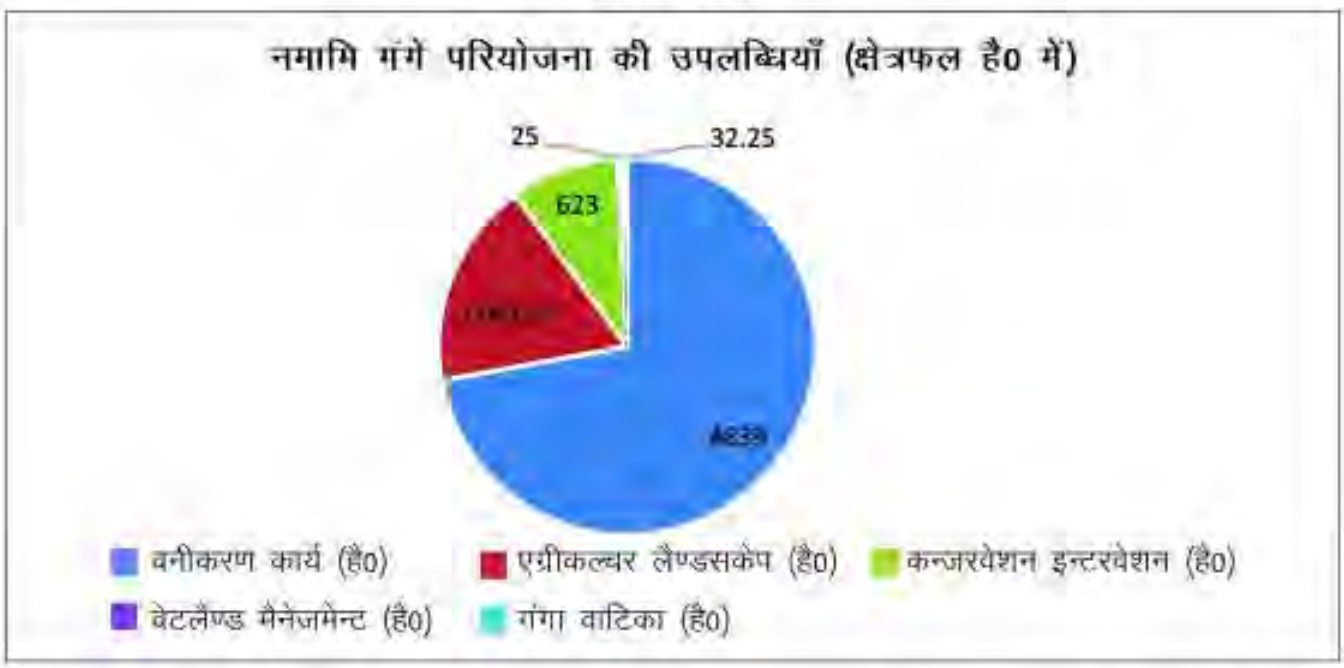


**11.4 वृक्षारोपण कार्यक्रम**– वृक्षारोपण नीति 2005 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु वृक्षारोपण नीति प्रतिपादित की गयी है जिसमें मुख्य रूप से रोजगार एवं आयपरक वृक्ष प्रजाति के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तीनों वितानों (कैनोपी) के रोपण पर बल दिया गया है। वर्ष 2019–20 मे 3320.60 है0 में वनीकरण कार्य किये गये है। वर्ष 2020–21 में 1432 है0 के लक्ष्य के सापेक्ष 1422 है0 वृक्षारोपण कार्य किये गये है।

**11.5 उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (Japan International Cooperation Agency, JICA):**— यह परियोजना मई 2014 से संचालित हो रही है इसकी अवधि मार्च 2022 तक है। परियोजना की कुल लागत ₹ 807 करोड़ है चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर, 2020 तक Eco-restoration/Plantation का कार्य किया गया इसके अतिरिक्त चाल खाल, टैंक निर्माण, चैक डैम आदि के कार्य किए गये है।

**11.6** राज्य में वन एवं पर्यावरण सुधार हेतु निम्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है:—

1. मानव वन्यजीव संघर्ष (Man- Animal Conflict) रोकथाम योजना
2. मानव–वानर संघर्ष (Man- Monkey Conflict) न्यूनीकरण योजना
3. बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन योजना
4. वाइल्ड लाईफ बोर्ड

**5. ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य:**— प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 400 है0 वृक्षारोपण कार्य किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 2020–21 में माह दिसम्बर तक 400 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

**6. हमारा पेड हमारा धन योजना:**— इस योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर निजी व्यक्ति, संजायत खातेदार पात्र होगे। आवेदक द्वारा रोपित किये जाने वाले पौध के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर में आवेदक के नाम ₹ 300/350 प्रति पौध के हिसाब से अंकित एफ0डी0आर0 बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी के नाम Pledge किया जायेगा तथा रोपण के तीन वर्ष बाद रोपित स्वस्थ पौधों की जीवितता प्रतिशत के मूल्याकंन के आधार पर अनुमन्य धनराशि आवेदक को दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 1,67,528 पौधों का रोपण किया जा चुका है, वर्ष 2016–17 में 62847 पौधो का रोपण किया गया है, वर्ष 2017–18 में 62847 पौधो का रोपण किया गया है, वर्ष 2018–19 में 29316 पौधो का रोपण किया गया है तथा वर्ष 2019–20 में 23500 पौधों का रोपण किया गया।

**7. हमारा स्कूल हमारा वृक्ष:**— वर्ष 2015–16 से राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एक नई योजना हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा पौध उगाकर स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क पौध रोपण हेतु उपलब्ध कराई जानी है। वर्ष 2015–16 में 4.85 लाख, वर्ष 2016–17 में 5.03 लाख, वर्ष 2017–18 में 1.80 लाख पौध विभागीय पौधालयो में तैयार की गयी है, वर्ष 2018–19 में शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं हुयी तथा वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2020 तक 5.53 लाख पौध विभागीय पौधालयों द्वारा तैयार की गयी है।

**8. इको टूरिज्म योजना:**— उत्तराखण्ड राज्य में "इको–टूरिज्म" की अपार सम्भावनाएं हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये टूरिस्ट स्पॉटों का विकास, वन चेतना केन्द्रों का रखरखाव तथा वन विश्राम भवनों का रखरखाव आदि विविध कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

**9. जीवों के वास स्थलों का विकास:**— इनके अतिरिक्त राज्य सेक्टर की अन्य महत्वपूर्ण योजनायें औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन, आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा, वुमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य योजना, भू संरक्षण की रोकथाम तथा मुख्यमंत्री राज्य वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा योजना, ग्रामीण इको पर्यटन योजना, वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु वर्षा जल संरक्षण योजना, हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना आदि योजनायें भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

बाक्स 11.1

## वानिकी एव वन्य जीव संरक्षण के नीतिगत पहल (Initiatives)

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित **तीस हजार सात सौ उनहत्तर है0** में दो करोड़ पौध लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष **चौबीस हजार आठ सौ छः मात्र है0** में एक करोड़ चौरासी लाख वृक्षारोपण कार्य किया गया।
2. कार्बेट टाईगर रिजर्व के पाखरों क्षेत्र के अन्तर्गत 106.16 है0 में लगभग टाईगर सफारी की स्थापना की जा रही है।
3. उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत लंका नामक स्थान पर **₹ दो करोड़ बयासी लाख साठ हजार** मात्र की धनराशि से स्नो लेपर्ड कन्जरवेशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है।
4. वित्तीय वर्ष 2020–21 में हरेला योजना के अन्तर्गत छः लाख पौध वितरित की गयी।
5. FSI Report 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का Forest Cover 24,303 वर्ग किमी0 है (दिसम्बर 2017 की Satellite Image के आधार पर)। जिसमें राज्य गठन के पश्चात् 1,161 वर्ग किमी0 की वृद्धि हुई है।
6. 2006 की गणना में बाघों की संख्या 178 थी जो वर्तमान में बढ़कर 442 हो गयी है एवं हाथियों की संख्या 2020 में बढ़कर 2026 हो गयी है।
7. वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 41 करोड़ लीटर क्षमता की विभिन्न संरचनायें तैयार करने का कार्य गतिमान है।
8. 1177 बंदरों को आबादी/शहरी क्षेत्रों से पकड़कर जंगलों में दूर छोड़ा गया तथा 624 बंदरों का बन्ध्याकरण किया गया।
9. देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाजरा में "आनन्द वन" विकसित किया गया है, जिसका लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 सितम्बर 2020 को किया गया। इसे आगन्तुकों हेतु प्रथम नवरात्रि (17.10.2020) को खोला गया है।
10. उत्तराखण्ड में देश की पहली ड्रोन फोर्स की स्थापना की गयी।
11. हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत 15 गुलदारों पर "Capturing and collaring, handling and health assessment" की कार्यवाही गतिमान। दो गुलदार (जी–1, जी–2) को रेडियो कॉलर तथा एक टस्कर को रेडियो कॉलर कर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।
12. कार्बेट टाईगर रिजर्व से 2 बाघ माह जनवरी, 2021 से राजाजी टाईगर रिजर्व में रिलोकेट किये गये हैं।
13. हिम तेन्दुओं की संख्या के आंकलन का कार्य प्रगति पर।
14. सरकार गठन के पश्चात (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2020 तक) 86697 (नियमित रोजगार, आउटसोर्सिंग, अनुबन्ध/अंशकालिक रोजगार एवं स्वयं उद्यमिता/निजी निवेश से) रोजगार प्रदान किये गये।
15. उत्तराखण्ड का प्रथम "मॉस गार्डन" 10 है0 में अनुसंधान वृत्त द्वारा नैनीताल में विकसित किया गया।
16. वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के व्यापक कार्ययोजना बनाई जा रही हैं। इसमें 4 वानर रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना के साथ ही 94 गांवों में 101 किलोमीटर घेरबाड़ की गयी। 10 हजार वनरक्षकों की तैनाती की जा रही हैं। कैम्पा के तहत 40 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
17. जायका परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान 3757 कृषकों को उन्नत किस्म के अखरोट के 15952 पौधे उपलब्ध कराये जा चुके हैं। राज्य में 694 वन पंचायतों में 1378 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन किया गया है, जिनके द्वारा आजीविका से सम्बन्धित गतिविधियॉ संचालित की जा रही है।

**11.8 वायु गुणवत्ता की विशेषताएँ**– राज्य के चार के जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र स्थापित है। जहाँ पर नियमित रूप से पी0एम0 10, पी0एम0 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाईट्रिक्स आक्साईड के पूर्व निर्धारित मानकों के सापेक्ष दैनिक आधार पर वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। राज्य में वायु गुणवत्ता के मानक आवासीय तथा औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक निर्धारित है। राज्य इन केन्द्रों में वर्ष 2020 के औसत वायु गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:–

तालिका 11.3

| Standard/Stations | P.M 10 (µg/m3) | P.M. 2.5 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| Standard(Annual) | 60 | | 20 | 30 |
| Standard (24 hours) | 100 | | 80 | 80 |
| Clock Tower Dehardun | 133.64 | 78.85 | 21.27 | 25.19 |
| Rajpur Road Dehradun | 80.31 | 65.865 | 20.97 | 22.93 |
| Himalayan drug, ISBT | 141.18 | 82.59 | 21.50 | 25.31 |
| Nagar Palika Parishad, Rishikesh | 104.56 | 18.30 | 22.87 | 84.87 |
| Sidcul, Haridwar | 94.87 | 8.98 | 14.46 | 106.49 |
| Govt. Hospital, haldwani | 106.49 | 172.30 | 7.15 | 25.58 |
| Govt. Hospital, Kashipur | 116.94 | 194.31 | 12.07 | 18.06 |
| Govt. Hospital, Rudrapur | 114.42 | 194.64 | 11.84 | 17.86 |

बाक्स 11.2

**उत्तराखण्ड में वैटलैंड**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने नये वैटलैंड नियम 2017 जारी किये। इन नियमों के अनुसार वन और वन्य जीव के मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 मई, 2018 को किया गया था। वर्तमान में राज्य में कोई रामसर साइट नहीं है लेकिन, राज्य में दो कंजर्वेशन झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व और आसन कंजर्वेशन रिजर्व है।

उत्तराखण्ड राज्य में 994 वैटलैण्ड्स है जिनमें 2.25 हैक्टेयर से नीचे 816 वैटलैण्ड और 2.25 हैक्टेयर से ऊपर 178 वैटलैण्ड्स है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 103066 हैक्टेयर है, जो उत्तराखण्ड वैटलैण्ड इन्वेंट्री के अनुसार है, जिसे स्पेश एप्लीकेशन (SAC) अहमदाबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा तैयार किया गया था।

**11.8 रोजगार सृजनः**– वन विभाग के अधीन राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित, कैम्पा, जायका एवं नमामि गंगे आदि योजनाओं के तहत वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 18387.76 लाख व्यय करते हुए 40.44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया योजनावार की स्थिति निम्न है–

1– राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 3011.64 लाख व्यय करते हुए 9.26 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

2– केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 2900.22 लाख व्यय करते हुए 5.10 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

3– जायका के अन्तर्गत ₹ 3967.00 लाख व्यय करते हुए 5.44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

4– उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत ₹ 8020.00 लाख व्यय करते हुए 19.46 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

5– नमामी गंगे के अन्तर्गत ₹ 488.90 लाख व्यय करते हुए 1.18 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

# अध्याय–12
# जल संसाधन एवं प्रबन्धन
# Water Resources & Management

प्रत्येक वर्ष लाखों लोग, अधिकतर बच्चे, अपर्याप्त जल आपूर्ति स्वच्छता और साफ–सफाई के कारण उत्पन्न बीमारियों से मरते है। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की एक–चौथाई आबादी संभवतः उन देशों में रहेगी जहॉ पानी की गंभीर और बार–बार कमी रहेगी। 1990 से ढाई अरब लोगों को बेहतर पेयजल सुलभ हुआ है, लेकिन अब भी 66.30 करोड़ लोग उससे वंचित है। 1990 से 2015 के बीच दुनिया में पेयजल के बेहतर स्रोत का इस्तेमाल करने वाली आबादी का अनुपात 76 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया फिर भी हर दिन करीब 1,000 बच्चे जल और स्वच्छता से जुडे अतिसार रोगों से मर जाते हे, जबकि इन रोगों से आसानी से बचा जा सकता है।

स्वच्छ जल जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी हे और उसके न होने का असर दुनिया भर में परिवारों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर पड़ सकता है। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर नियमित रूप से स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी है, किन्तु गलत आर्थिक सोच और कमजोर बुनियादी सुविधाओं के कारण जल आपूर्ति के बंटवारे में असमानता आ सकती है। सूखे की मार दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों पर पड़ती है जिससे भुखमरी और कुपोषण की स्थिति और बिगड जाती है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मौतों में से 70 प्रतिशत बाढ और पानी से जुडी अन्य आपदाओं के कारण होती है। विश्वसनीय ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, आपदा सहने में सक्षम बुनियादी सुविधाओं, सतत् औद्योगीकरण, खपत और उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा, सबको स्वच्छ जल की टिकाऊ आपूर्ति से अटूट संबंध है। पनबिजली ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक उपयोग होने वाला स्रोत है और 2011 तक दुनियाभर में कुल बिजली उत्पादन में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी इसकी है। सतत् विकास लक्ष्यों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित कर दिया है कि वह जल एवं स्वच्छता से संबंद्ध गतिविधियों के बारे में अन्तरार्ष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करें और जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों को समर्थन दे। सतत् विकास लक्ष्य –6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि अगले 15 वर्ष मे सुरक्षित पेयजल, और पर्याप्त स्वच्छता और साफ–सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ कराएंगे। इस हेतु भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में जल शक्ति मिशन प्रारम्भ किया गया है।

**जल शक्ति अभियान मिशन**– हर घर जल योजना (राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना) 2020 जल शक्ति अभियान –ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की समस्या बहुत पुरानी है, भारत में आज भी करोडों लोग पानी की कमी से जूझ रहे है, पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में जनता को पानी के टैंक पर ही निर्भर रहना पडता है, बहुत सारे राज्यों में इस तरह की समस्या आने पर केन्द्र द्वारा इसकी महत्ता को समझते हुए एक नयी योजना जल शक्ति अभियान–हर घर नल से जल योजना की शुरूआत की है।

### हर घर जल योजना की मुख्य विशेषताएः–

(i) भारत सरकार द्वारा जल जीवन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल

संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराने पर लक्षित है।

(ii) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

(iii) पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन, जल स्रोतों का विकास, जल शुद्धिकरण, ग्राम पंचायत/स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण किया जाना।

(iv) ग्राम पंचायत/स्थानीय समुदाय ग्राम की जल प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, सचांलन एवं रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

(v) इस कार्यकम का नियोजन तथा कियान्वयन राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के सहयोग से उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कराया जा रहा है। राज्य में केन्द्रांश तथा राज्यांश की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में समुदाय को सशक्तिकरण के दृष्टिगत किया गया है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम के भीतर की अवसंरचना व्यय (In village infrastructure capital) का 5 प्रतिशत का योगदान नगद अथवा श्रम के रूप में वहन करना होगा।

### 12.1–उत्तराखण्ड पेयजल निगमः

**12.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP):** भारत सरकार द्वारा संचालित आई.एम. आई.एस वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2020 को कुल 38,667 बस्तियां हैं, जिसमें पेयजल से 14,943 बस्तियां आंशिक सेवित (Partially Covered), 23,715 बस्तियां पूर्णतः सेवित (Fully Covered), तथा 09 बस्तियां जल गुणता प्रभावित है। भारत सरकार द्वारा NRDWP की पुनर्संरचना करते हुए बस्तियों के स्थान पर घरों को संतृप्त किया जाना इकाई निर्धारित कर जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.08.2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जा चुकी है।

**जल जीवन मिशन** : भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ''जल जीवन मिशन'' में ''हर घर नल से जल'' के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यकम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 14,61,910 परिवारों को वर्ष 2024 तक घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS–10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। IMIS पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुरूप दिनांक 31.03.2020 तक 2,17,120 परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3,58,880 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु FHTCs का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष दिनांक 03.01.2021 तक 3,11,106 परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) दिये जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल संयोजन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जल संयोजन शुल्क ₹ 2300 से घटाकर मात्र ₹ 1 कर दिया गया है।

**देहरादून के कालसी ब्लॉक के लेलता गांव में प्रत्येक परिवार को नल जल कनेक्शन मिलाः–** उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून शहर से लगभग 100 किमी की दूरी पर पहाडी घाटियों में बसे लेलता गांव में जल लाने के लिए गांव की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मुश्किल काम अब खत्म हो गया है। पहले महिलाओं को प्रतिदिन सुबह दो घंटे और शाम को दो घंटे गांव की पहाडी के पीछे के झरनों से पानी लाने में बिताना पडता था।

चूकिं गांव के ज्यादातर युवा पास के शहरों में काम करने जाते थे वृद्ध महिलाएं मवेशियों को चारा देने, घर का काम करने और खेतो में काम करने का जिम्मा उठाती थी। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी वाले लेलता गांव के 115 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है जिससे हिमालय घाटी के गढवाल पहाडों की सुन्दरता और बढ गई है।

जल जीवन मिशन के कार्यकाल में प्रत्येक परिवार को नल जल कनेक्शन मिला है। अब 24 घंटे 7 दिन गांव में जल उपलब्ध है। गांव में काफी ऊँचाई पर बना सामुदायिक जल भंडारण टैंक पर्याप्त प्रेशर में पानी उपलब्ध कराता है। गांव वालों ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके छतों पर बने टैंकों में फलोट वाल्व लगा हो ताकि टैंक भरने के बाद पानी बर्बाद ना हो उन्होनें ग्राम कार्य योजना तैयार की है और वीडब्ल्यूएससी का गठन किया ताकि वे प्रभावी तरीके से इस प्रणाली का प्रबंधन कर सके।

आज गांव के वृद्ध जन गांव वालों के बेहतर जीवन के विषय में बात करते है जिसका वे अपने युवा वर्षों में सपना देखा करते थे महिलायें अब खुशी–खुशी मवेशी पालन और पास के बगीचों में खेती में हाथ बटाती है।

**12.1.2 हैण्डपम्प स्थापनाः–** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की आकस्मिक आवश्यकता के दृष्टिगत् हैण्डपम्प लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मार्च 2020 तक प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कुल 49,723 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 550 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके है।

**12.1.3 बाहय सहायतित योजनायें (अर्द्ध नगरीय क्षेत्र):** केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य के 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत ₹ 975 करोड़) आरम्भ हो गई है। विश्व बैंक टीम द्वारा अन्तिमीकृत पैड (प्रोजेक्ट एप्रैजल डॉक्यूमेण्ट) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रथम दो वर्षो हेतु 15–15 मिलियन धनराशि (लगभग ₹ 100,00.00 लाख) उपलब्ध कराया जाना निश्चित है। परियोजना अवधि 06 वर्षों (कार्यक्रम की प्रभावी तिथि 08 मार्च 2018) की है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न सात जनपद चयनित किए गये हैं।

**कार्य क्षेत्रः** जनपद टिहरी गढवाल–ढालवाला, जनपद देहरादून–जीवनगढ, नथनपुर, मेंहूवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीत नगर एवं खडक माफी।

जनपद नैनीताल–हल्द्वानी तल्ली, कुसुमखेडा, गौझाजाली उत्तर।

जनपद हरिद्वार–सैदपुरा, भंगेडी मेहवतपुर, नगला इमरती, ढंढेरा, मोहनपुर मौहम्मदपुर, बहादराबाद, जगजीतपुर।

जनपद उधमसिंह नगर–उमरू खुर्द, महोलिया एवं बंडीया।

उक्त क्षेत्रों हेतु 22 डी0पी0आर0 में से 12 योजनाओं

पर कार्य आरम्भ हो गया है तथा शेष 10 योजनाओं में टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है। समस्त 22 योजनाओं को परियोजना समय–सीमा दिसम्बर 2023 तक पूर्ण कराया जाना है।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 7 योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत है।

वर्तमान में पेयजल निगम की 09 योजनाओं (मेहूवाला कलस्टर पे0यो0–जनपद देहरादून, ढालवाल पे0यो0– जनपद टिहरी गढवाल, सैदपुरा पे0यो0, मोहनपुरा मोहम्मदपुर पे0यो0, भंगेडी मेहबतपुर पे0यो0, नगला इमरती पे0यो0– जनपद हरिद्वार, कुसुमखेडा पे0यो0, हल्द्वानी तल्ली पे0यो0 एवं बण्डिया पे0यो0– जनपद नैनीताल) पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। निर्माणाधीन 09 योजनाओं पर दिसम्बर 2020 तक ₹ 6221.91 लाख व्यय किया जा चुका है। व्यय की गई धनराशि परियोजनाओं की स्वीकृत लागत का लगभग 19.18% है एवं जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक लगभग ₹ 4650.00 लाख व्यय किये जाने की सम्भावना है। योजनाओं की भौतिक प्रगति औसतन 40% है।

जल संस्थान द्वारा 07 योजनाओं पर कार्य किया जाना है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में जल संस्थान की 03 योजनाओं ( प्रतीतनगर पे0यो0, खडकमाफी पे0यो0, नत्थुवाला पे0यो0–जनपद देहरादून) पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। निर्माणाधीन 07 योजनाओं पर दिसम्बर 2020 तक ₹ 3784.59 लाख व्यय किया जा चुका है। व्यय की गई धनराशि परियोजनाओं की स्वीकृत लागत का लगभग 14.90% है एवं जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक लगभग ₹ 4800.00 लाख व्यय किये जाने की सम्भावना है। योजनाओं की अद्यतन प्रगति 60 प्रतिशत है।

**12.1.4 नगरीय पेयजलः**– स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 92 स्थानीय निकाय है, जिनमें में 08 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषदें एवं 43 नगर पंचायतें है। इनमें से 69 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पर 38 नगरों हेतु बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत ₹ 1258.00 करोड की लागत की योजनायें प्रास्तवित है। उक्त के अतिरिक्त ए0डी0बी0 द्वारा इ.ए.पी. के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 5 एवं 6 नगरों के प्रस्ताव अनु0 लागत ₹ 1095.00 करोड के स्वीकृत कराये गये है।

जल सरंक्षण की दिशा मे चलाए गए जल शक्ति अभियान (जेएसए) में उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले को छठा स्थान मिला है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जारी इस रैंकिग में नार्थ ईस्ट, केन्द्र शासित और पर्वतीय राज्यों के 29 जिलों को शामिल किया गया था।

**स्रोतः**– जल जीवन सवांदः वर्ष 2020 अंक–3 भारत सरकार

**12.1.5 नगरीय जलोत्सारणः–**

(I) उत्तराखण्ड के कुल 92 नगरों में से प्रथम चरण में अधिक जनसंख्या वाले एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 28 नगरों का चयन सीवर व्यवस्था हेतु किया गया है, जिनमें आंशिक रूप से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

(II) इन 23 नगरों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था के अनुसार कुल 377.045 एम.एल.डी का सीवेज

जनरेशन हो रहा है। 23 नगरों में उत्सर्जित सीवेज के आंशिक शोधन हेतु 377.045 एम.एल.डी क्षमता के 62 सीवेज शोधन सयंत्र स्थापित कर संचालित है। राज्य में 60.65 एम.एल.डी क्षमता के 07 सीवेज शोधन सयंत्र निर्माणधीन है।

(iii) 116.26 एम.एल.डी क्षमता के 19 सीवर शोधन सयंत्र प्रस्तावित है। जिसके स्थापना के उपरान्त राज्य के 28 नगरों में 553.955 क्षमता के कुल 88 सीवेज शोधन सयंत्र स्थापित हो जायेगे।

तालिका 12.1
प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण (सीवरेज) आच्छादन की स्थिति

| क्र० स० | नगर | सीवरेज नेटवर्क आच्छादन (Coverage %) | सीवर शोधन सयंत्र (STP) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | चालू | निर्माणधीन | प्रस्तावित |
| 1. | हरिद्वार | 85% | 5 | 0 | 0 |
| 2. | देहरादून | 75% | 7 | 1 | 2 |
| 3. | रूड़की | 80% | 1 | 0 | 0 |
| 4. | ऋषिकेश | 70% | 2 | 0 | 0 |
| 5. | मसूरी | 80% | 4 | 0 | 5 |
| 6. | श्रीनगर | 35% | 4 | 0 | 0 |
| 7. | स्वर्गाश्रम (पौड़ी) | 95% | 1 | 0 | 0 |
| 8. | कीर्तिनगर | - | 2 | 0 | 0 |
| 9. | देवप्रयाग | 70% | 3 | 0 | 0 |
| 10. | उत्तरकाशी | 20% | 1 | 0 | 0 |
| 11. | गंगोत्री | 90% | 1 | 0 | 0 |
| 12. | नैनीताल | 90% | 2 | 1 | 1 |
| 13. | भीमताल | 20% | 1 | 0 | 0 |
| 14. | अल्मोड़ा | 30% | 1 | 0 | 0 |
| 15. | नई टिहरी | 30% | 1 | 0 | 0 |
| 16. | मुनि की रेती | 50% | 2 | 0 | 0 |
| 17. | कर्णप्रयाग | 10% | 5 | 0 | 0 |
| 18. | गोपेश्वर | 80% | 5 | 0 | 0 |
| 19. | जोशीमठ | 70% | 1 | 1 | 0 |
| 20. | श्री बद्रीनाथ | 90% | 3 | 0 | 0 |
| 21. | काशीपुर | 7% | 0 | 1 | 7 |
| 22. | हल्द्वानी | 21% | 0 | 1 | 0 |
| 23. | रामनगर | 10% | 0 | 2 | 0 |
| 24. | पिथौरागढ़ | 30% | 2 | 0 | 0 |
| 25. | रूद्रप्रयाग | - | 6 | 0 | 0 |
| 26. | नंदप्रयाग | - | 2 | 0 | 0 |
| 27. | उधमसिंह नगर | - | 0 | 0 | 2 |
| 28. | रूद्रपुर | - | 0 | 0 | 2 |
| | | **TOTAL** | **62** | **7** | **19** |

स्रोत– पेयजल निगम उत्तराखण्ड।

**12.1.6 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)**– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 15 नगरों क्रमश हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, मुनि–की–रेती, कीर्तिनगर, श्रीनगर, श्रीकोट, नन्दप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर–चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ एवं उत्तरकाशी में गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृत ₹ 893.07 करोड की 19 योजनाओं में से 16 योजनाओं के अन्तर्गत 31 योजनाओं 129.17 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के नये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण पूर्ण किया गया तथा पूर्व से स्थापित 57 एम0एल0डी0 क्षमता के 06 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 2.7 एम0एल0डी0 क्षमता के 01 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य मार्च–2021 के पश्चात् तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। लक्षित 61 नालों के सापेक्ष 58 नालों को टैप कर लिया गया है शेष 03 की टैपिंग जून, 2021 पूर्ण किया जाना लक्षित है उक्त के अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत रामनगर में गंगा की सहायक नदी कोसी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु नालो की टैंपिग तथा 8.5 एम0एल0डी क्षमता के 02 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिन्हें माह 05/2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, देहरादून में रिस्पना तथा बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 177 नालों में से 34 नालों की टैंपिग कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा 32.42 किमी0 सीवर नेटवर्क में से 2.60 किमी0 सीवर नेटवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में प्रदेश एवं देश में प्रथम "हाई ब्रिड एन्यूटी पी.पी.पी. मॉडल" के आधार पर 68 एवं 14 एम.एल.डी. क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त मुनी की रेती क्षेत्र में 7.50 एम.एल.डी. क्षमता के 4 मंजिला एस.टी.पी. का निर्माण किया गया, जिसका उदघाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।

**12.1.7 चुनौतियां (Challenges)**

• **जलापूर्ति की कवरेज**: दिनांक 31.03.2020 तक राज्य के कुल 14,61,910 ग्रामीण परिवारों में से 2,17,120 परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अवशेष 12,44,790 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु लगभग ₹ 6601.00 करोड की आवश्यकता आंकलित की गयी है।

• **पेयजल गुणवता**– गुणवत्तापकर पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। निर्मित सभी पेयजल योजनाओं में क्लोरिनेशन किये जाने हेतु उचित व्यवस्था की गयी है, जिससे राज्य के सभी घरों/परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

• **जल स्रोतों का सूखना एवं भू–जल स्तर कम होना**– नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में आ रहे बदलावों के कारण हिमालय से निकलने वाली 60 प्रतिशत जल धाराओं से गंगा एवं यमुना जैसी नदियां बनती है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में पिछले 150 सालों में ऐसी जल धाराओं की संख्या 360 से घटकर 60 तक आ गयी है।

तालिका 12.2
राज्य का पेयजल संयोजन का लक्ष्य/धनराशि की आवश्यकता का विवरण

| कुल ग्रामीण परिवार | दिनांक 31.03.2020 को जल संयोजन युक्त परिवार | अवशेष परिवार | वर्षवार जल संयोजन लक्ष्य प्राप्त किये जाने की कार्ययोजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | वर्ष 2020–21 | वर्ष 2021–22 | वर्ष 2022–23 | वर्ष 2023–24 | योग |
| 1461910 | 217120 | 1244790 | 358880 | 490830 | 213965 | 181115 | **1244790** |
| क) धनराशि की आवश्यकता (₹ करोड़ में) | | | 1565.06 | 1636 | 1966 | 1433.94 | **6601.00** |
| ख) अनुमानित धनराशि की उपलब्धता (₹ करोड में) | | | 362.00 | 748.00 | 748.00 | 948.00 | **2806.00** |
| ग) वित्तीय अन्तर (क –ख) (₹ करोड में) | | | 1203.06 | 888.00 | 1218.00 | 485.94 | **3795.00** |
| **दिनांक 03.01.2021 तक उपलब्धि का प्रतिशत व्यक्तिगत पेयजल संयोजन का राष्ट्रीय औसत : 32.73%** | | | | | **उत्तराखण्ड राज्य का औसत : 36.13%** | | |

स्रोतः पेयजल निगम उत्तराखण्ड

## 12.2–उत्तराखण्ड जल संस्थानः

राज्य के उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के साथ ही दक्ष सीवर व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान 92 नगरीय, 330 ग्रामीण पम्पिंग एवं 3,863 ग्रामीण गुरूत्व पेयजल योजनाओं के साथ ही 27 जलोत्सारण योजनाओं का संचालन/रखरखाव कार्य कर रहा है। पेयजल योजनाओं में से नलकूप आधारित योजनाओं की सं0 396 है तथा गुरूत्व आधारित योजनाओं की सं0 3,889 हैं। राज्य में कुल जल संयोजनों की सं0 729680 है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कुल 1,30,274 सीवर संयोजन प्रदान किये गये हैं।

तालिका 12.3
जल संस्थान को प्राप्त राजस्व

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0स0 | संयोजनों का प्रकार | वर्ष 2019–20 में राजस्व प्राप्त | वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्त (दिसम्बर, 2020 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | पेयजल संयोजनों से प्राप्त | 19968.30 | 11138.75 |
| 2 | सीवर संयोजनों से प्राप्त | 644.36 | 308.80 |

राज्य के ग्रामीण तथा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

**12.2.1 नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA):** संस्थान द्वारा आधुनिकतम तकनीक SCADA अपनाकर 627 नलकूप एवं 240 मिनी नलकूपों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे मानवीय भूल एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के व्यवधान को अत्यन्त न्यून किया जा सका है।

**12.2.2 जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):–** राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय में दो–दो (कुल 26) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण

प्रयोगशालायें क्रियान्वित हैं जिनमें वर्ष 2019–20 में 11,549 तथा 2020–21 में वर्तमान तक 24725 रासायनिक 17394 जैविक पेयजल के नमूनों की जॉच की गयी है।

**12.2.3 हैण्ड पम्पः एक सफल वैकल्पिक रणनीति (Hand Pump: A Successful alternative Plan):-** राज्य के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हैण्डपम्प स्थापित कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत 9,814 हैण्ड पम्पों की स्थापना की गयी है।

**12.2.4 मिनी नलकूपः न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubewell: Low Cost, Accelerated Treatment):** नलकूपों के खनन में लगने वाले व्यय एवं समय की बचत एवं छोटी बस्तियों के पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु कम स्राव के नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर 'न्यूमेटिक खनन' विधि से तैयार किया जाता है। वर्तमान तक 286 मिनी नलकूप स्थापित किये गये हैं।

**12.2.5 चाल–खालः परम्परागत जल–स्रोतों का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional Water Sources):–** ग्राम समाज के सहयोग से संस्थान द्वारा विगत चार वर्षो में वर्तमान तक 1459 चाल–खाल का निर्माण किया गया है।

**12.2.6 रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना (Rain Water Harvesting):** वर्षा जल को एकत्र कर, संचय करने तथा उसको मनुष्य एव पशुओं के उपयोग में लाने तथा उससे भू–जल को रीचार्ज करना वर्षा जल का दोहन (Rain Water Harvesting) है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय, "जल भवन" देहरादून में किया गया है जो सफल रहा है। वर्षा जल संग्रहण हेतु विभाग द्वारा शासकीय विभागों एवं जन सामान्य के उपयोगार्थ एक मार्ग निर्देशिका भी प्रकाशित की गयी है जिसमें वर्षा जल संग्रहण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में 124 शासकीय भवनों में वर्षा जल के दोहन हेतु स्वीकृति प्राप्त कर 109 शासकीय भवनों में कार्य पूर्ण तथा शेष पर कार्यवाही प्रगति पर है।

तालिका 12.4
जल संस्थान का वित्तीय विवरण (Financial Progress)

(धनराशि ₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | सैक्टर | अनुमोदित परिव्यय (2020–21) | अवमुक्त धनराशि (12 / 2020 तक) | व्यय धनराशि (12 / 2020 तक) | 01–01–2021 से 31–03–2021 तक सम्भावित व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | जिला सैक्टर | 9304.56 | 6766.65 | 5275.23 | 1491.42 |
| 2 | राज्य सैक्टर | 35757.51 | 7019.55 | 4908.73 | 2110.82 |
| 3 | केन्द्र पोषित | 62401.47 | 2730.00 | 1417.44 | 112.00 |
| 4 | वाह्य सहायतित | 6305.00 | 3394.13 | 1442.75 | 4800.00 |

तालिका 12.5
जल संस्थान का भौतिक विवरण (Physical Progress)

(धनराशि ₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | लक्ष्य | पूर्ति (माह दिसम्बर 2020 तक) | 01–01–2021 से 31–03–2021 तक सम्भावित पूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | ग्रामीण पेयजल / जलोत्सारण | संख्या | 2011 | 588 | 1423 |
| 2 | हैडपम्पों का अधिष्ठापन | संख्या | 272 | 00 | 272 |
| 3 | हैडपम्पों की मरम्मत | संख्या | 2050 | 267 | 1783 |
| 4 | वाह्य सहायतित | संख्या | 07 | - | - |

स्रोतः जल संस्थान उत्तराखण्ड।

**12.2.7 अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजनाओं का सुदृढीकरणः**– उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा विश्व बैंक वाह्य सहायतित (पैरी अर्बन) कार्यक्रम के अर्न्तगत 07 अर्द्धनगरीय पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। 03 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का सुदृढीकरण कार्य 2024 तक पूर्ण कर उपभोक्ताओं को 16 घंटे प्रतिदिन औसत 12 मीटर हैड दबाव पर पानी उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है।

**12.2.8 जल जीवन मिशनः**– वर्तमान में जल जीवन मिशन (JJM) के मानको के अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जाना है। राज्य में कुल 15218 ग्रामों के सापेक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा 5695 ग्रामों पर कार्य सम्पादित किया जाना है। वर्तमान में 5695 ग्रामों में कुल 596372 परिवारों के सापेक्ष 118398 परिवारों के पास निजी जल संयोजन उपलब्ध है। 477974 परिवारों को कार्यक्रम के अर्न्तगत निजी जल संयोजन (हर घर नल से जल) उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है:–

तालिका 12.6

| वित्तीय वर्ष | ग्रामीण परिवारों हेतु प्रस्तावित निजी जल संयोजन की संख्या (FHTC) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 2020–21 | 280000 | वर्ष 2020–21 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 154873 (FHTC) की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। |
| 2021–22 | 197974 | |
| **योग** | **477974** | |

स्रोतः जल संस्थान उत्तराखण्ड।

मिशन को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत निर्मित योजनाओं के उपभोक्ताओं से निजी घरेलू संयोजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर निजी जल संयोजन में संयोजन शुल्क ₹ 1.00 प्रतिकात्मक एवं प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 25.00 जमा कराकर घरेलू जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।

## 12.3 स्वजल परियोजना

### 12.3.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–

सर्वव्यापी स्वच्छता आच्छादन हासिल करने हेतु दिनाँक 02 अक्टूबर, 2014 से भारत सरकार द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करना है। जिसका मूल उद्देश्यों में 'खुले में शौच' की प्रवृत्ति का उन्मूलन, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन तथा स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के जरिये स्वच्छता स्तरों को उन्नत बनाना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त, स्वच्छ एवं साफ–सुथरा बनाना है।

मिशन के प्रमुख घटकों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन है तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार एवं क्षमता विकास गतिविधियों का संचालन कर जन–जागरूकता पैदा करना है।

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों में मात्र एस0सी0/एस0टी0, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक जिनके गृह स्थायी हों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला मुखिया परिवारों को ही प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ₹ 12000 प्रति परिवार की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है तथा सामुदायिक शौचालय हेतु अधिकतम इकाई लागत ₹ 2.00 लाख तक व्यय किए जाने का प्राविधान किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु 150 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु ₹ 7.00 लाख, 300 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु ₹ 12.00 लाख, 500 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु ₹ 15.00 लाख तथा 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु ₹ 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

### राज्य की वर्तमान स्थिति

आधारभूत सर्वेक्षण–2012 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में कुल परिवारों की संख्या 15,51,416 थी जिसमें से 10,41,586 (67.14%) परिवार शौचालय सुविधा से आच्छादित थे तथा 5,09,830 (32.86%) परिवार शौचालय विहीन चिन्हित किये गये थे। शौचालय विहीन 5,09,830 परिवारों के सापेक्ष कुल कुल 5,90,077 परिवारों के शौचालय निर्मित कर राज्य को माह जून, 2017 में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित कर देश में राज्य द्वारा चौथा स्थान प्राप्त किया गया।

### खुले में शौच मुक्त – स्थायित्वतता

### मुख्य उददेश्यः

इस समय अवधि में खुले में शौच मुक्त की स्थिति प्राप्त किये हुये गाँव, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड, जनपद तथा राज्य के स्थायित्व पर निरन्तर कार्य किया जाना।

निर्मित किये गये शौचालयों के निरन्तर उपयोग की सुनिश्चिता ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित की गयी परिसम्पत्ति के रखरखाव एवं संचालन की व्यवस्था करना।

### 12.3.2 खुले में शौच मुक्त के स्थायित्वता को सुनिश्चित किये जाने में मुख्य कार्य क्षेत्र

### (अ) गांव की ओ0डी0एफ0 स्थिति का भौतिक सत्यापन :

इसके अन्तर्गत प्रथम चरण के भौतिक सत्यापन का कार्य राज्य की समस्त 15473 गांवों में पूर्ण कर लिया गया है तथा द्वितीय चरण के भौतिक सत्यापन का कार्य भी 14340 गांव में पूर्ण कर लिया गया है अवशेष गांवों मे यह कार्य गतिमान है।

### (ब) आधारभूत सर्वेक्षण– 2012 में छूटे हुये परिवार (एल.ओ.बी.)

उक्त सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार द्वारा 39060 परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किये जाने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी। 39060 परिवारों के सापेक्ष 31 मार्च 2020 तक कुल 34694 परिवारों के शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, अवशेष 4366 परिवारों के शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 2327 परिवारों के शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

### (स) कोई भी परिवार शौचालय विहिन न रहना (No one to be Left behind)

राज्य में ऐसे कुल 1990 परिवार चिन्हित किये गये हैं जिनको सत्यापित कर मार्च 2021 तक शौचालय सुविधा से अच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आतिथि तक 1741 परिवारों नव सृजित परिवारों की एन्ट्री आई0एम0आई0एस0 में कर दी गयी है।

### (द) सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों का निर्माण

सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलैक्स का निर्माण गाव / ग्राम पंचायतों में उपलब्ध सार्वजनिक स्थानों में किया जा सकता है तथा इनके रखरखाव व संचालन ग्राम पचायत द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य में अब तक कुल 759 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलैक्सों का निर्माण कर लिया गया है।

### 12.3.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लक्ष्य

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण

तालिका 12.7

| वर्ग | वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य | उपलब्धि (माह दिसम्बर 2020 तक) |
|---|---|---|
| बेसलाइन सर्वेक्षण–2012 में छूट गये शौचालय विहीन परिवारो (Left Out household Beneficiaries) हेतु | 4366 | 1423 |
| समग्र स्वच्छता (No One Left Behind) हेतु | 1990 | 831 |
| नव सृजित परिवारों (New Household) हेतु | 5558 | 73 |
| **योग** | **11914** | **2327** |

## 2. सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों के निर्माण

राज्य में कुल 15473 ग्राम हैं जिनमें से वार्षिक कार्य योजना 2020–21 में कुल 4234 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 78 ग्रामो में काम्प्लैक्सों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

## 3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

लक्षित कुल 2551 ग्रामों के सापेक्ष वर्ष में कुल 80 ग्राम पंचायतों (113 ग्राम) की डी.पी.आर. तैयार कर ली गयी है, विगत वर्षों के गतिमान ग्राम पंचायतों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 262 ग्राम पंचायतों (436 ग्रामों) में कार्य पूर्ण कर लिये हैं। गत वर्ष की ग्राम पंचायतों सहित वर्तमान वर्ष में कुल 2033 ग्राम पंचायतों (4070 ग्राम) में कार्य गतिमान है। यह कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के माध्यम से भी करवाया जा रहा है।

## 4. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन

वार्षिक कार्य योजना 2020–21 के अनुसार कुल 1084080 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों तथा क्षमता विकास एवं मानव संसाधन की कुल 8208 गतिविधियों का संचालन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के दीर्घकालिक स्थायित्व को बनाये रखने हेतु कार्य करना है।

### वित्तीय वर्ष 2020–21 की वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' हेतु ₹ 208.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया था जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु 2266 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढाँचों को निर्मित कराये जाने हेतु ₹ 158. 00 करोड (आई0ई0सी0 एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु अनुमन्य 7 प्रतिशत धनराशि (₹ 11.06 करोड सहित) तथा शौचालय निर्माण एवं ओ0डी0एफ0 सस्टैनेबिलिटी से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष हेतु एकमुश्त धनराशि ₹ 50.00 करोड सम्मिलित है।

उक्त प्रस्तावित बजट के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु ₹ 91.32 करोड का बजट प्राविधानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गत वर्ष 2019–20 की अवशेष धनराशि ₹ 4215.68 लाख तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह तक प्राप्त केन्द्रांश ₹ 4748.90 लाख एवं अन्य प्राप्ति ₹ 5806.28 लाख सहित कुल उपलब्ध ₹ 14770.85 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 8887.23 लाख (ग्राम पंचायतों को दिए गये अग्रिम सहित) व्यय किए जा चुके हैं एवं मार्च 2021 तक कुल ₹ 13385.23 लाख व्यय किए जाने का अनुमान है।

विश्व बैंक सहायतित 'उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों हेतु)' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में पैरी–अरबन परियोजना के संचालन हेतु कुल ₹ 200.00 करोड़ प्रस्तावित किया गया जिसमें पूंजीगत मद में ₹ 186.80 करोड़ तथा राजस्व मद में ₹ 13.20 करोड़ का प्राविधान प्रशासनिक व्ययों सम्मिलित है। उक्त के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 पैरी–अरबन परियोजना के

संचालन हेतु ₹ 180.00 करोड का बजट प्राविधानित किया गया है एवं माह दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 91.00 करोड अवमुक्त किए गये हैं।

माह दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 5961.00 लाख व्यय किए गये हैं एवं माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक लगभग ₹ 12039.00 लाख व्यय किए जाने की संभावना है।

**विशिष्ट उपलब्धियाँ**

- भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद पौड़ी की ग्राम पंचायत पाबो को "स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक स्वच्छता काम्पलेक्स" प्रतियोगिता में दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।
- वर्ष 2017 में सर्वप्रथम राज्य के मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड की पहल पर ग्रीष्म काल में प्रतिवर्ष 25 मई को "जल दिवस" का आयोजन करते हुये निरन्तर 30 जून तक बृहद जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य में वर्ष 2017 से निरन्तर 25 मई को 5611"जल दिवस" का आयोजन किया जा रहा है तथा 25 मई से 30 जून तक प्रतिवर्ष "जल संचय,संरक्षण एवं संवर्द्धन अभियान" सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

### 12.3.4 नमामि गंगे (गंगा ग्राम)

राज्य में समस्त नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित 132 ग्राम पंचायतों को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा गंगा ग्राम मे परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। आरम्भिक तौर पर वर्तमान तक राज्य में कुल 4 ग्राम पंचायतों को गंगा ग्राम घोषित किया गया है, जिनमे से जनपद उत्तरकाशी की मुखवा एवं बगोरी, जनपद देहरादून बीरपुर खुर्द तथा जनपद पौड़ी की ग्राम पंचायत माला सम्मिलित है। इनमें से माला, बगोरी एवं बीरपुर खुर्द में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा मुखबा में कार्य गतिमान है। गंगा ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के साथ–साथ अन्य रेखीय विभागों के माध्यम से स्वच्छता के साथ–साथ पेयजल, वृक्षारोपण, जड़ी–बूटी पौधशाला, अन्य पर्यटन तथा अन्य समग्र विकास सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं।

नमामि गंगे के अन्तर्गत गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों के किनारे अपस्थित गढवाल मंडल के कुल 07 जनपदों की 132 ग्राम पंचायतों (दो नई ग्राम पंचायतों सहित कुल 134) तथा 08 ग्राम पंचायतें नगरपालिका में जाने के कारण ड्राप किए जाने के उपरान्त अवशेष 126 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 97 ग्राम पंचायतों (वर्तमान वित्तीय वर्ष में 33) में कार्य पूर्ण किया गया है, 29 ग्राम पचायतों में कार्य गतिमान है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 763.775 लाख एवं बैंक ब्याज/अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्त धनराशि ₹ 128.608 लाख सहित कुल उपलब्ध ₹ 892.382 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 150.441 लाख (ग्राम पंचायतों को दिये गए अग्रिम सहित) की धनराशि व्यय की गयी है।

### 12.3.5 स्वच्छ आईकॉनिक स्थल–

स्वच्छ आईकॉनिक स्थल के रूप में कुल 05 स्थलों कों पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया गया है, उक्त स्थलों में सी.एस.आर. एजेन्सी के माध्यम से एवं अन्य विभागीय बजट से कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है, जिनका विवरण निम्नवत है–

तालिका 12.8

| जनपद | स्थल का नाम | पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण |
|---|---|---|
| उत्तरकाशी | गंगोत्री | कार्ययोजना पूर्ण,<br>**बी.एच.ई.एल.** द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।<br>कार्य निर्माण प्रगति पर, (धनराशि कार्य प्रगति के अनुसार अवमुक्त) |
| उत्तरकाशी | यमनोत्री | कार्ययोजना पूर्ण,<br>**गेल कम्पनी** द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।<br>कार्य निर्माण प्रगति पर, (धनराशि कार्य प्रगति के अनुसार अवमुक्त) |
| पौडी | कण्र्वआश्रम | कार्ययोजना तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है। |
| चमोली | माणा(बद्रीनाथ) | कार्ययोजना तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है। |

### 12.3.6 स्वजल 2.0 के अन्तर्गत अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में चयन

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। राज्य की चिन्हित दो जनपदों हरिद्वार और उधम सिंह नगर की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद हरिद्वार की वयनित पेयजल योजनाओं में से 06 में ट्यूबवैल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है एवं पम्प हाउस निर्माणाधीन है तथा समस्त पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली कार्य प्रगति पर है। जनपद उधम सिंह नगर की दो पेयजल योजनाओं में से एक पेयजल योजना में ट्यूबवैल ड्रिलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है तथा अन्य में ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर है।

### 12.3.7 जल स्रोत संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु स्वजल परियोजना द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का विवरण

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के चलते हुये दिनांक 25 मई को "जल दिवस का आयोजन नही किया जा सका। जन–जागरूकता हेतु अभियान अवधि में कतिपय ग्राम पंचायत स्तरीय जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विभिन्न रेखीय विभागों के विभागीय मद से कुल 12,27,171 जल संरक्षण

संरचनाओं के निर्माण एवं 1,17,552 लाख ली0 जल संचय क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक कुल 3,69,122 जल संरक्षण संचनाओं का निर्माण सहित 98.110 लाख ली0 जल संचय क्षमता विकसित की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

उक्त के साथ–साथ स्वजल द्वारा विकसित वैबसाईट http://sourceinfo.swajaluk.in पर अद्यतन 5611 जल स्रोतों की मैपिंग की जा चुकी है।

## 12.4–राजकीय सिंचाई

राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, पम्प नहरों, नल कूपों के निर्माण एवं जलाशय निर्माण व रख रखाव तथा बाढ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं। माह दिसम्बर 2020 तक विभाग के अधीन 3009 छोटी पर्वतीय एवं भावर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1686 नलकूप व 245 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 3.925 लाख हेक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.568 लाख है0 व 2.165 लाख है0, कुल 4.733 लाख है0 है, जिसके सापेक्ष कुल 3.222 लाख है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

**उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019**

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में प्रतिपादित मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर तैयार उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019 दिनांक 20.12.2019 को प्रख्यापित की गयी जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुये इनके नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु कुशल ढांचा प्रस्तावित करना है।
2. राज्य जल नीति में विशेष तौर पर जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इसके कु–प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने हेतु शमन के उपायों को शामिल किया गया है।
3. इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं परिरक्षण हेतु विभिन्न उपायो को भी राज्य जल नीति में सम्मिलित किया गया है।
4. जल लेखा–परीक्षण, आयतन आधारित तार्किक जल प्रभार तंत्र एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी शामिल किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में वास्तविक सींच में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 6.905 लाख है0 है, जिसमें सिंचित क्षेत्रफल 3.222 लाख है0 एवं असिंचित क्षेत्रफल 3.683 लाख है0 है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग को कुल ₹ 1537.899 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे माह जनवरी 2021 तक विभाग को कुल ₹ 1536.00 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

## तालिका 12.9
## उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

| वर्ष Year | क्षमता Potential | | | | उपयोग Uses | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation | निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private) | वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation | योग Total | राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation | निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private) | वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation | योग Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2013-14 | 363.40 | 490.00 | 32.20 | 885.60 | 248.90 | 368.00 | 37.20 | 654.10 |
| 2014-15 | 366.90 | 509.00 | 32.20 | 908.10 | 253.30 | 382.00 | 37.20 | 672.50 |
| 2015-16 | 394.40 | 518.00 | 32.20 | 944.60 | 266.20 | 389.00 | 37.20 | 692.40 |
| 2016-17 | 370.00 | 524.00 | 74.80 | 968.80 | 251.60 | 393.00 | 62.60 | 707.20 |
| 2017-18 | 373.50 | 529.00 | 74.80 | 977.30 | 261.80 | 397.00 | 62.60 | 721.40 |
| 2018-19 | 382.60 | 534.00 | 74.80 | 991.40 | 252.00 | 401.00 | 62.60 | 715.60 |
| 2019-2020 | 398.30 | 539.00 | 74.80 | 996.70 | 199.10 | 404.00 | 45.00 | 648.10 |
| 2020-21 (12-2020 तक) | 398.50 | 543.00 | 74.80 | 1016.30 | 268.80 | 407.00 | 45.00 | 720.80 |

स्रोतः राजकीय सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

## चार्ट 12.1
## वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उसके उपयोग की तुलनात्मक स्थिति

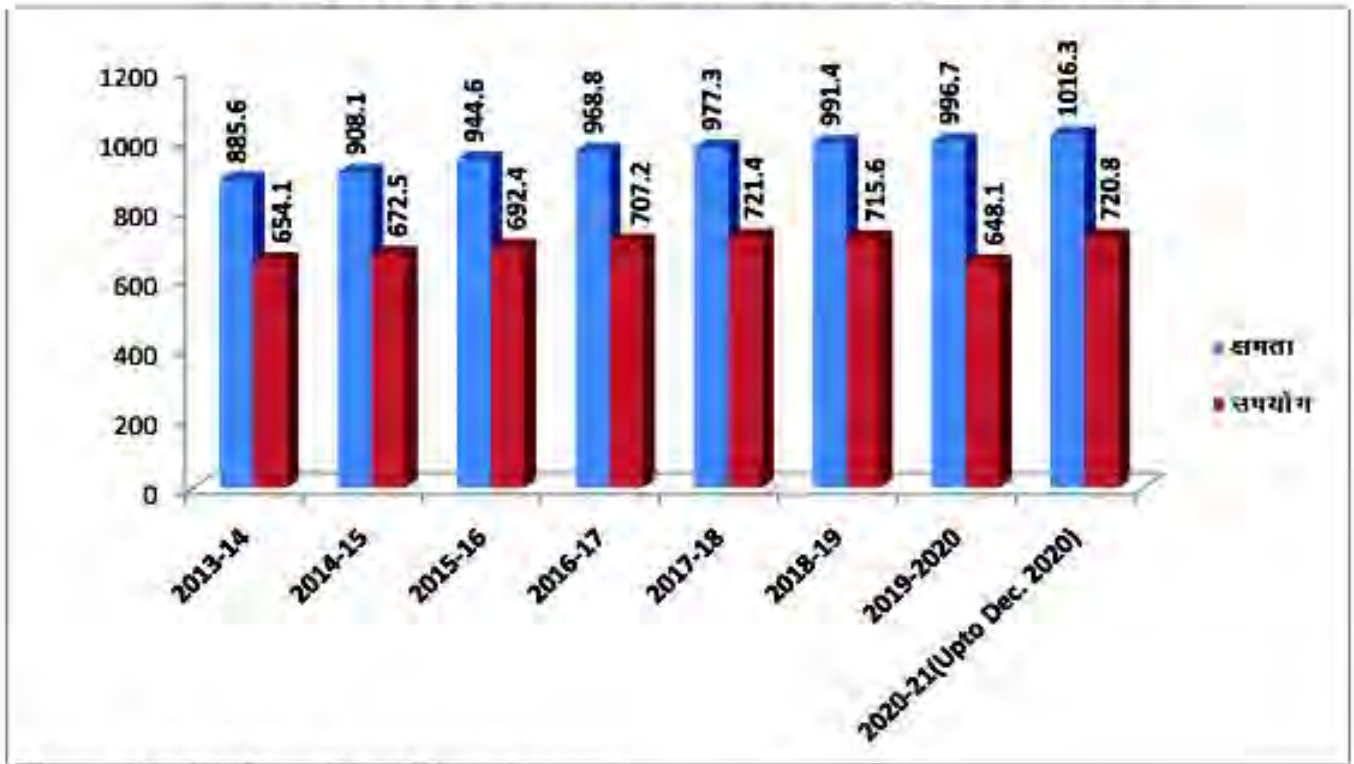


स्रोतः राजकीय सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

## तालिका 12.10
## वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता

| वर्ष year | सिंचन क्षमता | | | | | | उपभोग | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल राजकीय सिंचाई Total Sate Irrigation | | | बृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Mediumirrigation (Total State Irrigation Incuded) | | | राजकीय सिंचाई State Irrigation | | | बृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Medium irrigation (Total state irrigation incuded) | | |
| | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग |
| 2014–15 | 2.150 | 1.841 | 3.991 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.467 | 1.438 | 2.905 | 0.319 | 0.307 | 0.626 |
| 2015–16 | 2.296 | 1.970 | 4.266 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.462 | 1.572 | 3.034 | 0.319 | 0.307 | 0.626 |
| 2016–17 | 2.407 | 2.041 | 4.448 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.523 | 1.691 | 3.142 | 0.319 | 0.307 | 0.626 |
| 2017–18 | 2.422 | 2.061 | 4.483 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.599 | 1.645 | 3.244 | 0.319 | 0.307 | 0.626 |
| 2018–19 | 2.482 | 2.092 | 4.574 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.541 | 1.605 | 3.146 | 0.320 | 0.308 | 0.628 |
| 2019–20 | 2.567 | 2.164 | 4.731 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.634 | 1.588 | 3.222 | 0.250 | 0.200 | 0.450 |
| 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) | 2.568 | 2.165 | 4.733 | 0.422 | 0.326 | 0.748 | 1.638 | 1.500 | 3.138 | 0.250 | 0.200 | 0.450 |

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों से संकलित)।

## तालिका 12.11
## उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

| वर्ष Year | नहरों की लम्बाई (कि०मी०) Length of Canals (Km) | लघु डाल नहरों की संख्या Number of Lift Canals (No) | ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.) | सिंचाई राजस्व संग्रहण (लाख ₹) Revenue Collection By Irrigation (Lakh ₹) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2014-15 | 12215 | 195 | 1376 | 1788.819 |
| 2015-16 | 12421 | 211 | 1503 | 2126.303 |
| 2016-17 | 12578 | 220 | 1529 | 10687.792 |
| 2017-18 | 12626 | 226 | 1628 | 23789.179 |
| 2018-19 | 13205 | 234 | 1679 | 18326.900 |
| 2019-20 | 13239 | 245 | 1686 | 1537.899 |
| 2020-21(12-2020 तक) | 13241 | 245 | 1686 | 1536.00 अनुमानित |

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों से संकलित)।

तालिका 12.12
गत सात वर्षों के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

| क्रं0 सं0 | विवरण | वर्ष 2016–17 | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2019–20 | वर्ष 2020–21 (माह दिस0, 2020 की स्थिति) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में) | 41592.40 | 38902.04 | 39332.62 | 31763.22 | 6143.64 |
| 2 | वर्षवार निर्मित नहर (सं0 में) | 46 | 26 | 8 | 34 | 4 |
| 3 | वर्षवार निर्मित नहरों की लम्बाई गूलों सहित (कि0मी0) | 157.226 | 48.616 | 577.72 | 34.508 | 2.00 |
| 4 | वर्षवार निर्मित नलकूप (सं0 में) | 26 | 99 | 51 | 7 | – |
| 5 | वर्षवार निर्मित लघुडाल नहर (सं0 में) | 9 | 6 | 9 | 11 | – |
| 6 | कमाण्ड क्षेत्र में वर्षवार वृद्धि (लाख है0) | 0.170 | .040 | 0.059 | 0.007 | 0.002 |
| 7 | वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता (लाख है0) | 0.182 | 0.035 | 0.091 | 0.157 | 0.002 |
| 8 | वास्तविक सींच (लाख है0) | 3.142 | 3.244 | 3.146 | 3.222 | 3.138 |
| 9 | बाढ कार्य (सं0 में) | 50 | 26 | 41 | 34 | 8 |
| 10 | वर्ष के अंत में कमाण्ड क्षेत्र (लाख है0) | 3.815 | 3.855 | 3.914 | 3.921 | 3.923 |
| 11 | वर्ष के अंत में सिंचन क्षमता (लाख है0) | 4.448 | 4.483 | 4.574 | 4.731 | 4.733 |

**12.4.1 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोगः**– सिचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में 05 गाँवों के अन्तर्गत 423 है0 कमाण्ड में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 16.12 करोड़) हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**12.4.2 वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन**– राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्त्रोतों को पुर्नजीवित एवं वर्षा जल का पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढावा देने हेतु जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके अन्तर्गत अल्मोड़ा में बैराज निर्माण कर जनपद अल्मोड़ा शहर की जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। जनपद अल्मोडा के मोहनारी गदेरे में मोहनारी वियर का निर्माण, सौगड गदेरे में वियर का निर्माण, जनपद बागेश्वर में बैजनाथ झील का निर्माण, जनपद देहरादून के अम्बीवाला गॉव में बहुद्देशीय जलाशय तथा जनपद देहरादून में जाखन नदी में सूर्यधार बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

चम्पावत के लोहाघाट में कोलीढ़ेक में बहुउददेशीय जलाशय के निर्माण का कार्य जनपद पिथौरागढ में थरकोट झील का निर्माण का कार्य, जनपद अल्मोडा में गगास नदी में जलाशय तथा जनपद पौड़ी में ल्वाली झील का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद पौडी के अंतर्गत पुण्डेरी, मारखोला, पापड़तोली, पैठाणी, स्यूंरी, खैरासैण, सतपुली व सकमुण्डा कुल आठ स्थानों पर एवं देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी (मालडुंग) जलाशय तथा जनपद चमोली के गैरसैण में रामगंगा नदी में जलाशय के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।

## महत्वपूर्ण परियोजनायें

**1– जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजनाः–** अनुमानित लागत ₹ 2584.10 करोड़

**परियोजना के लाभ :–**

- जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर हेतु 117 MLD पेयजल सुविधा।
- 14 मेगा वॉट विद्युत उत्पादन (63.4 Million Unit)
- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के 150027 हैक्टेयर कमाण्ड में उत्तर प्रदेश में 47,607 हैक्टेयर एवं उत्तराखण्ड में 9,726 हैक्टेयर कुल 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।
- पर्यटन तथा मत्स्य पालन।

**2– सौंग बाँध पेयजल परियोजनाः– अनुमानित लागत ₹ 1580.00 करोड़**

- देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र की वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी हेतु 150 MLD पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- योजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त।

## निर्मित / निर्माणाधीन जलाशय

**1– सूर्यधार बैराज (लागत ₹ 50.24 करोड़) :–**

- जनपद देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र के 12 ग्रामों में पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु जाखन नदी पर बैराज निर्माणाधीन है।
- योजना की स्वीकृति माह दिसंम्बर 2017 में प्रदान की गई।
- योजना से 1132 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा।
- योजना का निर्माण पूर्ण करते हुये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता को समर्पित कर दिया गया है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं सवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

**2–जनपद चम्पावत के कोलीढेक झील का निर्माण (लागत ₹ 27.14 करोड़):–**

- लोहाघाट शहर को पेयजल हेतु 3.375 एम0एल0डी0 स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोलीढेक झील का कार्य निर्माणाधीन है।
- योजना की स्वीकृति माह मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 12.85 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण जून, 2021 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं सवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

**3–जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण (लागत ₹ 29.73 करोड़):–**

- पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु बैराज निर्माण गतिमान।
- योजना की स्वीकृति माह मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 7.23 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण जून, 2021 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं सवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

**4– जनपद अल्मोडा में गगास नदी में जलाशय का निर्माण (लागत ₹ 31.28 करोड़):–**

- जनपद अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण कार्य गतिमान है।
- योजना की स्वीकृति माह माह मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना के निर्माण से रानीखेत क्षेत्र को पेयजल हेतु 15 एम0एल0डी0 जल उपलब्धता व 96 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान होगी।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 4.02 करोड का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण जून, 2021 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

**5–जनपद पौडी में ल्वाली झील का निर्माण (लागत ₹ 7.06 करोड़):–**

- जनपद पौडी में जल संवर्द्धन एवं संरक्षण व पर्यटन हेतु 05 संख्या झील निर्माणाधीन है।
- योजना की स्वीकृति माह जून, 2019 में प्रदान की गई।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 3.70 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं सवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

**6–हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशय पर 40 MW क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना:**

- जनपद ऊधमसिंह नगर के हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशय पर 40 MW क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान।
- उक्त सोलर पावर प्लांट से प्रतिवर्ष लगभग 6.8 करोड़ यूनिट बिजली का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा।
- उक्त योजना की स्थापना से बिना किसी बजट/वित्तीय व्यय भार के प्रति वर्ष लगभग 2.0 से 2.5 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा

**7– नमामि गंगे योजना**

नमामि गंगे योजना कार्यक्रम के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक योजनायें पूर्ण कर देश में प्रथम स्थान पर है।

- **पूर्ण कार्य:–**

  नमामि गंगे योजना में 09 स्नान एवं 13 शमशान घाट का निर्माण कार्य – पूर्ण।

  योजना की कुल लागत – ₹ 58.57 करोड।

- **निर्माणाधीन कार्य:–**
- जनपद उत्तरकाशी में स्थित मनेरी में सरस्वती शिशु मन्दिर के समीप नदी के दाहिने तट पर, स्नान घाट एवं मोक्ष घाट का निर्माण कार्य लागत – ₹ 7.13 करोड।
- जनपद हरिद्वार में हर की पैडी के पुनरूदार का कार्य लागत – ₹ 34.00 करोड।

**8– महाकुम्भ 2021**

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित मुख्य स्थायी निर्माण कार्य सम्पादित किये जा रहे है:

- 07 संख्या स्नान घाटों का निर्माण – लागत ₹ 16.15 करोड
- 03 संख्या आस्था पथ का निर्माण – लागत ₹ 45.08 करोड़
- 03 संख्या सडको का निर्माण – लागत ₹ 92.96 करोड
- 01 संख्या सेतू का निर्माण – लागत ₹ 8.68 करोड

**योग – ₹ 162.87 करोड़**

## 12.5–लघु सिंचाई:

लघु सिंचाई कार्यों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र में छोटे जल स्रोतों का उपयोग कर, छोटी–छोटी सिंचाई योजनायें बनाकर कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। स्थानीय स्तर पर लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण द्वारा उपलब्ध जल स्रोतों का समुचित उपयोग किया जाता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई हौज एवं पाईप लाईन, सिंचाई गूल, हाईड्रम तथा मैदानी क्षेत्रों में कूपमय बोरिंग, नलकूप, आर्टीजन कूप, छोटे गेटेड वियर आदि का निर्माण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2020 तक 31212 कि0मी0 सिंचाई गूल, 40003 सिंचाई हौज, 1433 हाईड्रम, 56,217 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 41 छोटे गेटेड वियर एवं 443 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,39,482 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 179.33 कि0मी0 सिंचाई गूल, 368 सिंचाई हौज, 06 आर्टीजन कूप एवं 168 बोरिंग पम्पसेट का निर्माण/स्थापना कर 3565 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

तालिका 12.13
उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

| वर्ष Year | बोरिंग पम्प सेट/ निःशुल्क बोरिंग Boring Pump sets/ Free Boring (No.) | गहरे/मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.) | हाईड्रम Hydrums (No.) | हौज Water Tanks (No.) | गूल निर्माण Gule Construction (Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2010–11 | 54515 | 698 | 1532 | 31511 | 24978 |
| 2011–12 | 54642 | 703 | 1547 | 32850 | 26365 |
| 2012–13 | 54876 | 706 | 1491 | 34444 | 27555 |
| 2013–14 | 55159 | 716 | 1475 | 35228 | 28108 |
| 2014–15 | 55456 | 721 | 1476 | 36761 | 29785 |
| 2015–16 | 55141 | 726 | 1477 | 37521 | 30217 |
| 2016–17 | 55421 | 731 | 1446 | 38106 | 30535 |
| 2017–18 | 55784 | 731 | 1448 | 38784 | 30711 |
| 2018–19 | 55979 | 731 | 1448 | 39471 | 30951 |
| 2019–20 | 56217 | 731 | 1433 | 40003 | 31212 |
| 2020–21 (माह दिसम्बर) | 56385 | 731 | 1433 | 40371 | 31392 |

**स्रोत:** लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

**12.5.1 आर्टीजन कूपों का निर्माण:–** ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु ₹ 55.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

**12.5.2 गूल, हौज एवं पाईपलाईन निर्माण: स्पेशल कम्पोनेट सब प्लान–एस.सी.एस.पी.:–** वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि के निर्माण

हेतु ₹ 220.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। उक्त योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक 46.61 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

**12.5.3 ट्राईबल सब प्लान–टी.एस.पी.–** वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन के निर्माण हेतु ₹ 90.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। उक्त योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक 28.40 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

**12.5.4 नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना का निर्माणः–** राज्य योजना के अन्तर्गत नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक ₹ 3062.81 लाख लागत की 36 योजनायें स्वीकृत की गयी है। जिसके अन्तर्गत चैक डेम, सोलर पम्पसेट, ड्रिप एवं माईक्रो स्प्रिंकलर, सिंचाई गूल एवं क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोधार/सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में ₹ 1700.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर 2020 तक उक्त योजना में अवमुक्त धनराशि ₹ 666.75 लाख के सापेक्ष ₹ 429.62 लाख का व्यय करते हुए 15 चैक डेम, 8 सिंचाई हौज एवं 20.88 कि0मी0 सिंचाई गूल का निर्माण कर, 480 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

**12.5.5 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः–** वित्तीय वर्ष 2013–14 से वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित कुल ₹ 48883.23 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 48217.71 लाख का व्यय करते हुए 2601 सिंचाई हौज, 676579 मीटर पाईपलाईन, 3155 कि0मी0 सिंचाई गूल एवं 02 छोटे वियर का निर्माण कर 37703 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹ 5300.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक अवमुक्त धनराशि ₹ 2978.62 लाख के सापेक्ष ₹ 2313.13 लाख का व्यय करते हुए 1996 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

**12.5.6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानीः–** उक्त मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 हेतु ₹ 34939.33 लाख लागत की 422 लघु सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत 19524 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी–भूजल (Ground Water) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु राज्य के मैदानी जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 15.89 करोड़ लागत के 57 सोलर टयूबवैल एवं 149 इलेक्ट्रिक टयूबवैल, कुल 206 टयूबवैल के निर्माण हेतु भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त टयूबवैल के निर्माण से 1030.00 हैक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त योजनान्तर्गत ₹ 500.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

इसके अतिरिक्त नाबार्ड एवं जिला योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपद टिहरी एवं चमोली में जहॉ पर कृषि भूमि जल स्रोत के सापेक्ष अधिक ऊंचाई पर स्थित है, को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोलर पम्पसेट स्थापित किये गये है। अन्य

जनपदों में भी सोलर पम्पसेट स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

### 12.5.7 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम (कुसुम):–

उक्त योजना के अन्तर्गत जैविक ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम किये जाने एवं नवीनीकृत ऊर्जा का यथासंभव दोहन किये जाने के उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में कृषकों के व्यक्तिगत संचालित डीजल पम्पस/ सिंचाई पम्पस के स्थान पर 7.5 एच0पी0 तक के सोलर पम्पस स्थापित किये जाने है।

**वर्ष 2020–21 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investments, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण:–** वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु विभाग द्वारा राज्य योजना एवं केन्द्रपोषित योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 2846.90 लाख का व्यय करते हुए सिंचाई गूल, हौज एवं पाईप लाईन तथा चैक डेम आदि का निर्माण कर माह 2542 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

## 12.6–जलागम प्रबन्धन

सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का जलागम के आधार पर उपचार हेतु सम्पूर्ण विकास की योजना का निर्माण किया गया जिसमें हरिद्वार को छोडकर प्रदेश के शेष भू–भाग को 1110 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में विभक्त किया गया जिनका उपचार शनैः–शनैः किया जाना प्रस्तावित था। इन 1110 सूक्ष्म जलागमों में से 188 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हिमाच्दादित अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र में हैं जिनमें उपचार नहीं किया जा सकता है। अवशेष 922 सूक्ष्म जलागम में से विभागीय वाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 354 सूक्ष्म जलागम का उपचार जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा तथा 291 सूक्ष्म जलागम का उपचार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मार्च 2019 तक किया गया है। वर्तमान में जलागम प्रबन्ध की विभागीय वाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 151 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जा रहे हैं। उक्त उपचारित एवं वर्तमान में उपचार किये जा रहे सूक्ष्म जलागम में से 148 सूक्ष्म जलागमों को पुनः उपचारित किया गया। वर्तमान में 274 सूक्ष्म जलागमों का उपचार किया जाना अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत है।

**तालिका 12.14**
**जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण**

| क्र0सं0 | जलसमेट क्षेत्र का नाम | जलागमों की संख्या | उप जलागमों की संख्या | सूक्ष्म जलागमों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यमुना | 5 | 19 | 161 |
| 2 | गगा "अ" | 2 | 5 | 56 |
| 3 | गगा "ब" | 2 | 12 | 88 |
| 4 | भागीरथी | 2 | 18 | 159 |
| 5 | अलकनन्दा | 5 | 22 | 207 |
| 6 | रामगंगा | 3 | 11 | 87 |
| 7 | कोसी | 4 | 13 | 117 |
| 8 | काली | 3 | 16 | 235 |
| **कुल** | | **26** | **116** | **1110** |

तालिका 12.15

उत्तराखण्ड में जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अध्यावधिक स्थिति

| क्र. सं. | जनपद | सूक्ष्म जलागम संख्या | सूक्ष्म जलागम जिनका उपचार सम्भावित नहीं | उपचार योग्य सूक्ष्म जलागम सं0 | उपचारित सूक्ष्म जलागम | | | कार्यान्वित की जा रही विभागीय परियोजना के सूक्ष्म जलागम | | | | ऐसे सूक्ष्म जलागम जिन्हें पुनः उपचारित किया जा रहा है | अन उपचारित सूक्ष्म जलागम संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | जलागम प्रबन्ध | ग्राम्य विकास | कुल | ग्रामा–2 | आई.एल.एस.पी. | आई.डब्ल्यू.एम.पी. | कुल सूक्ष्म जलागम | | |
| 1 | अल्मोड़ा | 99 | 1 | 98 | 25 | 37 | 62 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 31 |
| 2 | बागेश्वर | 59 | 2 | 57 | 27 | 12 | 39 | 11 | 0 | 4 | 15 | 7 | 10 |
| 3 | चमोली | 139 | 36 | 103 | 9 | 51 | 60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 37 |
| 4 | चम्पावत | 41 | 0 | 41 | 20 | 21 | 41 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 5 | देहरादून | 94 | 12 | 82 | 51 | 12 | 63 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16 |
| 6 | नैनीताल | 71 | 8 | 63 | 35 | 16 | 51 | 0 | 13 | 0 | 13 | 23 | 22 |
| 7 | पौड़ी गढ. | 126 | 18 | 108 | 88 | 30 | 118 | 7 | 5 | 0 | 12 | 49 | 27 |
| 8 | पिथौरागढ | 129 | 42 | 87 | 15 | 32 | 47 | 9 | 0 | 10 | 19 | 5 | 26 |
| 9 | रुद्रप्रयाग | 45 | 4 | 41 | 18 | 10 | 28 | 6 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 10 | टिहरी गढ. | 131 | 17 | 114 | 49 | 41 | 90 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 31 |
| 11 | उधमसिंहनगर | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | उत्तराकाशी | 165 | 48 | 117 | 15 | 29 | 44 | 17 | 0 | 9 | 26 | 7 | 54 |
| | योग | 1110 | 188 | 922 | 354 | 291 | 645 | 82 | 22 | 47 | 151 | 148 | 274 |
| वर्ष 2001 से पूर्व उपचारित ऐसे सूक्ष्म जलागम जिनमें रिविजिट के उपरान्त पुनः उपचार की आवश्यकता प्रतीत हुई उनका पुनः उपचार किये जाने का निर्णय लिया गया। | | | | | | | | | | | | | |

### 12.6.1 विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण–

परियोजना का उददेश्य उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। 7 वर्षीय यह परियोजना दिनांक 15 जुलाई 2014 से प्रभावी हुयी है जिसे सितम्बर 2021 में पूर्ण होना है। पंचायती चुनाव व कोविड–19 के कारण परियोजना कार्य प्रभावित होने के कारण परियोजना अवधि एक वर्ष बढाई जानी प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत 156 मिलियन यू0 एस0 डॉलर (लगभग ₹ 1070 करोड़) है, जिसमें विश्व बैंक का अंश 109.2 मिलियन यू0 एस0 डॉलर, राज्यांश 40.2 मिलियन यू0 एस0 डॉलर तथा लाभार्थी अंश 6.6 मिलियन यू0 एस0 डॉलर है। यह परियोजना प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों (देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के 82 सूक्ष्म जलागम के 2638.37 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है जो 527 ग्राम पंचायतों के 1057 राजस्व ग्रामों में आच्छादित है जिससे लगभग 66000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 166.03 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 113.89 करोड़ तथा परियोजना प्रारम्भ से मार्च 2020 तक कुल ₹ 669.23 करोड व्यय किये गये

जिसमें ₹ 482.81 करोड़ विश्व बैंक से प्राप्त हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 107.48 करोड़ व्यय किया तथा परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 776.71 करोड़ व्यय किया गया, लाभार्थी अंशदान सहित परियोजना में दिसम्बर 2020 तक कुल 815.59 करोड़ व्यय किया गया जिसमें विश्व बैंक का अंश ₹ 563.32 करोड़ है।

## तालिका 12.16
## परियोजना परिणामी सूचक

| परियोजना विकास उद्देश्य सूचक | परियोजना प्रारम्भ से संचयी प्रगति दिसम्बर 2020 तक |
|---|---|
| सूचक–1<br>जल स्रोतों में जल उपलब्धता वृद्धि – 25% | हाईड्रोलौजिकल कन्सल्टैन्सी के आंकलन के अनुसार परियोजना अन्तर्गत उपचारित 1484 जल स्रोतों में जल उपलब्धता में 22 से 27 प्रतिशत् वृद्धि हुई।<br>7857 ताल खाल व 243 नौला जीर्णोद्धार तथा 672254 घन मी0 जल सम्भरण क्षमता हेतु विविध डग आउट पौण्ड व अन्य परकुलेशन संरचनाओं का निर्माण |
| सूचक–2<br>जैवभार में वृद्धि– 20% | 10056 हेक्टर जैवभार में वृद्धि (लक्षित जैवभार वृद्धि का 46%) |
| सूचक–3<br>बारानी क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि–5262 हे0 से बढकर 7800 हेक्टेयर | सकल सिंचन क्षेत्र में वृद्धि 8459.47 हे0।<br>सिंचन हेतु जल संग्रहण क्षमता में निवल वृद्धि 63528 घन मी0। |
| सूचक–4<br>सिंचन क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि – 50% एवं असिंचन क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि– 20% | 47% कृषकों द्वारा उन्नत सिंचन फसल उत्पादन तकनीकी का अंगीकरण।<br>30219 सागभाजी फसल प्रदर्शन सिंचन क्षेत्र में तथा 9446 पौलिहाउस व पौलिटनल का निर्माण।<br>3778 हे0 हाई वैल्यू कॉप जिससे 16557 कृषक लाभान्वित<br>62% कृषकों द्वारा उन्नत फसल उत्पादन तकनीकी का अंगीकरण।<br>24845 कृषि फसल प्रदर्शन ।<br>4486 हे0 हेतु हाई ईल्डिंग कॉप एडप्सन सपोर्ट<br>2530 हे0 परती भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित। |
| सूचक–5<br>परियोजना से सीधे लाभान्वित परिवार 80% जिसमें महिलायें 50% | 77% कृषकों द्वारा उन्नत फसल उत्पादन कृषिकरण का अंगीकरण।<br>6328 व्यक्तिगत व 7743 समूह आय अर्जक गतिविधियों से 10444 व्यक्ति लाभान्वित जिसमें 40% से अधिक महिलायें हैं। |

### परियोजना के अन्तर्गत उल्लेखनीय अभिनव प्रयास

**1– स्प्रिंगशेड उपचार की अवधारणा से प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार**– विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित 82 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के समग्र विकास के दृष्टिगत जल स्रोतो के उपचार हेतु विशेषरूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्य

यथा वनीकरण, बांज क्षेत्रों में प्राकृतिक पूनरूत्पादन सहयोग, ट्रैंच, चाल–खाल, डगआउट पॉण्ड निर्माण तथा मृदा संरक्षण गतिविधियाँ किये जाने हेतु स्थल विशेष योजनाऐं बनाई गई हैं। परियोजना की हाईड्रोलॉजी मूल्यांकन विशेषज्ञ एजेंसी, 'वाप्कोस लि0' के मध्यावधि समीक्षा आंकलन (जुलाई 2019) के अनुसार परियोजना में चिन्हित 1530 प्राकृतिक जल स्रोतों में से 1484 जल स्रोतों के जल उत्सर्जन में 22 से 27 प्रतिशत वृद्धि हुयी है।

**2– क्लस्टर एप्रोच–** परियोजना के अन्तर्गत कृषि एवं औद्यानिकी को पर्वतीय सीमान्त कृषकों हेतु लाभकारी गतिविधि के रूप में विकसित करने के लिए सड़क मार्गों के समीप स्थित दो–तीन निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत लगभग 4006 है0 क्षेत्र में औद्यानिक फसलों तथा सब्जी फसलों के क्लस्टर बनाये जा चुके है।

**3– परती भूमि का पुनरुद्धार एवं कृषि उत्पादकता वृद्धि–** परियोजना के अंतर्गत बारानी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाने के कारण अब तक 2530 हेक्टेयर परती भूमि में कृषि तथा उद्यान स्थापना गतिविधियों के माध्यम से कृषिमय भूमि में परिवर्तित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत विकसित सिंचाई सुविधाओं तथा उन्नत बीजों एवं नवीन कृषि तकनीकों के अंगीकरण के कारण बारानी कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

**4– बारानी कृषि क्षेत्रों हेतु अंगीकरण सहयोग–** इस गतिविधि के कारण भविष्य में भी बारानी कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। इस सहयोग गतिविधि में प्रति कृषक 0.06 है0 क्षेत्र हेतु कुल राशि ₹ 1000 तक के कृषि निवेश दिये जाते है। इस गतिविधि के अन्तर्गत सीड़ रिपलेसमेन्ट को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है। गतिविधि के अन्तर्गत अब तक 58000 कृषकों को यह अंगीकरण सहयोग प्रदान किया जा चुका है।

**5– समूहों का गठन एवं उनके उत्पादों का विपणन–** परियोजना के कृषि व्यवसाय घटक के अंतर्गत गठित 1454 इच्छुक कृषक समूहों में संगठित 16557 कृषकों द्वारा अब तक ₹ 49.61 करोड़ के कृषि उत्पादों का विपणन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 21 कृषक संगठनों द्वारा ₹ 2.66 करोड़ का व्यवसाय किया गया जिससे उन्हें ₹ 36 लाख का लाभ हुआ।

**6– कृषि व्यवसाय आधारित ग्रोथ सेंटर की स्थापना–** ग्राम्या–2 परियोजना के अंतर्गत समस्त प्रभागों में ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तदक्रम में विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 10 ग्रोथ सैन्टर संचालित किये जा रहे हैं।

### 12.6.2 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित (IFAD) एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

जलागम प्रबन्ध निदेशालय परियोजना के सहयोगी जलागम विकास घटक के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है जिसका उद्देश्य चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि तथा कृषकों से सम्बन्धित कृषि, चारा, पशुपालन, उद्यान इत्यादि के अन्तर्गत उत्पादकता/क्षमता में वृद्धि कर आजीविका विकास करना।

परियोजना 2012 में प्रारम्भ होकर मार्च 2021 में पूर्ण होगी। जिसकी कुल लागत ₹ 287 करोड है। जिसका कार्यान्वयन पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत जनपदों के सात विकासखण्डों के अंतर्गत 22 सूक्ष्म जलागमों के 70,194 हैक्टर में किया जाना है, जिससे 190 ग्राम पंचायतों के 381 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं।

**तालिका 12.17**
**परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण**

| जनपद का नाम | विकासखण्ड का नाम | सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की संख्या | क्षेत्रफल (हे0) | वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हे0) | कृषि क्षेत्र (हे0) | परती क्षेत्र (हे0) | ग्राम पंचायतों की संख्या | राजस्व ग्रामों की संख्या | कुल परिवारों की संख्या | कुल जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पौड़ी | पाबौ, एकेश्वर | 5 | 16470 | 11092 | 4019 | 1359 | 48 | 101 | 5388 | 21643 |
| चम्पावत | बाराकोट, पाटी, चम्पावत | 4 | 21011 | 12613 | 5678 | 2720 | 55 | 126 | 5986 | 30052 |
| नैनीताल | बेतालघाट, रामगढ़ | 13 | 32713 | 18902 | 8312 | 5262 | 87 | 154 | 11046 | 55516 |
| **योग–** | **7** | **22** | **70194** | **42607** | **18009** | **9578** | **190** | **381** | **22420** | **107211** |

परियोजना के अन्तर्गत मार्च 2020 तक कुल ₹ 219.50 करोड़ व्यय किये गये जिसमें ₹ 163.01 करोड़ प्रतिपूर्ति योग्य है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 40.40 करोड़ व्यय किया गया तथा परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 259.90 करोड व्यय किया गया।

**12.6.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– समेकित जलागम विकास कार्यक्रमः–** समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) को वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जलागम विकास घटक के रूप कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका वित्त पोषण 90 प्रतिशत केन्द्र द्वारा तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में आपदा ग्रस्त जनपदों हेतु स्वीकृत 7 परियोजनाओं के अन्तर्गत 47 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र में परियोजना कार्य किये जा रहे हैं। जिससे 264 ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो रही है।

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 9.19 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 6.44 करोड़ व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में नवम्बर 2020 तक ₹ 2.51 करोड़ का उपयोग किया गया।

तालिका 12.18

आपदा प्रभावित जनपदों हेतु स्वीकृत समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम का जनपदवार विवरणः

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की संख्या | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | सम्मिलित विकास खण्ड | कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0) | कुल परियोजना लागत (₹ लाख में) | चयनित राजस्व ग्रामों की संख्या | चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बागेश्वर | 4 | 1 | गरूड | 8023 | 1203.45 | 75 | 42 |
| 2 | चमोली | 20 | 3 | कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, देवाल | 48997 | 7349.55 | 300 | 154 |
| 3 | पिथौरागढ़ | 10 | 1 | धारचूला | 20157 | 3023.55 | 32 | 27 |
| 4 | रूद्रप्रयाग | 4 | 1 | ऊखीमठ | 8124 | 1218.60 | 34 | 19 |
| 5 | उत्तरकाशी | 9 | 1 | भटवाडी | 14972 | 2245.800 | 25 | 22 |
| योग | | **47** | **7** | | **100273** | **15040.95** | **466** | **264** |

उक्त योजना में अनुदान के अन्तर्गत विगत वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 10.71 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 5.93 करोड़ का वास्तविक उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में विगत वर्ष के अवशेष धनराशि ₹ 4.78 करोड के सापेक्ष माह नवम्बर 2020 तक ₹ 2.26 करोड का उपयोग किया गया।

### 12.6.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजनाः–

ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत 59 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति उप योजना से आच्छादित हैं। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में विगत वर्ष की अवषेश धनराशि ₹ 3.15 करोड के सापेक्ष ₹ 0.51 करोड़ का वास्तविक उपयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में विगत वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 2.64 करोड़ के सापेक्ष माह नवम्बर 2020 तक ₹ 0.25 करोड़ का वास्तविक उपयोग किया गया।

### 12.6.5 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत जन जाति उप योजनाः–

केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें जन जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें जन जाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत 12 ग्राम पंचायतें जन जाति उप योजना में आच्छादित हैं। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक

कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई। भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही उसका उपयोग किया जाना सम्भव होगा।

**12.6.6 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना (नई योजना):–** सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर वैश्विक पारिस्थितिकी/ पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा वन भू–दृश्य के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में सुधार/प्रोत्साहन के दृष्टिगत जनपद पौडी गढवाल के राजाजी व कार्बेट के गलियारे में 5.87 मिलियन US$ (लगभग ₹ 41.28 करोड़) लागत की जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जाना है जो वर्ष 2026–27 में पूर्ण होगी। माह अगस्त 2019 में राज्य सरकार व संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि के मध्य जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति शतप्रतिशत अनुदान के माध्यम से होगी। परियोजना कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्कों के सीमावर्ती क्षेत्रों मं भू–परिदृश्य अवधारणा से कार्य करेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में परियोजना अन्तर्गत ₹ 25 लाख व्यय सम्भावित है।

## कुछ सफल प्रयास

### बंजर भूमि बनी एकीकृत कृषि प्रबंधन प्रक्षेत्र

### ग्राम पंचायत बल्तिर, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0–2, पिथौरागढ़ प्रभाग

ग्राम पंचायत बल्तिर जनपद मुख्यालय से लगभग 60 किमी. की दूरी पर स्थित है यहाँ सामान्य जाति के 88 एवं अनुसूचित जाति के 93 परिवार निवास करते हैं। वर्तमान में परियोजना द्वारा ग्रामीणों की 4 दशकों से बजंर पड़ी 12 हेक्टेयर भूमि से लेन्टाना का उन्मूलन कर 10 हे0 भूमि में उद्यानीकरण के अर्न्तगत आडू आदि के पौधे लगाये गये है। साथ ही सिचांई हेतु 01 पक्का मुख्य टैंक एवं 02 एल.डी.पी. टैकों की व्यवस्था की गई है इसके साथ–साथ 0.64 हे0 भूमि में मत्स्य तालाब का निर्माण किया गया है जिसमें कॉमन कार्प एवं ग्रास कार्प प्रजाति के मत्स्य बीज डाल कर मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से 0.30 हे0 भूमि में औषधीय पौध ''सतावर'' का रोपण किया जा रहा है इसके साथ ही उक्त भूमि में पॉली हाउस के माध्यम से बेमौसमी सब्जी उत्पादन एवं पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है जिनमें टमाटर, शिमला मिर्च, बैगंन, गोभी आदि है, इसके अतिरिक्त कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाकर मल्चिंग के माध्यम से टमाटर एवं शिमला मिर्च का उत्पादन खुले खेतो में किया जा रहा है। कृषि को बढावा देने हेतु परियोजना द्वारा 200 अनानास के पौधों के रोपण के साथ–साथ पुष्पोत्पादन के अर्न्तगत 35000 लीलियम एवं ग्लैडियोलस के पौंधों का भी रोपण किया गया है साथ ही जैविक खाद हेतु 02 वर्मी बैड एवं 01 स्पिंकलर सेट स्थापित किया गया है।

## जल स्रोत पुनरुद्धार तथा सौर ऊर्जा उपयोग से सम्भव हुआ फसल विविधिकरण
## ग्राम पंचायत कागथुन, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0–2,पौड़ी प्रभाग

पौड़ी जनपद की ग्राम पंचायत कागथुन में पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या थी। गांव का जल स्रोत यहां के निवासियों के घरों से बहुत दूर है, जिसके कारण पीने के लिए पानी एकत्र करना भी एक श्रम साध्य गतिविधि थी। ग्राम पंचायत कागथुन में परियोजना के माध्यम से वर्ष 2016–17 में गांव के जल स्रोत के पुनरुद्धार हेतु 9 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँज, जामुन, बाँस, कचनार, बहेड़ा व शीशम प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया तथा विविध जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाएं भी निर्मित की गई। परिणाम स्वरूप जल स्रोत की डिस्चार्ज दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सर्दियों में यह 22.03 ली/मिनट है और ग्रीष्मकाल के दौरान यह 13.63 लीटर/मिनट है। परियोजना के अंतर्गत बनाए गए 34500 लीटर पानी के भंडारण टैंक को भरने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित पंप की स्थापना की गई है। पीने के लिए पानी तथा अन्य घरेलू उपयोग के लिए अब 26 परिवारों के पास अपने ही घर पर उपलब्ध है। गांव में लगभग प्रत्येक परिवार अब गोभी, प्याज, फूलगोभी, आलू फ्रेंच बीन, धनिया और मूली आदि सब्जियों और लहसुन, हल्दी और अदरक जैसी नकदी फसलों का उत्पादन कर रहा है। किचन गार्डन के माध्यम से, ये परिवार, औसतन प्रति परिवार ₹ 50.00 से ₹ 75.00 प्रति दिन की बचत कर रहे हैं। उनके द्वारा उगाई गई अधिशेष सब्जियां और नकदी फसलें आस–पास के बाजारों में बेची जा रही हैं। सौर पंप के कारण सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र लगभग 5.00 हेक्टेयर है।

## मां सुरकण्डा महिला समूह–लघु उद्योग
## ग्राम पंचायत धारकोट, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0–2,पी0एम0यू0 प्रभाग

ग्राम पंचायत धारकोट की 14 महिलाओं द्वारा समूह (मां सुरकण्डा महिला समूह) गठन कर मई 2018 से फल प्रसंस्करण का कार्य शुरू किया। परियोजना द्वारा महिला समूह की रूचि को देखते हुए फल प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में आवश्यक सामाग्री, मशीनरी आदि की सहायता दी गई। महिलाओं द्वारा समूह में हल्दी, आम, आंवला, हरी मिर्च, तिमला, अदरक, लहसून आदि स्थानीय फल एवं उत्पादों का अचार तैयार करके विपणन किया गया। वर्ष 2019–20 में महिलाओं के रूचिपूर्वक आजीविका कार्य को देखते हुए परियोजना द्वारा धारकोट ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की समाज भूमि में कलैक्शन सेंण्टर का निर्माण करवाया गया। जिसमें माह अगस्त 2019 में महिलाओं को बेकरी का प्रशिक्षण दिलवाया गया। जिसके उपरांत फल प्रंस्करकण यूनिट के साथ–साथ बैकरी यूनिट स्थापित कर महिलाओं ने मडूंवा एवं मक्की के बिस्कुट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। महिलाओं द्वारा माह फरवरी 2020 तक कुल ₹ 39170.00/– का कच्चा माल आपस में ही महिलाओं से व स्थानीय स्तर तथा बाजार से क्रय किया साथ ही वर्तमान तक 95570/– का विभिन्न उत्पादों के विक्रय से प्राप्त किया। जिससे अभी तक समूह द्वारा कुल ₹ 56400/– शुद्व मुनाफा कमाया गया। वर्तमान में भी औसतन ₹ 20000.000/– का तैयार माल (मिर्च, तिमला एवं आंवला का अचार, बिस्किट, दालबडी एवं अरसा मिठाई) कलैक्शन सेंटर में विक्रय हेतु उपलब्ध है। समूह की महिलाओं द्वारा अब कही भी राज्य के अन्दर व स्थानीय स्तर पर स्टॉल स्वयं से भी लगाया जा रहा है।

# अध्याय–13
# उद्योग एवं खनन
# Industry & Mining

राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के तीव्र विकास के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत उच्च विकास दर प्राप्त किये जाने हेतु विनिर्माण क्षेत्र में दुलर्भ संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना सम्भव है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास का सन्तुलन स्थापित करने हेतु श्रमिकों की आय के स्रोत, जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात द्वारा राजस्व एवं रोजगार वृद्धि सहायक है। राज्य में विभिन्न औद्योगिक आयोजनों के संचालन द्वारा इस प्रकार के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने की दिशा में समुचित नीतियों के क्रियान्वयन, उच्च स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सतत् विकास से इस क्षेत्र ने विशेष सफलता अर्जित की है और उत्तराखण्ड देश के औद्योगिक मानचित्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है।

राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) में द्वितीयक सैक्टर का योगदान वर्ष 1999–2000 में 19.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में लगभग 48.64 प्रतिशत हो गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर का योगदान लगभग 36.76 प्रतिशत है।

**13.1** प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2 तथा उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों की संख्या 67456 है, जिनमें ₹ 14124.70 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 337650 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

**तालिका 13.1**
**उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति**

| वर्ष | उद्योगों की संख्या | | | | | पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में) | सृजित रोजगार (संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बृहद उद्योग | मध्यम उद्योग | लघु उद्योग | सूक्ष्म उद्योग | योग | | |
| 2018–19 | 7 | 29 | 446 | 3165 | 3647 | 1536.47 | 20894 |
| 2019–20 | 28 | 35 | 501 | 3595 | 4131 | 1731.15 | 28700 |
| 2020–21 (जनवरी, 2021) | 2 | 31 | 175 | 2923 | 3131 | 635.47 | 15846 |

**स्रोत:** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तालिका 13.2

| विवरण | स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या | | पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में) | | सृजित रोजगार | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एमएसएमई | बृहत | एमएसएमई | बृहत | एमएसएमई | बृहत |
| पूर्ववर्ती राज्य से दिनांक 8–11–2000 तक पंजीकृत लघु–लघुत्तर इकाईयां | 14163 | 39 | 700.29 | 8369.78 | 38509 | 29197 |
| 9–11–2000 से माह जनवरी, 2021 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 53563 | 290 | 13487.70 | 29588.16 | 301332 | 82254 |
| योगः– | **67726** | **329** | **14187.99** | **37957.94** | **339841** | **111451** |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तालिका 13.3

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | मुख्य उद्यम |
|---|---|---|
| 1 | देहरादून | खाद्य प्रसंस्करण, जूता निर्माण, इलैक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, भारी मशीनरी |
| 2 | हरिद्वार | ऑटोमोबाइल, ऑटो कम्पोनेन्ट, एफएमसीजी, इलैक्ट्रोनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग यूनिट, प्लास्टिक की बोतलें, स्टील, कांच का सामान |
| 3 | ऊधमसिंहनगर | खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो कम्पोनेंट, एफएमसीजी, इलैक्ट्रोनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, कांच का सामान, कालीन |
| 4 | पौड़ी गढ़वाल | इलैक्ट्रॉनिक, इस्पात बार निर्माण इकाईयां |
| 5 | नैनीताल | इलैक्ट्रोनिक्स, कागज, एलपीजी, बॉटलिंग प्लाण्ट |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

## 13.2 उत्तराखण्ड से निर्यात एवं आयात की स्थिति (Status of Export and Import in Uttarakhand) :–

भौगोलिक कठिनाइयों एवं लॉजिस्टिक बाधाओं के बावजूद भी राज्य से गत वर्षों में निर्यात की स्थिति में सतत् वृद्धि दर्ज की गयी है। सम्पूर्ण भारत के परिपेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से वर्ष 2019–20 में उत्तराखण्ड को 19वाँ स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश का कुल निर्यात भारत में सम्पूर्ण निर्यात का 0.48 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत राज्य ने सकारात्मक कम्पाउण्ड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6.79 प्रतिशत प्राप्त की जबकि भारत की निर्यात ग्रोथ इस अवधि में –0.89 प्रतिशत रही। अगस्त 2020 में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2020 रिपोर्ट में, उत्तराखण्ड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। यह बुनियादी निर्यात, इन्फ्रास्टक्चर सुविधाओं, एक अनुकूल व्यापार और वातावरण के साथ साथ अच्छे निर्यात प्रदर्शन से सम्भव हुआ है।

**13.2.1** उत्तराखण्ड ऑटोमोबाइल एवं फार्मा क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण मन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है और इस क्षेत्र की इकाईयां अपार सम्भावनाओं को देखते हुए निर्यात बढ़ाये जाने में भी प्रयासरत हैं। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, संगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों,

जैव–प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि राज्य के लिए निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं। वर्ष 2018–19 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। **कोविड काल में भी माह अप्रैल से अगस्त 2020 के मध्य ₹ 8624 करोड़ का निर्यात हुआ है जो कि वर्ष 2019–20 में दर्ज निर्यात ₹ 16971 करोड़ का लगभग 50 प्रतिशत है और इसमें भी फार्मा सेक्टर में गत वर्ष 2019 माह अप्रैल से अगस्त तक हुए कुल निर्यात ₹ 479 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020 में इसी अवधि में ₹ 639 करोड़ का निर्यात दर्ज किया गया है जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक है।** जो कि तालिका 13.4 में स्पष्ट है:–

तालिका 13.4

**वर्ष 2011–12 से 2020–21 की अवधि तक उत्तराखण्ड से निर्यात की स्थिति**

| वर्ष | कुल निर्यात (करोड़ रूपये में) |
|---|---|
| 2011–12 | 3530 |
| 2012–13 | 6071 |
| 2013–14 | 6782 |
| 2014–15 | 8509 |
| 2015–16 | 7350 |
| 2016–17 | 6011 |
| 2017–18 | 10837 |
| 2018–19 | 16285 |
| 2019–20 | 16971 |
| 2020–21 (अप्रैल से अगस्त 20 तक) | 8624 |

*Source: DGCIS Kolkata

**स्रोत:** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तालिका 13.5

**वर्ष 2019–20 में राज्य से निर्यात का विवरण**

| Sector | Value in INR Cr | | | Value in INR Cr | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FY 19-20 | FY 18- 19 | FY 17-18 | Post Covid (April 20- Aug 20) | Last Year (April 19- Aug 19) |
| Pharmaceutical | 1228.03 | 1160.66 | 903.59 | 639.51 | 479.19 |
| Engineering (Includes Automobile) | 1265.96 | 1583.82 | 1089.28 | 301.24 | 561.63 |
| Plastic | 950.69 | 976.44 | 830.26 | 365.25 | 438.77 |
| Agri& Allied | 245.50 | 151.95 | 148.27 | 178.21 | 47.03 |
| Overall Exports from the State | 16,970.9 | 16,284.7 | 10,836.9 | 8624.5 | 8162.2 |

**स्रोत:** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

राज्य एवं जिला स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन समिति के गठन हेतु निर्यात आफीसर एवं निर्यात आयुक्त की तैनाती की गई। निर्यात रणनीति (एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी) बनाये जाने हेतु वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित फियो (The Federation of Indian Export Organisation) के सहयोग से राज्य के लिये निर्यात रणनीति तैयार कर ली गई है। राज्य की निर्यात नीति का ड्राफ्ट EEPC, APEDA, FIEO & DGFT तथा उत्तराखण्ड के विभिन्न निर्यातको के सहयोग से तैयार कर लिया गया है, जिसे अतिशीघ्र ही अधिसूचित किया जायेगा।

### 13.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0 एम0ई0) के अन्तर्गत औद्योगिक विकास योजना–2017:–

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये 1 अप्रैल, 2017 से 5 वर्षों के लिये "औद्योगिक विकास योजना" लागू की गई है, जिसमें पूंजी निवेश उपादान पर 30 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 5 करोड़ तक का उपादान एवं 5 वर्ष तक प्लाण्ट एवं मशीनरी पर बीमा प्रीमियम की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। माह दिसम्बर, 2020 तक 550 इकाईयों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जिनमें से 227 इकाईयां भारत सरकार द्वारा पंजीकृत की गई हैं। माह दिसम्बर, 2020 तक आने वाली 33 इकाईयों के सापेक्ष 20 इकाईयों के उपादान दावे राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये है।

**आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के अन्तर्गत एमएसएमई के लिये लागू **"इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गारण्टी स्कीम"** का लाभ अधिकाधिक पात्र इकाईयों को पहुंचाने के लिये राज्य सरकार, एसएलबीसी, बैंकों एवं औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है।

**तालिका 13.6**

**Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)**

**Phase-I up to Rs. 25 Crores (Progress as on 30.11.2020)**

**(Rs. in crores)**

| Eligible loan A/Cs | | No. of A/Cs whom information sent | No of Accounts | | Amount | | Coverage Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | |
| 95916 | 2466.45 | 92479 | 64057 | 39817 | 1660.82 | 1407.86 | 66.78 |

**Source-SLBC**

**Phase II Above Rs. 25 to 50 Crores (Progress as on 30.11.2020)**

**(Rs. in crores)**

| Eligible loan A/Cs | | No. of A/Cs whom information sent | No of Accounts | | Amount | | Coverage Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | Cum. Sanctioned | Cum. Disbursement | |
| 995 | 103.89 | 995 | 66 | 60 | 53.95 | 41.76 | 6.63 |

**Source-SLBC**

**तालिका 13.7**

**Stressed Assets Subordinate Debt Fund Scheme**

**(Progress as on 30.11.2020)**

| No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA) as on 30.4.2020 | No. Eligible Borrowers under CGSSD | Sanctioned under CGSSD (In lakh) | |
|---|---|---|---|
| | | No. | Amt. |
| 5509 | 321 | 20 | 50.97 |

**Source-SLBC**

**13.3.1 एम0एस0एम0ई0 नीति 2015:–** राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पर्वतीय क्षेत्र से जनशक्ति के पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए **"सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015"** लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपादान प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। इस नीति में प्रदेश को **पाँच श्रेणियों ए, बी, बी+, सी एवं डी** में वर्गीकृत करते हुये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथाः पूंजी निवेश उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति, विशेष राज्य परिवहन उपादान सहित संस्थागत सुविधा के रूप में अवसरचनात्मक सहयोग एवं सुगमता, विनियमन व सरलीकरण आदि महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

तालिका 13.8

**विजन 2030 के लिए एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के सूचक**

| क्र. सं. | सूचक | वर्तमान स्थिति | वर्ष अनुसार लक्ष्य निर्धारण | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019–20 | 2023–24 | 2029–30 |
| 1 | एम0एस0एम0ई0 की स्थापना (संख्या में) | 59186 | 68000 | 94000 | 170000 |
| 2 | पूजी निवेश (करोड ₹ में) | 10960 | 14000 | 19400 | 36000 |
| 3 | रोजगार सृजन (संख्या में) | 258000 | 320000 | 460000 | 850000 |

**स्रोतः–** उत्तराखण्ड सरकार (उत्तराखण्ड विजन – 2030)

**13.4 वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट के रूप में चिन्हित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को निम्नलिखित सहायता/सुविधाएं प्रदान की गई हैं:–**

तालिका 13.9

निवेश प्रोत्साहन सहायता (प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन)/अनुदान/छूट

| क्र. सं. | श्रेणी | निवेश प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा | अनुदान की मात्रा/सीमा | छूट की मात्रा/सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रेणी–ए | 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख) | 10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | शत् प्रतिशत |
| 2 | श्रेणी–बी एवं बी+ | 35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख) | 08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | शत् प्रतिशत |
| 3 | श्रेणी–सी | 30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख) | 06 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई) | शत् प्रतिशत |
| 4 | श्रेणी–डी | 15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15 लाख) | शून्य | 50 प्रतिशत |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तालिका 13.10
विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति

| संयोजित विद्युत भार | श्रेणी–"ए" | श्रेणी–"बी" व "बी+" |
|---|---|---|
| | प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा | प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा |
| 100 केवीए | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत् प्रति शत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत | प्रथम 5 वर्ष के लिये शत् प्रति शत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत |
| 100 केवीए से ऊपर | 60% | 50% |

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

एमएसएमई नीति–2015 के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में कुल 231 दावों के सापेक्ष ₹ 23.17 करोड़ की धनराशि वितरित की गई है।

**13.5 महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजनाः**– राज्य के आर्थिक विकास मे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागेदारी सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना के लिए बैंकों से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **"महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना"** दिनांक 15 अगस्त, 2015 से आरम्भ की गई है जिस हेतु निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगेः–

**1. पूंजीगत् उपादान सहायताः** कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 25 लाख।

**2. ब्याज उपादान सहायताः** बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 6 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

**13.6 डेस्टिनेशन उत्तराखण्डः**– प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिये एक सुनियोजित योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में **"निवेशक सम्मेलन–डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड"** दिनांक 7–8 अक्टूबर, 2018 को देहरादून में आयोजित कर विभिन्न क्षेत्रों में ₹ 1.24 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के कुल 601 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों के निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुल 190 दावों के सापेक्ष ₹ 7.00 करोड़ की धनराशि भी वितरित की गई है।

तालिका 13.11

| सैक्टर | समझौता ज्ञापनों की संख्या | प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में) | प्रस्तावित रोजगार |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा | 19 | 31543 | 27419 |
| खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्यान, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन | 91 | 7654 | 81864 |
| हेल्थकेयर | 71 | 18064 | 60373 |
| सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार | 19 | 5025 | 27155 |
| अवसंरचना | 18 | 26909 | 29360 |
| विनिर्माण | 233 | 11626 | 51764 |
| स्किल एवं शिक्षा | 9 | 6091 | 34750 |
| पर्यटन एवं आतिथ्य, फिल्म शूटिंग | 119 | 14183 | 29426 |
| वैलनेस एवं आयुष | 22 | 3270 | 11678 |
| **महायोग** | **601** | **124366** | **353924** |

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में से माह दिसम्बर, 2020 तक बृहत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निम्नांकित परियोजनाओं की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है:–

तालिका 13.12

| परियोजना का प्रकार | जारी परियोजनायें | प्रस्तावित पूंजी निवेष (करोड़ ₹ में) | प्रस्तावित रोजगार |
|---|---|---|---|
| निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की बृहत परियोजनायें | 138 | 15560.88 | 40644 |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 297 | 1239.99 | 12140 |
| अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से निविदा द्वारा ग्राउण्डेड परियोजनायें | 3 | 895 | 375 |
| एकल खिड़की के माध्यम से स्वीकृत बृहत परियोजनायें | 69 | 7310.28 | 9269 |
| **महायोग** | **507** | **25006.15** | **62428** |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड को **"स्प्रीचुअल इकोनोमिक जोन"** के रूप में विकसित किये जाने हेतु विगत वर्षो से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के साथ संवाद तथा निवेश प्रोत्साहन के आधार पर 6 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा पर्यटन एवं हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस एवं आयुष, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा (सौर ऊर्जा) एवं भविष्योन्मुख क्षेत्र जैसे: आईटी, फिनटेक, शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। ये सैक्टर राज्य की क्षमताओं, पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चिन्हित किये गये हैं। **अप्रैल, 2020 में वेलनेस समिट** का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु कोविड–19 के कारण इसे स्थगित किया गया।

**13.7 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था:–** "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" ऑनलाईन एक संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) के रूप में विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी एक ही पोर्टल पर सभी सूचनायें यथा: अनापत्तियॉं/स्वीकृतियॉं एवं अनुज्ञायें निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं। **"निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्रों"** के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

तालिका 13.13

सिंगल विन्डो के माध्यम से अनुमोदित निवेश प्रस्ताव

| | Unit Type | Total Unit Approved | Investment (₹ Crore) | Employment |
|---|---|---|---|---|
| April -2017 To March -2018 | MSME | 549 | 1144.81 | 9195 |
| | LARGE | 17 | 1412.16 | 3809 |
| April -2018 To March -2019 | MSME | 1075 | 3593.74 | 24354 |
| | LARGE | 48 | 5554.96 | 8823 |
| April -2019 to March-2020 | MSME | 1546 | 4345.65 | 35593 |
| | LARGE | 55 | 7446.18 | 8428 |
| April -2020 to Nov., 2020 | MSME | 747 | 1748.04 | 15152 |
| | LARGE | 24 | 1550.23 | 4545 |
| GRAND TOTAL FOR MSME UNITS | | 3917 | 10832.24 | 84294 |
| GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS | | 144 | 15963.53 | 25605 |
| GRAND TOTAL (MSME + LARGE) | | 4061 | 26795.77 | 109899 |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

निवेशकों के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमतियों, अनुमोदनों हेतु **"ईज ऑफ डुईंग बिजनेस"** की दिशा में विभिन्न विभागों के लिये निर्धारित कार्य बिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिंग में वर्ष 2020 में राज्य को 11वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की एमएसएमई नीति में आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ–साथ समुचित इको सिस्टम विकसित करने हेतु नागरिक अनुकूल और उत्तरदायी प्रशासन के प्रति ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। **'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस'** के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए सार्वजनिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाकर मंजूरी के लिए समय–सीमा में कमी की है। एकल खिड़की व्यवस्था, व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाईसेंस और अनुमोदनों के **"वन स्टॉप शॉप"** के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

**13.8 स्टार्ट–अप एवं स्टैण्ड–अप उद्यमिता विकास योजनाः**– स्टार्ट–अप ईको सिस्टम को बढ़ावा दिये जाने तथा निवेश के नवीन क्षेत्रों की पहचान हेतु फरवरी, 2018 में स्टार्ट–अप नीति घोषित की गयी है। नीति का उद्देश्य उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर समग्र रूप से विकास हेतु समुचित ईको सिस्टम विकसित करना है।

स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत अभी तक 90 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी हैं तथा 14 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। 8 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक अनुमति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के स्टार्टअप बूट कैम्प वर्चुअली आयोजित किये गये है, जिनमें लगभग 1050 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

**"आत्मनिर्भर"** बनने के लिए, भारत को देश भर में लाखों छोटे और सूक्ष्म फर्मों के साथ बड़े पैमाने पर उद्यमिता आंदोलन चलाना होगा, जो आक्रामक रूप से स्थानीय और वैश्विक अवसरों के अनुरूप हों। इस लक्ष्य के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (GAME) के साथ साझेदारी में, एकीकृत उत्तराखंड राज्य काम कर रही है।

नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर के साथ राज्य सरकार द्वारा एमओयू किया गया है और नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर (एनयूएस) द्वारा एमएसएमई इकाईयों की उत्पादकता एवं दक्षता पर सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। इस अध्ययन से एमएसएमई इकाईयों की क्षमता के अलावा अनेक ऐसी सूचनायें उपलब्ध होंगी, जो उन्हें वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आउटसोर्स करने तथा एमएसएमई में निवेश की सम्भावनाओं के लिये महत्वपूर्ण होगी।

**13.9 ग्रोथ सेन्टर योजनाः**– क्लस्टर आधारित एप्रोच पर पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों के सफल संचालन हेतु **"ग्रोथ सेन्टर योजना"** लागू की गई है। माह दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न विभागों के 106 ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

## तालिका 13.14
## जनपदवार विभागवार स्वीकृत ग्रोथ सेन्टर

| जनपद का नाम | ग्रोथ सेन्टर की संख्या | क्रियान्वयन एजेन्सी |
|---|---|---|
| पिथौरागढ़ | 11 | आईटीडीए–1, आईएलएसपी–4, ऊन बोर्ड–2, मत्स्य–1, यूएसआरएलएम–1, जलागम–1, वन–1 |
| बागेश्वर | 10 | आईएलएसपी–4, ऊन बोर्ड–1, मत्स्य–1, यूएसआरएलएम–1, डेयरी–1, कृषि–1, जलागम–1, |
| अल्मोड़ा | 9 | आईएलएसपी–6, जलागम–1, एमएसएमई–1, पशु आहार–1 |
| चम्पावत | 5 | यूएसआरएलएम–3, जलागम–2 |
| नैनीताल | 11 | खादी बोर्ड–1, यूएसआरएलएम–6, एमएसएमई–1, जलागम–3 |
| ऊधमसिंहनगर | 6 | यूएसआरएलएम–3, मत्स्य–1, ग्राम्य विकास–1, एमएसएमई–1 |
| चमोली | 15 | डेयरी–1, आईएलएसपी–5, ऊन बोर्ड–2, मत्स्य–3, एमएसएमई–2, खादी बोर्ड–1, यूएसआरएलएम–1 |
| रूद्रप्रयाग | 7 | डेयरी–1, आईएलएसपी–2, ऊन बोर्ड–1, मत्स्य–1, उद्यान–1, जलागम–1 |
| उत्तरकाशी | 8 | आईएलएसपी–2, ऊन बोर्ड–3, मत्स्य–1, उद्यान–1, पर्यटन–1 |
| टिहरी | 8 | जलागम–1, आईएलएसपी–2, ऊन बोर्ड–1, मत्स्य–1, उद्यान–2, यूएसआरएलएम–1 |
| पौड़ी | 7 | जलागम–4, आईएलएसपी–1, यूएसआरएलएम–1, एनआरएलएम–1 |
| देहरादून | 6 | जलागम–2, आईएलएसपी–1, डेयरी–1, यूएसआरएलएम–1, आईटीडीए–1, |
| हरिद्वार | 3 | यूएसआरएलएम–1, मत्स्य–2 |
| **योगः–** | **106** | |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

## तालिका 13.15
## ग्रोथ सेन्टर जनपदवार विवरण

| क्र. सं. | जनपद | स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या | लाभार्थियों की संख्या | क्र. सं. | जनपद | स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पौड़ी | 7 | 2009 | 8 | चमोली | 15 | 4416 |
| 2 | अल्मोड़ा | 9 | 6170 | 9 | उत्तरकाशी | 8 | 2061 |
| 3 | देहरादून | 6 | 1288 | 10 | हरिद्वार | 3 | 423 |
| 4 | बागेश्वर | 10 | 3536 | 11 | उधमसिंह नगर | 6 | 1746 |
| 5 | टिहरी | 8 | 2333 | 12 | नैनीताल | 11 | 82 |
| 6 | पिथौरागढ़ | 11 | 2603 | 13 | चम्पावत | 5 | 218 |
| 7 | रूद्रप्रयाग | 7 | 913 | **योगः–** | | **106** | **27798** |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तालिका 13.16
गतिविधिवार स्वीकृत ग्रोथ सेंटर

| गतिविधि | स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या | गतिविधि | स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या | गतिविधि | स्वीकृत ग्रोथ सेंटर की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| एग्री बिजनेस आधारित | 38 | शहद एवं मौन पालन | 4 | प्रसाद आधारित | 5 |
| बेकरी आधारित | 5 | एलईडी उत्पादन | 2 | मसाला उत्पाद आधारित | 4 |
| डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद | 5 | शिल्प आधारित | 5 | फल प्रसंस्करण आधारित | 5 |
| मत्स्य आधारित | 11 | सूचना प्रौद्योगिकी | 2 | हथकरघा व क्विल्ट | 2 |
| ऑर्गेनिक ऊन आधारित | 10 | पर्यटन आधारित | 2 | पशुआहार आधारित | 1 |
| ऐरोमा आधारित | 4 | मुर्गी पालन | 1 | | |

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

**13.10 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):–** भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन बैंकों के माध्यम से 4991 परियोजनाओं में ₹ 96.01 करोड़ का मार्जिन मनी संवितरित किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 40828 का रोजगार सृजन हुआ है।

तालिका 13.17

| वर्ष | स्थापित इकाईयों की संख्या | वितरित मार्जिन मनी (करोड़ ₹ में) | सृजित रोजगार |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | 2168 | 40.83 | 17344 |
| 2019–20 | 1815 | 34.00 | 15420 |
| 2020–21 **(31 दिसम्बर, 2020)** | 1008 | 21.18 | 8064 |
| **योगः–** | **4991** | **96.01** | **40828** |

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उद्यमिता एवं रोजगार की समग्र समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **"स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति"** का गठन किया गया है।

इस वर्ष कोविड–19 के पश्चात् विभिन्न देशों/प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिये **"मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना"** लागू की गई है। विनिर्माणक, सेवा तथा व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना पर 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान सहायता दी जायेगी। **"मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना"** में कोई नकारात्मक सूची (Negative List) नहीं है और विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय के संचालन के लिए सभी व्यवहार्य गतिविधियां पात्र हैं। यद्यपि सीधे कृषि कार्य (फसल उगाना) पर योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं संरक्षित कृषि (Agriculture Allied Activities & Protected Agriculture) जैसे मशरूम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, पॉली हाऊस में साग–सब्जियों, हर्बल और सगन्ध पौध की खेती, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, भेड–बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन (Dairy) आदि पात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं।

तालिका 13.18

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) (दिनांक 31–12–2020 तक प्रगति)

| क0सं0 | जनपद का नाम | इकाई | लक्ष्य | बैंकों द्वारा स्वीकृत | बैंकों द्वारा वितरित |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | नैनीताल | संख्या | 250 | 154 | 120 |
| 2 | उधमसिंहनगर | संख्या | 200 | 149 | 116 |
| 3 | अल्मोड़ा | संख्या | 250 | 128 | 35 |
| 4 | पिथौरागढ़ | संख्या | 250 | 143 | 106 |
| 5 | बागेश्वर | संख्या | 200 | 155 | 73 |
| 6 | चम्पावत | संख्या | 250 | 204 | 127 |
| 7 | देहरादून | संख्या | 200 | 143 | 67 |
| 8 | पौड़ी | संख्या | 250 | 237 | 134 |
| 9 | टिहरी | संख्या | 250 | 178 | 41 |
| 10 | चमोली | संख्या | 250 | 165 | 93 |
| 11 | उत्तरकाशी | संख्या | 250 | 350 | 153 |
| 12 | रूद्र प्रयाग | संख्या | 200 | 139 | 84 |
| 13 | हरिद्वार | संख्या | 200 | 102 | 34 |
| | योगः– | | 3000 | 2247 | 1183 |

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

**13.11 अवस्थापना विकासः**— राज्य गठन से पूर्व यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेपल्पमेन्ट कॉरपोरेशन द्वारा 2116.62 एकड़ भूमि में 46 बृहत/मिनी औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 13.19

| क्र.सं. | औद्योगिक आस्थान | संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान | 30 | 148.56 |
| 2. | यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र | 16 | 1968.06 |
| | योग | 46 | 2116.62 |

स्रोतः उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

नई एमएसएमई नीति–2015 में सूक्ष्म व लघु विनिर्माणक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि की उचित दरों पर व्यवस्था हेतु भूमि बैंक तथा नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। इसके दृष्टिगत सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाओं युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में विभाग के 10 मिनी औद्योगिक आस्थानों में से 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथाः रानीपोखरी एवं लॉधारोड (देहरादून), किच्छा (ऊधमसिंहनगर), विण (पिथौरागढ़) एवं भीमताल (नैनीताल) में से 3 मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण तथा किच्छा व भीमताल में गतिमान है।

नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना में ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2020–21 में ₹ 326.56 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके अधीन औद्योगिक आस्थान, सितारबपुर (कोटद्वार) में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है।

**13.12 Central Institute of Petrochemicals and Engineering Technology (CIPET):-** भारत सरकार द्वारा देहरादून के आईटीआई, डोईवाला में Central Institute of Petrochemicals and Engineering Technology (CIPET) स्थापना की

गई है। वर्तमान में डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त इस संस्थान में 600 युवाओं को विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अल्पकालीन 3/6 माह के प्रशिक्षणोपरान्त 120 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में मासिक वेतन पर रोजगार भी प्रदान कराया जा रहा है। सिपेट द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग, टूलिंग, परीक्षण एवं निरीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा तकनीकी सेवायें भी प्रदान की गई हैं। सिपेट की परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) द्वारा मान्यता की संस्तुति प्रदान की गई है।

**13.13 दून हाटः**— नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अन्तर्गत चार एमएसएमई हाट की स्थापना की गई है। प्रथम हाट "दून हाट" के नाम से आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून दिसम्बर, 2019 में स्थापित किया जा चुका है। इन हाटों में प्रदेश के शिल्पियों एवं परम्परागत सूक्ष्म/लघु उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिये विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी।

**13.14** हरिद्वार में 96 एकड़ भूमि पर **मेडिकल डिवाईसेस पार्क**, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि में अरोमा पार्क तथा हरिद्वार **फार्मासिटी** के समीप 75 एकड़ भूमि में एक और फार्मासिटी के विस्तारीकरण की कार्यवाही सिडकुल के माध्यम से की जा रही है। आपदा को अवसर में सृजित करने की मूलभावना के साथ हरिद्वार जनपद में मेडिकल डिवाईसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क में विद्यमान फार्मा क्षेत्र की इकाईयों से समन्वय करते हुये स्थानीय जरूरतों के लिये स्वदेशी रूप से चिकित्सा उपकरणों के निर्माण पर बल दिया गया है। मेडिकल डिवाईसेस पार्क में अत्याधुनिक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सेंटर, प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं का विकास, प्रोटोटाईपिंग और थ्री डी डिजाईनिंग, बायों मेटेरियल टेस्टिंग, इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाईन, पैकेजिंग व इन्क्यूबेशन सेंटर की सुविधा उपलब्ध होगी।

**13.15 रक्षा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु एरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी** प्रख्यापित की गई है। मेक इन इण्डिया के अंतर्गत निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस क्षेत्र में भी एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के दृष्टिगत ले0 कर्नल वीरभद्र सिंह रावत की नियुक्ति की गयी है, जो रक्षा उत्पादन से जुडी इकाईयों से आवश्यक समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगें।

**13.16 एमएसएमई क्लस्टर विकासः**— भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों यथाः एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग एवं संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक व रसायन व पेट्रो रसायन द्वारा कलस्टर विकास से संबंधित योजनायें लागू की गयी है। राज्य में कार्यरत एमएसएमई इकाईयों की दक्षता बढ़ाने व लागत कम करने हेतु आरंभिक रूप से 5 कलस्टर— कलस्टर काशीपुर, पेन्ट कलस्टर भगवानपुर, गुड एवं खाण्डसारी कलस्टर रूडकी, फार्मा कलस्टर सेलाकुई व गोल्ड कलस्टर हल्द्वानी की डायाग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार कर डीपीआर तैयार की जा रही हैं।

**13.17 एमएसएमई टैक्नोलॉजी सेन्टरः**— एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कानिया, रामनगर, नैनीताल व सिडकुल सितारगंज में 20 एकड़ में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना की गयी है।

**13.18 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सैक्टरः**— शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समूचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" योजना के अन्तर्गत राज्य के 46 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान

किया गया है। बी0पी0एल0 श्रेणी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु **"शिल्पी पेंशन योजना"** प्रदान की जा रही है। 46 महिला बुनकरों को करघे उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की जा चुकी है।

**"थारू बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना"** के अन्तर्गत 10 महिला समूहो को दो माह का विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने शिल्प के संवर्द्धन एवं विपणन करते हुये आर्थिक स्तर में वृद्धि कर सकें। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ग्राम मटेना जनपद अल्मोड़ा में हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम व शोध इत्यादि के कार्यो के लिए **"नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैण्डलूम एण्ड नेचुरल फाईबर"** का संचालन हंस फाउण्डेशन के सहयोग से किया जा रहा है। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को **"हिमाद्रि"** ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। ऑनलाईन मार्कटिंग हेतु Amazon (अमेजन) के साथ टाईअप किया गया है।

तालिका 13.20

| क्र. सं | योजना का नाम | शिल्प | अवधि | कार्यक्रमों की संख्या | जनपद | आच्छादित शिल्पी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम | ऐपण, हैंड इम्ब्राइडरी, वुडन क्राफ्ट, वूलन क्राफ्ट | 04 माह | 06 | नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी | 120 |
| 2. | हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम | ऐपण, हैंड इम्ब्राइडरी, वुडन क्राफ्ट, वूलन क्राफ्ट | 02 माह | 12 | देहरादून, चम्पावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल। | 240 |
| 3. | एकीकृत डिजाईन एवं तकनीक विकास कार्यक्रम | कार्पेट, बैम्बू, कॉपर, ब्लॉक प्रिटिंग, रिंगाल, प्राकृतिक रेशा, नमदा, पॉटरी | 05 माह | 09 | पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, रूद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी। | 360 |
| | **योग** | | | | | **720** |

**स्रोतः** उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

नैशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत बाबरखेड़ा, जसपुर (ऊधमसिंहनगर) में ब्लॉक लेविल कलस्टर परियोजना में ₹ 139.040 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे 603 बुनकर लाभान्वित होंगे।

**माटी कला बोर्ड** के अधीन जनपद–हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में माटी कला व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों को 60 विद्युत चालित चाकों का वितरण किया गया।

**13.19 खादी एवं ग्रामोद्योग (Khadi And Village Industries):–** खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना तथा ऊन/तागा बैंक की स्थापना, केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत खादी वस्त्रों की

बिक्री पर छूट, खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता, खादी संस्थाओं को सहयोग तथा रेशा खरीद हेतु अनुदान आदि का संचालन किया जाता है।

**13.19.1 खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता:–** खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों को 09 कलस्टर केन्द्रों को कलस्टर की चेन के रूप में विकसित कर स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय प्रतिभा का अधिकतम् उपयोग किया जा रहा है। कलस्टर के चिन्हीकरण से लेकर कारीगरों के कौशल विकास, उत्पादन के चिन्हीकरण, प्राप्त होने वाले स्थानीय संसाधनों का अधिकतम् उपयोग एवं बाजार की व्यवस्था को सुदृढ किया जा रहा है।

ऊनी तथा वस्त्रों के निर्माण हेतु आधुनिक डिजायन के जैकार्ड लूम स्थापित कर स्थानीय बुनकरो विशेषकर महिलाओ को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान मे 110 महिलाओ को विभिन्न केन्द्रो के माध्यम से तागा कताई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत 275 कुंतल प्रशोधित ऊन की पूनी तैयार की गयी है।

**13.19.2 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट:–** गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत छूट उपलब्ध करायी जाती है। 60 खादी संस्थाओं के लगभग 200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से खादी वस्त्रों को आम जनमानस तक उपलब्ध कराया जा रहा है।

**13.20 भूतत्व एवं खनिकर्म:–**

**13.20.1 खनिज अन्वेषण/खनन प्रशासन/भूअभियांत्रिक कार्य–** उपलब्ध खनिज भण्डारों की खोज कर उनकी गुणवत्ता/मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुये खनिजों का समुचित विकास किया जाता है, और सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 हेतु ट्रेवर्सिंग का लक्ष्य 200 वर्ग किलोमीटर, मैपिंग का लक्ष्य 03 वर्ग किलोमीटर तथा ट्रेन्चिंग/पिटिंग, ड्रिलिंग का लक्ष्य आवश्यकतानुसार निर्धारित है। वर्ष 2020–21 हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 2785.45 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 687.94 लाख का व्यय किया गया है।

**13.20.2 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना:–** राजस्व वृद्धि तथा रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक नये उपखनिज क्षेत्रों की खोज/चिन्हित करते हुये पूर्व में स्वीकृत खनन क्षेत्रों तथा उपरोक्तानुसार ई–टैण्डरिंग के उपरान्त स्वीकृत/आवेदित खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पर्यावरणीय अध्ययन/मॉनीटरिंग कराये जाने हेतु वर्ष 2020–21 में अनुमोदित परिव्यय ₹ 22.50 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 11.87 लाख का व्यय किया गया है।

**13.20.3 खनन सर्विलांस योजना:–** अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जाने के प्राविधानों के दृष्टिगत मैनुअल परिवहन प्रपत्र के स्थान पर E-Ravana प्रणाली लागू कर दी गई है तथा खनिज परिवहन/खनन सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/सुदृढीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन की जा रही है। वर्ष 2020–21 हेतु अनुमोदित परिव्यय ₹ 64.50 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 17.98 लाख का व्यय किया गया है।

**13.20.4 खनन से राजस्व प्राप्ति:–** वर्ष 2019–20 में खनिजों से कुल ₹ 396.83 करोड़ का राजस्व तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह

दिसम्बर, 2020 तक ₹ 295.53 करोड़ का राजस्व अर्जित करते हुये खनन सेक्टर/व्यवसाय में कई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित कराये गये।

**खनन सैक्टर से प्राप्त कुल राजस्व**

| वर्ष | कुल राजस्व प्राप्ति (करोड़ ₹ में) |
|---|---|
| 2018–19 | 467.31 |
| 2019–20 | 396.83 |
| 2020–21(माह दिसम्बर, 2020 तक) | 295.53 |

**स्रोतः** भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।

**13.20.5 वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 हेतु विजन तथा रणनीति का विवरणः**– उपलब्ध खनिज भण्डारों की खोज कर उनकी गुणवत्ता/मूल्यांकन हेतु लगभग 600 वर्ग कि0मी0 ट्रैवर्सिंग, 9 वर्ग कि0मी0 मानचित्रण तथा ट्रेन्चिंग एवं ड्रिलिंग (आवश्यकतानुसार) किये जाने का लक्ष्य है। भूअभियांत्रिक कार्यों में सरकारी/गैर सरकारी निर्माण से सम्बन्धी विकास कार्यों जैसे पुल, भवन, सड़क, नहर, विद्युत लाईन इत्यादि लगभग 2600 क्षेत्रीय निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यो एवं अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के 11300 प्रकरणों के निष्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

विभागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं यथा रसायन प्रयोगशाला, रिमोट सेंसिंग प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण तथा भूअभियांत्रिकीय एवं पेट्रोलॉजी प्रयोगशाला को संस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे खनिजों के अनुसंधान व विकास कार्यो को अपेक्षित गति मिलेगी। खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन एवं तद्सम्बन्धी नियमावली का प्रख्यापन किया गया है, जिसमें माह नवम्बर, 2020 तक कुल ₹ 110.65 करोड़ जमा हुआ है, जिसके सापेक्ष जनपदों में विकास से सम्बन्धित कुल 583 योजनायें स्वीकृत की गई हैं और योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग ₹ 70.30 लाख का उपयोग किया जा चुका है, जिन पर कुल ₹ 8.13 करोड़ की धनराशि व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यो हेतु पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराये जाने का प्राविधान हैं। माह दिसम्बर, 2020 तक उक्त कोष में ₹ 3,65,798.00 की धनराशि जमा हो चुकी है। खनिज भण्डारों के समुचित खोज हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 संशोधित 2015 के अनुसार मुख्य खनिजों के चिन्हित 5 ब्लॉकों (लाईमस्टोन एवं बेंसमेंटल) को नीलामी के माध्यम से आंवटन हेतु प्रस्ताव खान मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। नये खोजे गये खनिजों के विपणन प्रोत्साहन हेतु सेमिनार/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना होगा।

वर्ष 2023–24 तक खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वार्षिक लक्ष्य लगभग ₹ 900 करोड़ होने का अनुमान है। उपखनिज क्षेत्रों के आवंटन हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 94 उपखनिज क्षेत्रों में स्वीकृत आशय पत्रों में से 43 उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें से 31 खनन पट्टे संचालित हैं तथा शेष उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा आवंटन की कार्यवाही गतिमान है।

# अध्याय–14
# श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास
# Labour-Employment and Skill Development

**14.1** सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने, बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

**14.1.1 श्रम में रोजगार की संरचना:–** जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है जो इंगित करती है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि तथा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना आर्थिक विकास हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

तालिका 14.1
राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

| क्र0सं0 | मद | श्रेणी | दैनिक मजदूरी दर ₹ में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 57 अनुसूचित नियोजन | अकुशल | 341.00 |
| 2 | | अर्द्धकुशल | 354.00 |
| 3 | | कुशल | 367.00 |
| 4 | | अतिकुशल | 390.00 |
| 5 | कृषि नियोजन | अकुशल | 258.00 |
| 6 | अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन) | अकुशल | 349.00 |
| 7 | | अर्द्धकुशल | 383.00 |
| 8 | | कुशल | 423.00 |
| 9 | अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन) | अकुशल | 366.00 |
| 10 | | अर्द्धकुशल | 402.00 |
| 11 | | कुशल | 439.00 |

स्रोतः श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

**14.1.2 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project):–** श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह परियोजना 1988 में प्रारम्भ की गई, जिसका उद्देश्य कार्य करने वाले बालकों का चिन्हीकरण करना, उन्हें कार्य से हटाकर विशेष स्कूलों में भर्ती करना तथा इन विशेष स्कूलों में उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाने योग्य बनाना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन हेतु सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में दिनांक 17–03–2005 को दि डिस्ट्रिक्ट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाइटी का गठन किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत समस्त 13 जनपदों में चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाईटी (डी.पी.एस.) का गठन किया गया है जिसके क्रम में भारत सरकार के माध्यम से

सर्वेक्षण हेतु प्रति जनपद ₹ 4.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। जनपद– अल्मोडा, चम्पावत, देहरादून, नैनीताल, उधमसिंहनगर, पिथौरागढ, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, हरिद्वार में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जनपद– रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढवाल, चमोली में कार्यवाही गतिमान है।

**14.1.3 बंधुवा श्रमिक पुनर्वास योजना (Bonded Labour Rehabiltation Scheme)**:– भारत सरकार द्वारा संचालित बंधुवा श्रम से संबंधित योजना **'Central Sector Scheme for Rehabiltation of Bonded Labour-2016'** का संचालन किया जा रहा है। समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी के माध्यम से चिन्हित बंधुवा श्रमिकों को पुनर्वास सहायता प्रदान की जायेगी। प्रदेश के समस्त जनपदों में राज्य सरकार द्वारा **रू0 10 लाख** की धनराशि के संग्रह से **Bonded Labour Rehabilitation Fund की स्थाई निधि का गठन कर लिया गया है,** जिसका उपयोग अवमुक्त बंधुवा श्रमिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु किया जा रहा है। बंधुवा श्रमिक के पुनर्वास हेतु अग्रिम के रूप में तत्काल ₹ 5000 की आर्थिक सहायता जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

**14.1.4 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)**:– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पी०एम०–एस०वाई०एम०) नाम एक वृहत्त पेंशन योजना, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लगभग 127 नियोजनों/कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है, का लोकार्पण 05 मार्च, 2019 को किया गया। **स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों हेतु है, जिनकी मासिक आय रू0 15,000/– है।** असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 40 वर्ष हो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। श्रमिक द्वारा एक छोटी/अल्प मासिक धनराशि के योगदान से अधिवर्षता आयु अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त निश्चित रूप से **धनराशि ₹ 3,000/– की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। माह दिसम्बर 2020 तक** PM-SYM **में** 34,327 श्रमिकों **द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।**

**14.1.5 एन0पी0एस0–ट्रेडर्स**:–नेशनल पेंशन स्कीम–लघु व्यापारी के अन्तर्गत लघु व्यापारियों तथा खुदरा व्यापारियों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु पेंशन योजना आरम्भ की गई है। वे समस्त व्यापारी जिनकी वार्षिक टर्न ओवर ₹ 1.50 करोड़ से कम हो, योजना से आच्छादित किये जाते है। लाभार्थी द्वारा एक छोटी/अल्प मासिक धनराशि के योगदान से अधिवर्षता आयु अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त निश्चित रूप से **धनराशि ₹ 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। माह दिसम्बर 2020 तक NPS-Traders** में 814 लाभार्थियों का नामाकंन किया गया है।

**14.1.6 औद्योगिक सम्बन्ध**:– औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण समझौता तंत्र विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा समन्वय आदि हेतु कार्यरत है। समझौता प्रकिया असफल होने पर विवादों/मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

**राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनः**— राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनिमय 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961,वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोशिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, मातृका हितलाभ अधिनियम 1961तथा उ0प्र0. औद्योगिक विवाद अधिनियम—1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

### 14.1.7 कोविड—19 के अन्तर्गत विभागीय कार्यों में विशेष प्रयास :—

- कोविड—19 के फलस्वरूप उत्पन्न व्यावसायिक अनिश्चितता के दृष्टिगत बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अधीन प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019—20 के देय बोनस भुगतान की अंतिम तिथि को 31.03.2021 तक विस्तारित किया गया है ताकि उद्योगों को आर्थिक अनिश्चितता के समय में बोनस भुगतान में सहूलियत हो।
- वैश्विक महामारी कोविड—19 के मद्देनजर अविरल तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों को अतिकाल कार्य करने की छूट प्रदान की गई तथा छूट की अवधि को दिनाँक 31.03. 2021 तक प्रभावी रखने के निर्देश दिये गये।
- कोविड—19के प्रकोप के कारण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में ब्वॉयलर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत नवीनीकरण की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जा सकी, जिस हेतु नवीनीकरण की तिथि को 30.04.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित किया गया।
- कोविड—19 से ग्रसित कर्मचारियों या जो कोविड—19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हो और पृथक्करण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है ताकि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहें।
- कोविड—19 महामारी के समय उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता तथा राशन किट विवरण की गयी तथा नये श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया।

## 14.2 सेवायोजन (Employment):—

**14.2.1 सामान्य विवरणः**— सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2020 तक रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजगारों के प्रतिशत को कम करना लक्षित है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार/स्वरोगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका(Live Register) पर कुल 782890 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वर्ष 2020—21 में 82700 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 में 16 प्लेसमेन्ट ड्राइव का आयोजन किया गया। इनमें कुल 1426 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनके माध्यम से 647 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

**14.2.2 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (Employment Market Information Programme):-** प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कामगारों की सख्या की संख्या 206933 है, वही निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 98848 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजको की संख्या 3099 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 870 है।

**14.2.3 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):-** राज्य के समस्त सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से स्कूल/कालेज के छात्र–छात्राओं को अपनी योग्यता/अभिरूचि के अनुसार कैरियर चयन में कैरियर काउसिंलिग वार्ताओं का आयोजन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि वे अपनी अभिरूचि के क्षेत्र में भविष्य बनाने हेतु यथाआवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। प्रत्येक जनपद में सभी ब्लाकों में स्थित कॉलेजों/शिक्षण संस्थानों में कैरियर कार्नर की स्थापना की जा चुकी है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा अद्यतन 54 कैरियर वार्तायें आयोजित की गयी। इस प्रकार आयोजित कैरियर वार्ताओं में 1136 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

**14.2.4 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations):-** वर्ष 2020–21 में 16 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान, सचिवालय पद्धति, बुक कीपिंग एवं एकाउन्टेन्सी तथा सामान्य गणित आदि विषयों का प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। इन प्रशिक्षणों में 512 छात्र–छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

**14.2.5 ई–डिस्ट्रिकट योजना के तहत सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग (Benifits Of Information – Technology Under The Scheme Of E-Districts):-** सेवायोजन विभाग की पंजीयन सेवा को ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना से जोडा जा चुका है। सेवायोजन विभाग की पंजीयन सेवा को पूर्णतः पेपरलेस किया जा चुका है तथा प्रमाण पत्रों का भैतिक रूप से संचरण समाप्त किया जा चुका है। इस योजना का लाभ अब राज्य के दुर्गम स्थानों पर रहने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी अपने निकटस्थ जन–सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी पंजीयन कर रहे है, जिससे बेरोजगारों के धन एवं समय की बचत हो रही है।

**14.2.6 महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कार्यक्रम (Programme for women, SC/ST):–** महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक जनपद में समूह ग के पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष योजनाएं संचालित है, जिसके तहत् जनपद उधमसिंह नगर में दिनेशपुर, पिथौरागढ में धारचूला तथा देहरादून में कालसी में अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा हरिद्वार, बागेश्वर, चम्पावत, टिहरी एंव रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओ हेतु स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

**14.2.7 योजनाओं की वित्तीय स्थितिः–**

**1– रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment):-** वर्ष 2020–21 में मतदेय मद में 03 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, 12 जिला सेवायोजन कार्यालय, 05 नगर सेवायोजन कार्यालय एवं 02 यू0ई0बी0 केन्द्रों हेतु स्वीकृत

₹ 1031.26 लाख की धनराशि के सापेक्ष दिसम्बर 2020 तक ₹ 642.95 लाख व्यय किया गया है।

**2– शिक्षण एवं मागदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre)**:– समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी सेवा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के मतदेय पक्ष में स्वीकृत ₹ 142.65 लाख की धनराशि के सापेक्ष दिसम्बर 2020 तक ₹ 167.97 लाख व्यय किया गया है।

**3– कैरियर काउंन्सिलिंग केन्द्रों में परामर्श कार्य (Career Counselling Centre Consulting Work)**:– समस्त 22 सेवायोजन कार्यालयों/विश्वविद्यालय एवं मत्रंणा केन्द्रों को रोजगार दिशा केन्द्रों के रूप में 2003 से लगातार परामर्श/मार्ग दर्शन दिया जा रहा है।

**4–सेवायोजन कार्यालय/कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों की नेटवंर्किंग (Employment Office/ Career Counselling Networking Centre)**:– समस्त सेवायोजन कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा प्रदान कर अभ्यर्थियों को नवीनतम जानकारी प्रदान की जा रही है।

**5–ट्राइबल सब प्लान (Tribal Sub Plan)**:– अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु कालसी में एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति हेतु) की स्थापना की गयी है। वर्ष 2020–21में स्वीकृत ₹ 27.62 लाख की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 18.28 लाख व्यय किया गया है।

**7– स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (Special Component Plan)**:– शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र टिहरी, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत का संचालन अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में स्वीकृत ₹ 49.71 लाख की धनराशि के सापेक्ष दिसम्बर 2020 तक ₹ 32.48 लाख व्यय किया गया है।

### 14.3 कौशल विकास (Skill Development):-

**14.3.1** कौशल, विकास का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं। कुशल जनशक्ति के योगदान से ही विकास का चक्र निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल और स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने तथा सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुशल कार्यबल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में ज्ञान और कौशल देश के वित्तीय एवं सामुदायिक विकास में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सशक्त माध्यम है। सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, रोजगार, सेवाएं और उद्यमिता आदि को बढ़ावा देने के लिये 75 प्रतिशत युवाओं और वयस्कों को प्रशिक्षित करना लक्षित है।

**14.3.2 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission):-** युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में, स्वरोजगार के अवसर सृजित कर राज्य की आर्थिकी सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (UKSDM) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पूरक के

रूप में भारत सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी0एम0के0वी0वाई 2.0), राज्य पोषित एंट्रेप्रेन्योरशिप इम्प्लोयमेन्ट लिंक्ड प्रोग्राम तथा विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

**14.3.3 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0**:– (राज्य घटक) के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर 2017 में आरम्भ किये गये। आतिथि तक 48,389 युवाओं को पंजीकृत कर 46,759 को कृषि, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एपेरल, रिटेलए आई0टी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर 33,967 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया जा चुका है, जिनमें से 10,780 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये गये। शेष युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में 1,296 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

चार्ट 14.1

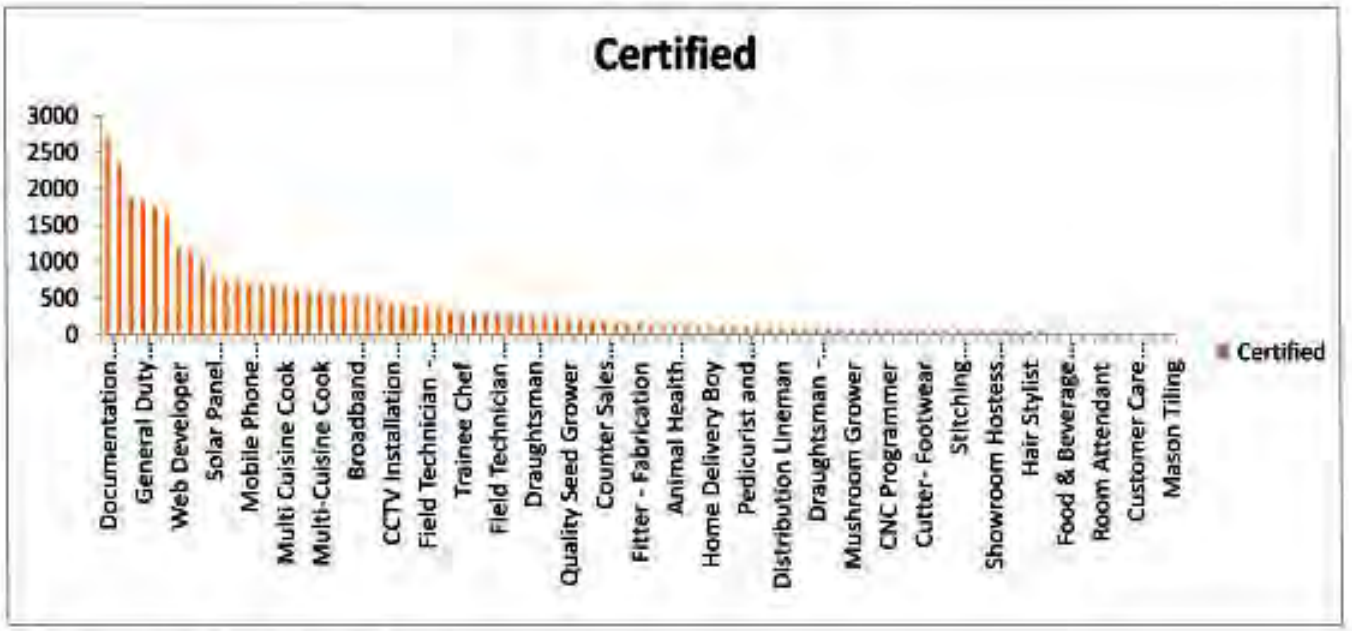


**स्रोतः** उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन।

**14.3.4 विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट**:– इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2020 से प्रारम्भ की गई है। मार्च 2021 तक 19,200 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 18,756 अभ्यर्थियों को विभिन्न जॉबरोल में पंजीकृत किया जा चुका है, पंजीकृत युवाओं के सापेक्ष आतिथि तक 6,916 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया जा चुका है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में 4,469 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

चार्ट 14.2

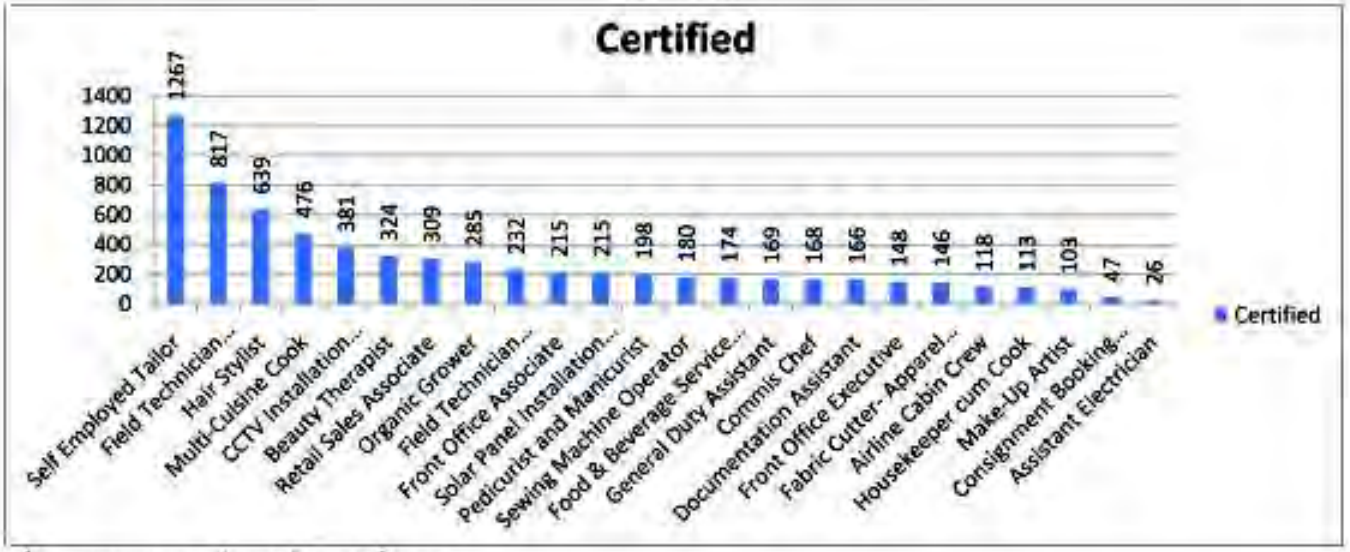


**स्रोतः** उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन।

**14.3.5 राज्य पोषित मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजनाः**– राज्य के युवाओं को उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगारपरक जॉबरोल्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना जैसी महत्वकांक्षी परियोजना का प्रारम्भ किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत रोजगार/ स्वरोजगार की अपार सम्भावनाऐं है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों एवं ऐसे प्रवासियों जो कोविड–19 महामारी के कारण राज्य में वापस आये है, उनकों रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोडते हुए स्वावलम्बी बनाने के प्रयास किये जायेगें। योजना का शुभारम्भ माह जनवरी 2021 से कर दिया गया है।

**14.3.6 होप पोर्टल (HOPE: Helping Out People Everywhere)**:– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत राज्य में लौटे प्रवासियों एवं युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से HOPE Portal विकसित किया गया, जिसका शुभारम्भ दिनांकः 13 मई 2020 को किया गया। पोर्टल में आतिथि तक 31,831 युवाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार/ प्रशिक्षण हेतु अपनी योग्यता एवं रूचि के आधार पर पंजीयन किया जा चुका है। वर्तमान में पोर्टल पर 101 नियोजकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1,895 रिक्तियाँ प्रकाशित की गई है। नियोक्ताओं व पंजीकृत युवाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विभागीय परिसर में कॉल सेन्टर स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगारों के अवसरों के विषय में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही नियोक्ताओं को उनके द्वारा दर्शायी गई रिक्तियों के सापेक्ष पोर्टल पर पंजीकृत योग्य युवाओं का डाटा साझा कर उनसे उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करने हेतु दूरभाष के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित सभी कौशल प्रशिक्षण परियोजनाओं में लाभार्थियों का चयन होप पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं में किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड की विशेषता तथा मूल क्षमता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमो का उन्मुखीकरण करते हुए जैविक कृषि, पर्यटन (होम स्टे) से जुडे विभिन्न विषय, औद्यानिकी पशुपालन, सोलर एनर्जी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

# अध्याय–15
# विद्युत
# Electricity

**15.1** विद्युत समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार है तथा समस्त क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति से तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। राज्य में बिजली उत्पादन हेतु गैरपारम्परिक अपार स्रोतों की सम्भावनाओं के दृष्टिगत् नवीन योजनाओं को भी सम्मिलित कर सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2030 तक सस्ती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, वैश्विक ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा को पर्याप्त रूप से बढ़ाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार कर वैश्विक दर को दोगुना करने का संकल्प है।

तालिका 15.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

| वर्ष Year | स्थापित क्षमता (मै0वा0) Installed Capacity (MW) | कुल विद्युत उत्पादन (मि0यू0) | कुल विद्युत मांग (मि0यू0) Total Electricity Demand (MU) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2011-12 | 1306.25 | 5261.82 | 10571.10 |
| 2012-13 | 1306.25 | 4812.11 | 11424.06 |
| 2013-14 | 1288.85 | 4411.83 | 11969.21 |
| 2014-15 | 1284.85 | 4348.95 | 12440.95 |
| 2015-16 | 1284.85 | 4942.33 | 12908.07 |
| 2016-17 | 1284.85 | 4379.47 | 13080.91 |
| 2017-18 | 1284.85 | 4725.66 | 13455.00 |
| 2018-19 | 1292.1 | 4663.08 | 13842.00 |
| 2019-20 | 1292.10 | 5088.88 | 13852.00 |
| 2020-21 up to Dec | 1296.10 | 4191.21 | 9663.00 |

**Source:** Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd. (Compiled in Statistical Diaries)

चार्ट 15.1
वर्षवार विद्युत उत्पादन तथा मांग

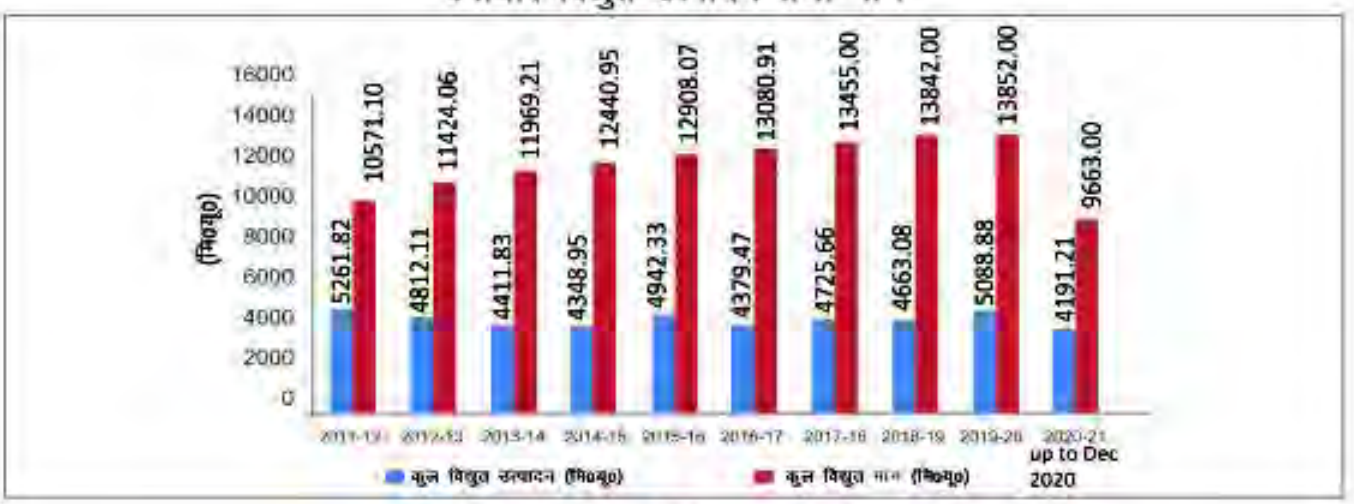

अतः स्पष्ट है कि राज्य में वर्षवार कुल विद्युत मांग की अपेक्षा कुल विद्युत उत्पादन अत्यन्त न्यून है, जबकि विद्युत उत्पादन की दोहन क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट से भी अधिक है।

**तालिका 15.2 विगत वर्षों में ए0टी0एण्ड सी0 हानियों का विवरण**
**(Aggregate Technical & Commercial Loss)**

| वित्तीय वर्ष | ए0टी0एण्ड सी0 हानियॉ |
|---|---|
| 2014-15 | 18.64% |
| 2015-16 | 17.19% |
| 2016-17 | 15.85% |
| 2017-18 | 16.10% |
| 2018-19 | 16.52% |
| 2019-20 | * 20.44% |
| 2020-21 | 13.00% (लक्ष्यान्वित) |

*वर्ष 2019–20 में कोविड–19 महामारी के कारण राजस्व वसूली में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उपरोक्त तालिका संख्या 15.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) लगभग 18.64 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2018–19 में 16.52 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2019–20 में कोविड–19 महामारी के कारण राजस्व वसूली में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण' 20.44 प्रतिशत दर्ज की गई। 2020–21 हेतु ए0टी0एण्ड सी0 लॉस को कम कर 13.00 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

**चार्ट 15.2**
**विगत वर्षों में ए0टी0एण्ड सी0 हानियों का विवरण**

राज्य में पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा विभागों के माध्यम से निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है:–

## 15.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited-UPCL):

**15.2.133 के0वी0 उपस्थानो का निर्माण:–** वित्तीय वर्ष 2020–21 में (31 दिसम्बर, 2020 तक)

35 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 05 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपस्थानो एवं 26.95 कि.मी. नयी 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि कुल 122 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 14 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपस्थान एवं लगभग 56.00 कि.मी. की 33 के0वी0 लाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

**15.2.2 पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार (Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme): Part-A:**— ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुसार 04 लाख से अधिक जनसंख्या एवं 35 करोड़ यूनिट से अधिक वार्षिक विद्युत खपत वाले देहरादून नगरीय क्षेत्र में ₹ 16.55 करोड़ की धनराशि से SCADA/DMS प्रणाली को विकसित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य देहरादून नगर की वितरण प्रणाली के अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु कम्प्यूटर चालित प्रणाली को विकसित करना है।

उ.पा.का.लि. को आर–एपीडीआरपी, भाग–ए (आई. टी.) में प्राप्त ऋण की धनराशि ₹ 118.16 करोड़ को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया है।

**15.2.3 आर0ए0पी0डी0आर0पी0 (Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme): Part-B:**— उत्तराखण्ड के 31 शहरों में विद्युत व्यवस्था के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों/परिवर्तकों, 11 के0वी0 तथा एल0टी0 लाईनों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच. वी.डी.एस. (11 के0वी0), इलैक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों को इलैक्ट्रॉनिक मीटरों से प्रतिस्थापित करना, कैपैस्टर बैंक की स्थापना, मोबाईल सर्विस सेन्टर और 33 के.वी. या 66 के.वी. प्रणाली को सुदृढ़ करने का क्रियान्वयन पूर्ण किया जा चुका है, तथा इसके अन्तिमीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। 31 शहरों में से 30 शहरों के अन्तिमीकरण प्रस्ताव (Closure Proposal) के क्रम में कुल ₹ 584.09 करोड़ (भारत सरकार से ₹ 525.68 करोड़) की योजना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गयी, तथा दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 367.23 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.4 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS):**— कुल 36 शहरी कस्बों को एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत् भौतिक कार्य दिनांक 31.03.2019 को 100% पूर्ण कर लिये गये हैं। केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति द्वारा ₹ 190.68 करोड़ की डी.पी.आर. स्वीकृत की गयी है।

योजना हेतु 85% धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जबकि राज्य सरकार/उ.पा.का.लि द्वारा 5% धनराशि तथा शेष 10% की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण के रूप में की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर, 2020 तक अवमुक्त धनराशि कुल ₹ 158.44 करोड़ के सापेक्ष ₹ 171.39 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। कृत कार्यों का बन्दीकरण प्रक्रियाधीन हैं।

**15.2.5 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS): IT-Phase-II:**— IT-Phase-II चयनित 36 नगरों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 11.96 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्य निम्नवत हैं–

- डाटा सेन्टर, डी0आर0 सेन्टर तथा कस्टमर केयर सेन्टर में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर Upgradation
- प्रस्तावित 36 शहरी क्षेत्रों के विद्युत कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, एस0बी0एम0 एवं कम्प्यूटर

नेटवर्किंग हेतु राउटर, स्विच आदि उपकरणों की स्थापना।

- वितरण परिवर्तकों एवं 33/11 के0वी0 पोषकों में ए0एम0आर0 हेतु मोडेम स्थापित करना।
- **शहरों में विद्युत नेटवर्क एवं Assets की GIS Mapping**:— डाटा सेन्टर में प्रस्तावित Storage की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डाटा सेन्टर में प्रस्तावित सर्वर की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी 33/11 के.वी. विद्युत उपसंस्थानों का GIS का कार्य तथा सभी 36 नगरों के नेटवर्क सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी फीडरों को डाटा नेशनल पावर पोर्टल से जोड़ दिया गया है। 36 शहरों में मुख्यतः पोल पेन्टिंग का कार्य पूर्ण किया गया। GIS upgraded Application को अन्य Modules के साथ Integrated Mode में Production Environment में अपलोड करने का कार्य नवम्बर, 2020 में पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार सभी नगरों को आई.पी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत Go-Live घोषित किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 8.30 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.6 सौभाग्य (सहज बिजली हर घर योजना) योजना**:— ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारम्भ मार्च–2018 में किया गया। योजना के भौतिक कार्य माह मार्च–2019 में पूर्ण किये जा चुके हैं। राज्य के समस्त इच्छुक एवं पात्र घरों/परिवारों को विद्युत संयोजन निर्गत कर विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं योजना के बन्दीकरण के कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत पूर्ण किये गये कार्यों की लागत लगभग ₹ 76.00 करोड़ है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 46.86 करोड़ अवमुक्त के सापेक्ष कुल ₹ 44.54 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.7 एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS): ERP (Enterprise Resource Planning)**:— IPDS Monitoring Committee द्वारा ERP हेतु ₹ 21.78 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की गयी है। उ0पा0का0लि0 में वित्तीय प्रबन्धन और लेखा, मानव संसाधन प्रबन्धन एवं सामग्री प्रबन्धन में ERP मॉड्यूल्स का कार्यान्वयन किया जाना है।

आईपीडीएस मॉनिटिरिंग कमेटी की अनुशंसा पर ई0आर0पी0 (ERP) योजना में अतिरिक्त धनराशि ₹ 7.14 करोड़ स्वीकृति की गयी, जिससे ERP योजना की कुल स्वीकृत योजना लागत ₹ 21.78 करोड़ के स्थान पर ₹ 28.92 करोड़ हो गयी है।

वर्तमान में AS-IS STUDY एवं Business Blue Print Documentation का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा Data Template Finalisation, Data Collection एवं Realisation का कार्य प्रगति पर है। इस हेतु माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 5.40 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.8 सरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना का कार्य**:— देहरादून तथा हरिद्वार जिलों के सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाये जाने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से ₹ 17.99 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की अनुबन्धित लागत ₹ 14.21 करोड़ है। कुल 40 सरकारी भवनों पर सोलर रुफटॉप संयत्रों (क्षमता 2587 KWp) की स्थापना की गई।

योजना का भौतिक बन्दीकरण माह मार्च, 2020 में किया जा चुका है वर्तमान में वित्तीय बन्दीकरण प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 11.32 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.9 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS): कुम्भ क्षेत्र, हरिद्वार में भूमिगत केबिल**

**बिछाने का कार्य**:– हरिद्वार शहर के कुम्भ क्षेत्र में एच.टी. एवं एल.टी. नेटवर्क को भूमिगत करने के लिये पी.एफ.सी. द्वारा ₹ 388.49 करोड़ की डी.पी. आर. अनुमोदित की गई है। दिसम्बर, 2020 तक 725.90 कि.मी. HDPE (High Density Poly Ethylene) Pipe एवं 923.77 कि.मी. केबिल बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 178.79 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.10 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)**:– ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना हेतु ₹ 842.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में कुल चिन्हित 6365 नग तोकों/मजरों के सापेक्ष कुल 6091 नग तोकों/मजरों का विद्युतीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष तोकों/मजरों के विद्युतीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा राज्य के अन्तर्गत कुल 44 नग 11 के0वी0 कृषि–अकृषि पोषकों में से 43 नग पोषकों का पृथक्कीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 717.27 करोड़ धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष कुल ₹ 642.17 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.2.11 एकीकृत विद्युत विकास योजना Integrated Power Development Scheme (IPDS): RT-DAS (Real Time Data Acquisition System)**:– राज्य के नगरीय उपकेन्द्रों पर Real Time-Data Acquisition System (RT-DAS) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य के 66 नगरों के 106 नग उपसंस्थानों, 385 नग नगरीय पोषकों (फीडरों) तथा 301 नग ग्रामीण पोषकों (फीडरों) को सम्मिलित किया गया है। अनुबन्धानुसार कार्यों को पूर्ण किये जाने की सम्भावित तिथि मई, 2021 है। योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं:

66 नगरों के 106 नग उपसंस्थानों के सर्वे का कार्य, सर्वे रिपोर्ट/फाइनल डेटा शीट के अनुमोदन, डेटा सेन्टर में सर्वर तथा अन्य हार्डवेयर की स्थापना, Control Centre, देहरादून में MPLS Link की स्थापना तथा कुल 106 उपसंस्थानों के सापेक्ष 72 उपसंस्थानों में FRTU की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल 106 उपसंस्थानों के सापेक्ष 44 उपसंस्थानों के FRTU को RT-DAS Control Centre Dehradun से जोड़ा जा चुका है। माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 1.63 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

**15.3 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL)**:– प्रदेश में जल विद्युत के विकास के आर्थिक विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। हरित व सतत विकास प्रदेश की आर्थिक विकास के मुख्य घटक हैं। जल विद्युत के 24551 मे0वा0 क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना है। जल विद्युत के विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है।

राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 24551 मे0वा0 है, जिसमें परिचालन के अंतर्गत 3993 मे0वा0 निर्माणाधीन के अंतर्गत 2374 मे0वा0, डी0पी0आर0 अनुमोदित/स्वीकृति प्राप्त/प्रक्रियाधीन के अंतर्गत 7590 मे0वा0 सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन के अंतर्गत 6634 मे0वा0 की परियोजना तथा 3959 मे0वा0 की परियोजनाएं रूकी हुई हैं। यू0जे0वी0एन0लि0 द्वारा दिसम्बर 2020 तक 4091.21 मि0यू0 का उत्पादन किया गया है।

**15.3.1** राज्य पोषित एवं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अंशपूंजी एवं ऋण

प्रदान किया जा रहा है। वृहद जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं का जीर्णोधार शामिल है। नाबार्ड द्वारा वित पोषण सामान्यतः लघु जल विद्युत की परियोजनाओं के क्षेत्र में किया जा रहा है। व्यासी (120 मे0वा0), लखवाड (300 मे0वा0), बावला नंदप्रयाग (300 मे0वा0) पर अंशपूंजी के द्वारा निर्माण एवं सर्वे तथा अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नन्द प्रयाग लंगासू (100 मे0वा0), सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड (120 मे0वा0), सेला उर्थिंग (202 मे0वा0) पर भी अनुसंधाान एवं नियोजन का कार्य तथा डी0पी0आर0 बनाने का कार्य गतिमान है।

- **व्यासी परियोजना (120 मे0वा0)**:– परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं जुलाई 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा, जिससे 375 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा।
- **लखवाड परियोजना (300 मे0वा0)**:– यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- **किशाउ परियोजना (660 मे0वा0)**:– केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस राष्ट्रीय परियोजना की संशोधित लागत 11,500 करोड है, जिसमें परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह परियोजना उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसके निर्माण हेतु 50–50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर दिनांक 20.06.2015 को एम0ओ0यू0 उत्तराखण्ड सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हो चुका है एवं ''किशाउ कारपोरेशन लिमिटेड'' के नाम से एक अन्य कम्पनी का गठन दिनांक 16.01.2017 को किया गया है।
- **बावला नंदप्रयाग (300 मे0वा0)**:– इस परियोजना की डी0पी0आर0 के सभी अध्यायों का सी0ई0ए0 / सी0डब्ल्यू0सी0 से अनुमोदन प्राप्त हो गया है एवं तकनीकी आर्थिक स्वीकृति मात्र ही शेष है। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु Term of Reference (ToR) निर्गत किया जाना शेष है।
- **सुरिनगाड–।। (5 मे0वा0)**:– नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत ₹ 49.60 करोड है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है।
- कालीगंगा–1 (4 मे0वा0), कालीगंगा–2 (4.5 मे0वा0) एवं मद्महेश्वर (15 मे0वा0) निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल लागत क्रमशः ₹ 64.03 करोड़, ₹ 86.01 करोड़ एवं ₹ 212.46 करोड़ है, वाह्य सहायतित योजनाओं में ए0डी0बी0 से वित्त पोषित कालीगंगा–।। (4.5 मे0वा0) एवं मद्महेश्वर (15 मे0वा0) लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि कालीगंगा–। से उत्पादन जुलाई 2020 से शुरू हो गया है।
- वाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP (Dam Rehabilitation Improvement Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुर्नोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाडी डैम, वीरभद्र बैराज, डाकपत्थर बैराज एवं आसन बैराज शामिल है।

**15.3.2 पूर्ण योजनाओं सम्बन्धी विवरण (Complete Project Details)**:– लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के क्षेत्र में माह अगस्त 2017 में पौड़ी जनपद में स्थित 1.50 मे0वा0 स्व0

राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना दुनाव, माह जनवरी, 2018 में चमोली जनपद में स्थित 3 मे0वा0 उर्गम, फरवरी 2018 में उत्तरकाशी जनपद में स्थित 2.25 मे0वा0 पिलंगाड एवं जुलाई 2020 में रूद्रप्रयाग जनपद में स्थित 4 मे0वा0 कालीगंगा–I का निर्माण कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

निगम की आयु पूर्ण कर चुकी परियोजनाओं को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से पूर्ण किये जा रहे हैं, जिससे लगभग 30 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में 51 मेगावाट के ढालीपुर तथा 90 मेगावाट के तिलोथ विद्युत गृहों के आर0एम0यू0 के कार्य जारी हैं। साथ ही 144 मे0वा0 के चीला विद्युत गृह के आर0एम0यू0 कार्यों का आवंटन जनवरी 2020 में किया गया है एवं 33.75 मेगावाट के ढकरानी विद्युतगृह के आर0एम0यू0 कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

यू0जे0वी0एन0लि0 द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) में नई उपलब्धि प्राप्त करते हुये 26 मे0वा0 की सोलर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो डाकपत्थर, ढ़करानी तथा पथरी में अवस्थित है एवं वर्ष 2019–20 में 39 मि0यू0 नियमित का विद्युत उत्पादन किया गया है।

### 15.3.3 भविष्य की योजनाऐं (Plans for future):–

**कुमाऊँ क्षेत्र में–**

- 12 मे0वा0 की तांकुल, 15 मे0वा0 की पेनागाड, 12 मे0वा0 की जिम्मागाड़, 4 मे0वा0 की कंचोटी एवं 1.2 मे0 वा0 की कूलागाड़ लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रक्रिया गतिमान हैं।
- 120 मे0वा0 की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ एवं 202 मे0वा0 की सेलाउथिंग जल विद्युत परियोजनाऐं अनुसंधान एवं नियोजन चरणों में हैं।
- 16 मे0वा0 की नदेही एवं 22 मे0वा0 की बाजपुर बगास आधारित परियोजनाओं के निर्माण हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई हैं।

**गढ़वाल क्षेत्र में–**

- गढ़वाल क्षेत्र में भिलंगना द्वितीय 24 मे0वा0 क्षमता की परियोजना का परिकल्पन गतिमान है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आराकोट–त्यूनी तथा त्यूनी–प्लासू जल विद्युत परियोजना यू0जे0वी0एन0एल0 को आवंटित की गई हैं, इन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

### 15.3.4 नवोन्मुखी परियोजना (Innovative Projects):–

- यू0जे0वी0एन0लि0 द्वारा दो बगास आधारित परियोजनायें 16 मे0वा0 की नादेही एवं 22 मे0वा0 की बाजपुर परियोजनाओं का विकास हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। नादेही परियोजना की कुल लागत 115.05 करोड़ है। इस परियोजना द्वारा लगभग 64.16 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। बाजपुर परियोजना की कुल लागत 154.52 करोड़ है। इस परियोजना से लगभग 90.74 मि0यू0 विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा।
- यू0जे0वी0एन0लि0 एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें नहरों में सतही टरबाईन लगाकर उत्पादन किया जायेगा। सतही परियोजनाओं के विकास हेतु स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान होता है। प्रथम चरण में चीला विद्युत गृह के डाउनस्ट्रीम में 100 कि0वा0 की

हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाने की प्रक्रिया गतिमान है।

**15.3.5 वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरणः–**

- जल विद्युत परियाजनाओं के निर्माण से जहाँ आस पास के क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा भी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप 120 मे0वा0 की व्यासी परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है वहीं पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति जो कि 28 जून 2013 को निर्गत की गयी है, से स्थानीय लोगों की जमीनें परियोजना में निहित की गयी हैं। इस नीति के अंतर्गत 57 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है एवं अपरोक्ष रूप से स्थानीय बेराजगारों को निविदा के माध्यम से तथा स्थानीय समितियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों को कार्य प्राप्त हुआ है वहीं ठेकेदारी के माध्यम से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

**वर्ष 2020–21 में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन में रही चुनौतीः–** मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6736/2013 अनुज जोशी बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड एवं अन्य प्रकरण में दिनांक 13.08.2013 को दिये गये निर्णय के कारण अलकनंदा एवं भगीरथी नदी घाटी में 24 जल विद्युत परियोजनाओं कुल क्षमता 2945 मे0वा0 के क्रियान्वयन में रोक लगी हुयी है। उक्त के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने से उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित 16 जल विद्युत परियोजनायें कुल क्षमता 1743 मे0वा0 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन न होने से राज्य को आर्थिक रूप से हानि हो रही है तथा उक्त परियोजनाओं में कार्यरत स्थानीय लोगों को रोजगार की सुविधा से वंचित हो रहें हैं, जिससे उक्त क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

**15.3.6 वर्ष 2020–21 में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथ नवाचारों (Investment, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः–** विश्व बैंक सहायतित drip के अन्तर्गत विभिन्न बॉध एवं बैराज के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान हैं, जिससे 40 वर्ष पूर्व स्थापित डैम एवं बैराज को सुरक्षा एवं जीवन वृद्धि प्राप्त होगी। निगम की पुरानी परियोजनाओं को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। साथ ही ऐसी परियोजनाओं से लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि प्राप्त होने की संभावना है। इसी क्रम में 51 मे0वा0 के ढ़ालीपुर तथा 90 मे0वा0 के तिलोथ विद्युत गृहों के आर0एम0यू0 के कार्य जारी हैं। 144 मे0वा0 के चीला विद्युत गृह एवं 33.75 मे0वा0 की ढ़करानी विद्युत गृह के आर0एम0यू0 कार्यों की प्रकिया गतिमान है। साथ ही निगम द्वारा पर्यावरण हेतु ISO

14001 प्राप्त कर लिया गया है, जबकि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु ISO 45001, एवं गुणवत्ता हेतु ISO 9001 ₹ 2005 प्राप्त करने की प्रकिया गतिमान है।

**15.4 पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL):–** पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का उददेश्य विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करना है। 132 के0वी0 की क्षमता से ऊपर की पारेषण लाइनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–साथ विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार, ढांचे में सम्वर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व पारेषण लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर पारेषण संचार प्लान को लागू करना है।

वर्तमान में कॉरपोरेशन द्वारा अलकनन्दा घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट तपोवन–विष्णुगढ़ एन0टी0पी0सी0, 444 मेगावाट टी0एच0डी0सी0, 171 मेगावाट, लता तपोवन एन0टी0पी0सी0, 300 मेगावाट जी0एम0आर0, 250 मेगावाट तमकलता यू0जे0वी0एन0एल0, 252 मेगावाट देवसारी एस0जे0वी0एन0एल0, 99 मेगावाट सिंगोली भटवारी एवं 76 मेगावाट फाटा ब्यूंग) की विद्युत विकास हेतु निम्न पारेषण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

**15.4.1** 220 के0वी0 डबल सर्किट रूद्रपुर (ब्रहमवारी)–घनसाली–श्रीनगर लाईन (150 किमी0) का निर्माण कार्य फरवरी 2020 में पूर्ण हो चुका है परियोजना लगत ₹ 253.19 करोड़ है।

**15.4.2** 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी–कर्णप्रयाग–श्रीनगर लाईन (93 किमी0) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 903.51 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य दिसम्बर, 2021 है।

**15.4.3** 400 के0वी0 तपोवन–पीपलकोटी पारेषण लाईन तथा लीलो लाईन विष्णुप्रयाग–मुजफ्फरनगर लाईन का लीलो पीपलकोटी उपसंस्थान में (42 किमी0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 114.56 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य दिसम्बर, 2021 है।

**15.4.4** 220/33 के0वी0 उपसंस्थान जाफरपुर (2x50 एम0वी0ए0) का निर्माण कार्य माह जुलाई, 2020 में पूर्ण हो चुका है परियोजना लागत ₹ 74.61 करोड़ है। उपसंस्थान से सम्बन्धित पारेषण लाईन के कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपसंस्थान को ऊर्जीकृत किया जायेगा।

**15.4.5** 220 के0वी0 काशीपुर–पन्तनगर लाईन (8.4 सर्किट किमी) का लीलों 220 के0वी0 उपस्थान जाफरपुर के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 8.34 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य जनवरी, 2021 है।

**15.4.6** 220 के0वी0 डबल सर्किट लखवाड़–ब्यासी–देहरादून लाईन तथा व्यासी पर लीलो लाईन (81 Ckm) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 136.35 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य जून, 2021 है।

**15.4.7** 220 के0वी0 जी.आई.एस. उपस्थान बरम (2x25 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 120.85 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2021 है।

**15.4.8** 220 के0वी0 उपस्थान बरम पर 220 के0वी0 धौलीगंगा–पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0 आई0एल0) लाईन (12.66 Ckm) का लीलो के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 26.09 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2021 है।

**15.4.9** 132 के0वी0 डबल सर्किट पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0)– लोहाघाट लाईन

(41.347 Ckm) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 82.07 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2021 है।

**15.4.10** 132/33 के0वी0 उपस्थान पदार्था, पतन्जलि, हरिद्वार (2x40 एम0वी0ए0) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 50.48 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य जनवरी, 2021 है।

**15.4.11** 132 के0वी0 सिंगल सर्किट बिन्दाल–पुरकुल लाईन (11 Ckm) का निर्माण की अनुमानित लागत 5.96 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मार्च, 2021 है।

**15.4.12** 132 के0वी0 चिला–नजीबाबाद लाईन का लिलो 132 के0वी0 उपसंस्थान पदार्था पर (13.64 Ckm) के निर्माण की अनुमानित लागत ₹ 33.48 करोड़ है। परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य मई, 2021 है।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रकोप के कारण उपरोक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य बाधित हुआ है।

**15.5 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency "UREDA"):–** अक्षय स्रोतों यथा सौर, बायो, लघुजल विद्युत आदि के समुचित दोहन हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रम राज्य में संचालित है।

**15.5.1 सौर ऊर्जा नीति (संशोधित)–2018 (Solar Energy Policy (Revised)-2018):–** प्रदेश में 276 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाऐं स्थापित करायी जा चुकी हैं तथा 203 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाऐं प्रदेश के 283 विकासकर्ताओं को आवंटित की गई हैं। इनमें से 3.5 मेगावॉट क्षमता की 12 परियोजनाऐं स्थापित हो चुकी हैं एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

**15.5.2 पाईन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति–2018: (Pine Nidil and other Biomass based Energy Generation Policy-2018)–** पाईन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति–2018 के अन्तर्गत 1060 किलोवाट सम्मिलित क्षमता की 36 योजनाओं तथा 2 ब्रिकेटिंग प्लाण्ट योजनाओं को स्थापना हेतु आवंटित किया जा चुका है। तृतीय चरण में 24 परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में कुल 06 परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है।

**15.5.3 सोलर वाटर हीटिंग संयत्र (Solar water heating plant):–** राज्य में सरकारी आवासीय विद्यालय भवनों पर सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना से छात्र–छात्राओं को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराने एवं सभी सरकारी विभागों में शत प्रतिशत अनुदान पर कुल 50500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटरों की स्थापना कराई जा चुकी है। इन संयत्रों की स्थापना उपरान्त 27.03 लाख यूनिट विद्युत की प्रतिवर्ष बचत हो सकेगी।

**15.5.4 लघु जल विद्युत योजनाओं की स्थापना (Establishment of Small Hydro Power Schemes):–** 2 मेगावाट क्षमता तक सूक्ष्म एवं लघु जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने हेतु वर्तमान तक 35.55 मेगावाट सम्मिलित क्षमता के 75 स्थलों की डी.पी.आर/डी.एस.आई तैयार की जा चुकी है, जिसमें से 9 मेगावाट क्षमता की 15 परियोजनाओं को निर्माण हेतु आवंटित किया जा चुका है।

**15.5.5 सोलर स्ट्रीट लाईट (Solar Street Light):**— प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों एवं ग्रामों में एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार के वित्तीय सहयोग के 19665 सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

## सौर ऊर्जा नीति–2013 (संशोधित 2018) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में स्थापित सोलर पावर प्लांट का विवरण

श्री आमोद सिंह पंवार, निवासी ग्राम–इंदिरा टिपरी, पोस्ट–टिपरी, विकासखण्ड–चिन्यालीसौड, जनपद–उत्तरकाशी द्वारा माह मार्च 2019 को सर्वप्रथम आन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से बिडिंग हेतु आवेदन किया। माह अप्रैल 2019 को 200 किवा0 क्षमता का सोलर पावर प्लांट आंवटित कर 18 जुलाई 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वामित्व प्रदान कर 30 सितम्बर 2020 को लोकार्पण किया गया। 21 मार्च 2020 में सोलर पावर प्लांट को ग्रिड सिंक्रोनाइज किया गया जिससे लगभग 900 यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन किया जाता है। 01 जनवरी 2021 तक सोलर पावर प्लांट से लगभग 2,16,000 यूनिट ग्रिड को सप्लाई की जा चुकी है। अनुबन्धानुसार सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को ₹ 4.38 प्रति यूनिट की दर से ₹ 9,46,000.00 की विद्युत ग्रिड पर उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में आवंटी को स्वरोजगार के साथ ही साथ 10 ग्रामीण बेरोजगार युवकों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। अन्य योजनाओं के अर्न्तगत स्थापित प्लांट की बैंचों के मध्य खाली स्थान पर मौसमी सब्जियां जैसे पत्तागोभी, कद्दू, बींस, खीरा एवं मिर्च आदि का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही प्लांट की बैंचों के मध्य खाली स्थान पर मधुमक्खी पालन हेतु गैंदें के फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

**15.5.6 ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation):**— महिलाओं/आई.टी.आई/ डिप्लोमा धारकों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से एल.ई.डी., ग्राम लाईट उपकरणों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान तक 10 जनपदों में 30 स्वंय सहायता समूहों की 486 महिलाओं एवं 27 आई.टी.आई/डिप्लोमा धारकों को एल.ई.डी बल्बों, के साथ–साथ अन्य विद्युत उपकरणों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

## जनपद उत्तरकाशी में स्थापित पीरुल (चीड पत्तियां एवं अन्य बायोमास) से विद्युत उत्पादन के प्लाण्ट का विवरण

श्री महादेव सिंह गंगाडी, निवासी ग्राम चकोन, विकासखण्ड डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी को 25 किवा0 क्षमता का पीरुल (चीड पत्तियां एवं अन्य बायोमास) से विद्युत उत्पादन हेतु प्लांट आंवटित हुआ।

04 जून 2019 को LOA प्रदान कर 05 जुलाई, 2020 में उरेडा विद्युत विभाग, वन विभाग, यू0पी0सी0एल0 एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिती में ट्रायल टेस्ट किया गया। 06 जुलाई, 2020 में पिरूल प्लांट को ग्रिड सिंक्रोनाइज किया गया। 30 सितम्बर 2020 में मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लोकार्पण किया गया। 01 जनवरी 2021 तक 70,000 यूनिट विद्युत की आपूर्ति ग्रिड पर की गई है। प्रतिदिन 08–10 घंटे प्लांट का संचालन किया जा रहा है। अनुबन्धानुसार सोलर पावर प्लांट से

उत्पादित विद्युत को ₹ 7.53 प्रति यूनिट की दर से लगभग ₹ 5,27,000.00 की विद्युत ग्रिड पर उपलब्ध करा दिया गया है। योजना से 40 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, अन्य ग्रामीण महिलाओं एवं युवक मंगल दल द्वारा पीरुल एकत्रीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ₹ 1.00 प्रति किग्रा0, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ₹ 1.00 प्रति किग्रा0 एवं ₹ 1.50 प्रति किग्रा0 विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। योजना से 12 स्थानीय बेरोजगार युवको द्वारा कार्य स्थल पर विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। जिनको विकासकर्ता द्वारा प्रति युनिट की दर से भुगतान किया जा रहा है। पीरुल एकत्रीकरण द्वारा 40 महिलाओं एवं 05 पुरुषों को रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि 10 पुरुष प्लांट पर कार्यकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

**15.5.7 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (CM Solar Self-Employment Scheme):—** युवाओं, प्रवासियो एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने के दृष्टिगत अपनी स्वंय की भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई जा रही है। संयत्र की स्थापना हेतु राज्य/जिला सहकारी बैंक से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर 15 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 25 किलोवाट के संयत्र पर ₹ 10.00 लाख का व्यय सम्भावित है। 15 से 25% तक की मार्जिन राशि/अनुदान एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान तक 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

# अध्याय–16
# परिवहन एवं संचार
# Transport and Communication

सड़क तथा रेलवे के अवसरचना में तीव्र पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में धनात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण की सफलता लोगों को समावेशी और संधारणीय अवसंरचना की सुविधायें उपलब्ध कराने में निहित होती है। आर्थिक संवृद्धि की गति इस बात पर निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था कितनी सक्षमता और विवेकपूर्ण रूप से अवसंचना सम्बन्धी अडचनों को दूर करने में समर्थ है। देश में लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ बनाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाईन (National Infrastucture Pipeline-NIP) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत 2019–20 से 2024–25 की अवधि में 1.03 लाख करोड रूपये से अधिक की विभिन्न क्षेत्रों की 6500 से अधिक नई परियोजनायें हैं। नई परियोजनाओं में हाउसिंग, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, मेट्रो और रेल यातायात, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग, सिंचाई परियोजनायें आदि शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में सामाजिक उपरिव्यय पूंजी विशेषकर परिवहन के साधनों का विकास अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक पूंजी निवेश के अवसर प्रदान करता है, जिससे उच्च पूंजी निवेश प्रेरित व अन्तर्प्रवाहित होता है तथा नये रोजगार अवसरों का सृजन होता है। भारत के सम्बन्ध में अवसंरचना क्षेत्र के निवेश तथा आर्थिक विकास के मध्य उच्च सहसम्बन्ध है। कोविड–19 के कारण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व ही राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में तीव्र गिरावट देखी गई परन्तु रेलवे तथा सड़क यातायात के निर्माण कार्यों में संस्थाओं द्वारा अबाधित रूप से निरन्तर कार्य किये जा रहे हैं।

**16.1 सड़क परिवहन**– उत्तराखण्ड राज्य में रेल सुविधा की सीमितता के कारण सड़क परिवहन यात्री तथा मालभाड़े के यातायात का मुख्य साधन है। राज्य में निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई 47 हजार कि0मी0 से अधिक है तथा प्रति लाख आबादी पर 428.58 कि0मी0 की सड़कें निर्मित है। राज्य में ऑनरोड़ पंजीकृत वाहनों की संख्या दिसम्बर 2020 तक 30.96 लाख हो गयी। निर्मित सडकों की कुल लम्बाई तथा प्रति हजार किमी0 क्षेत्रफल के अनुसार सडकों की लम्बाई में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से बेहतर है।

**16.1.1 जनपदवार आबादी एवं क्षेत्रफल के सापेक्ष सड़के**– राज्य में जनपदवार जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार सडकों की स्थिति में उच्च अन्तर है। प्रतिलाख जनसंख्या में सर्वाधिक सडकें टिहरी, अल्मोडा तथा जनपद में है तो सबसे कम हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा बागेश्वर में हैं। दूसरी ओर प्रतिहजार वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में सर्वाधिक सडकें देहरादून, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपद में हैं, तो सबसे कम उत्तरकाशी, चमोली तथा बागेश्वर में हैं। राज्य के तीन

जनपदों– देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में राज्य की कुल आबादी का 52 प्रतिशत निवास करती है तथा कुल पंजीकृत ऑनरोड वाहनों का 77.68 प्रतिशत वाहन इन्ही तीन जनपदों में हैं परन्तु राज्य में निर्मित कुल सड़क लम्बाई का मात्र 42.43 प्रतिशत सड़कें इन जनपदों में हैं। जनपदवार सड़कों तथा वाहनों का विवरण ग्राफ संख्या 16.1, 16.2 तथा 16.3 में प्रदर्शित है।

ग्राफ 16.1
आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुसार जनपदवार सड़कें

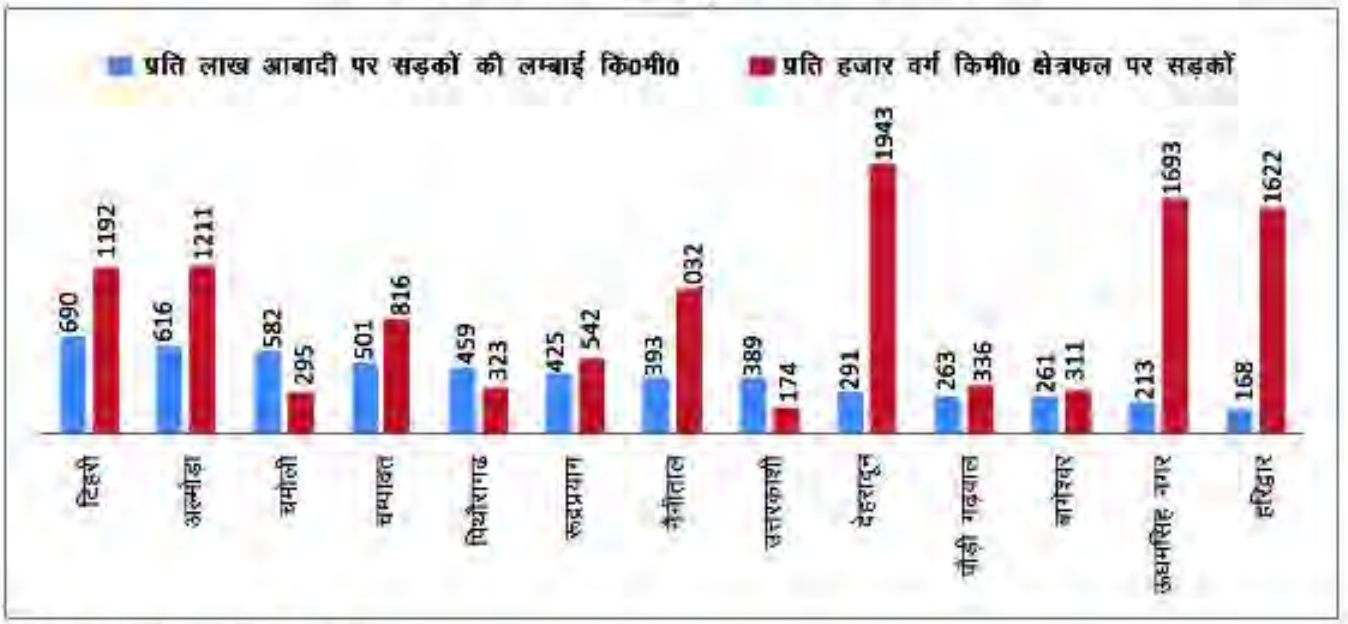


स्रोतः सांख्यिकी डायरी 2018–19।

ग्राफ 16.2
जनपदवार सड़कों की लम्बाई (कि0मी0) (मार्च 2019 तक)

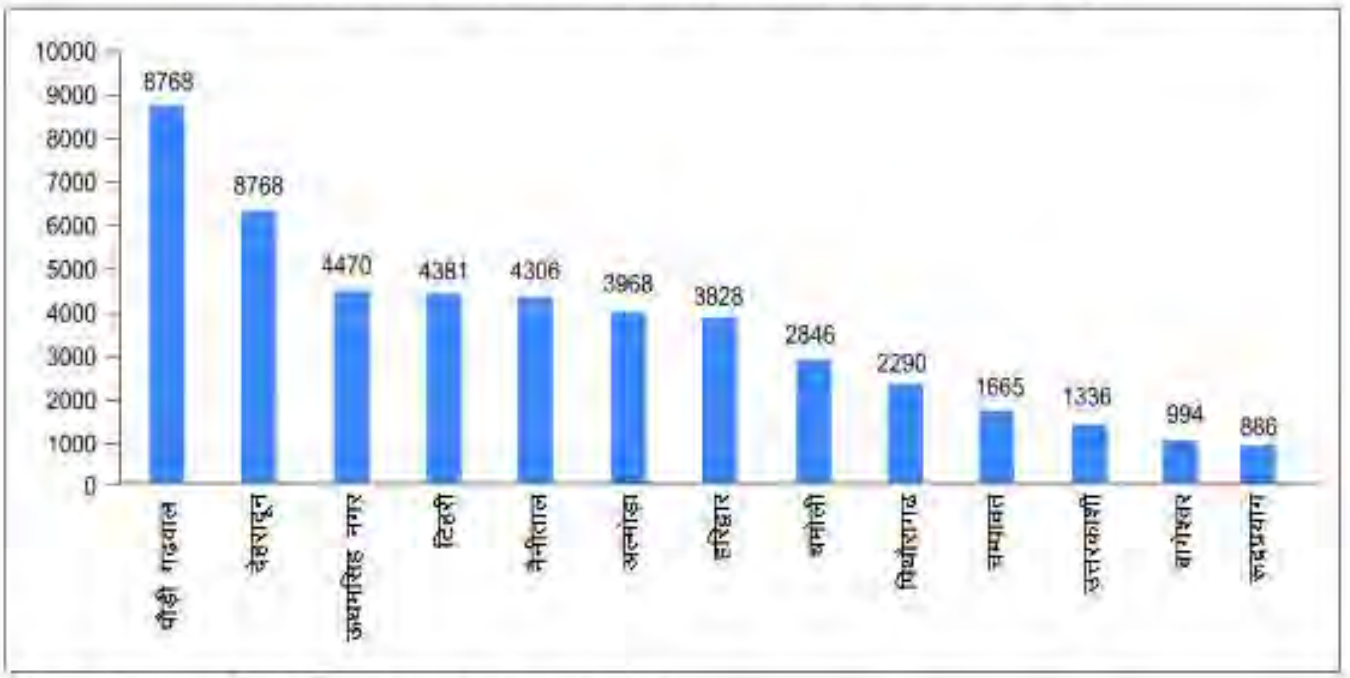


स्रोतः सांख्यिकीय पत्रिकाएं–2019 गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।

ग्राफ 16.3
राज्य में जनपदवार वाहनों की संख्या (मार्च 2020 तक)

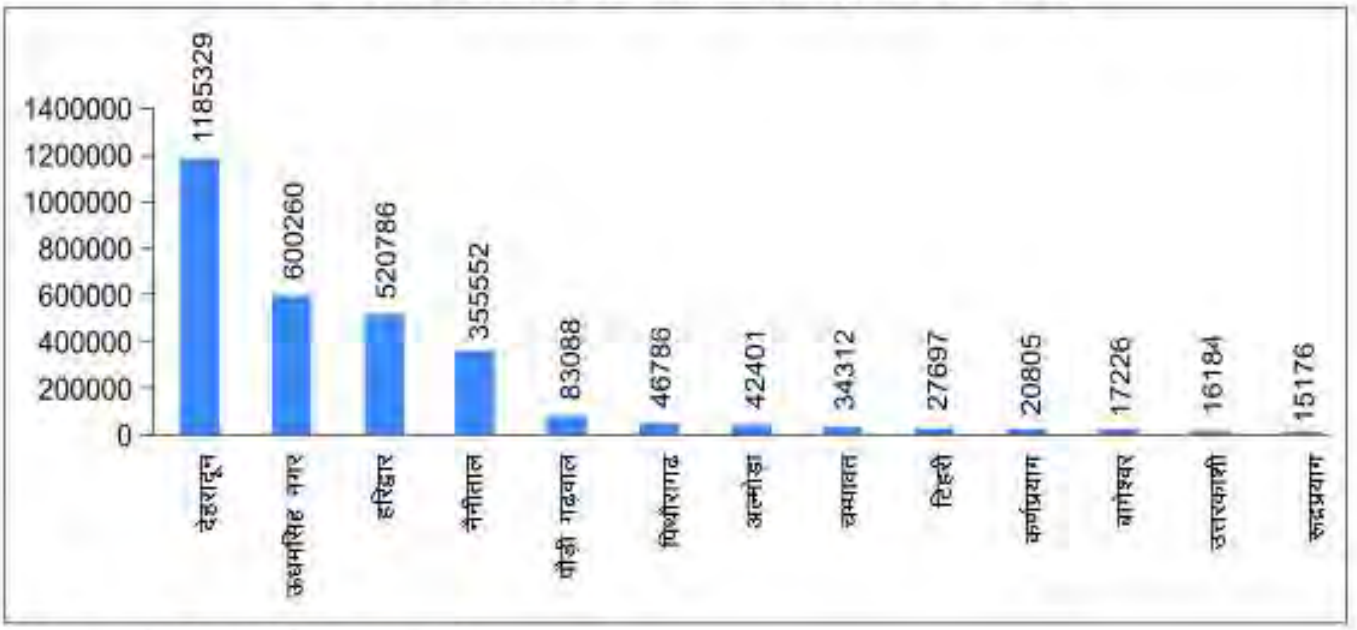


**स्रोतः** आयुक्त परिवहन विभाग उत्तराखण्ड।

**16.1.2 उत्तराखण्ड में सड़क अवसंरचना–** राज्य में सडकों की कुल लम्बाई अप्रैल 2019 में 47,292 थी जिसमें लोक निर्माण विभाग 35,926 किमी0 के साथ सड़क निर्माण में अग्रणी विभाग है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पचायत तथा अन्य स्थानीय निकाय, सिंचाई विभाग, गन्ना विभाग, वन विभाग, बी0आर0टी0एफ0 तथा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा भी सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। विभागवार निर्मित सड़कों का विवरण ग्राफ संख्या–16.4 में प्रदर्शित है–

ग्राफ 16.4
उत्तराखण्ड राज्य में विभागवार सड़कों की लम्बाई (कि0मी0) (मार्च 2019 के अनुसार)

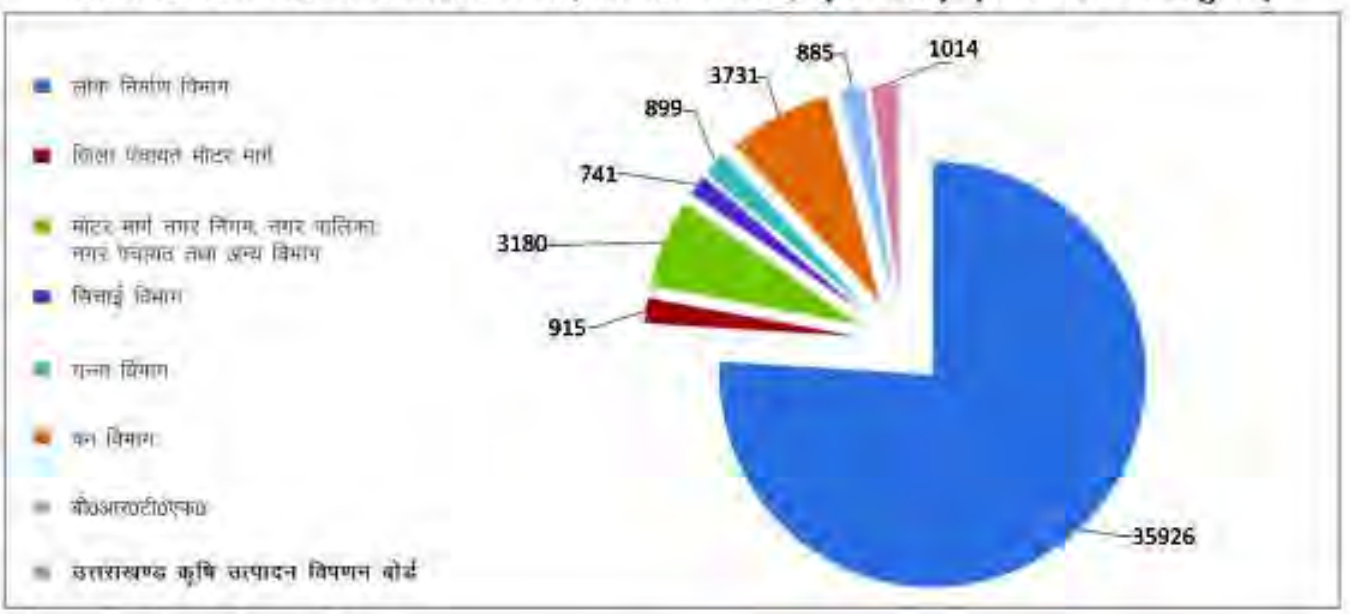


**स्रोतः** सांख्यिकी डायरी 2018–19।

**16.1.3 लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन सड़कें**– लोक निर्माण विभाग के अधीन अप्रैल 2020 तक कुल 37319 कि0मी0 की सड़कें जिसमें 27807.80 कि0मी0 पक्का मोटर मार्ग तथा 9511.20 कि0मी0 कच्चा मोटर मार्ग है। विभिन्न संस्थाओं के नियन्त्रणाधीन सड़कों की स्थिति ग्राफ संख्या 16.5 में प्रदर्शित है।

ग्राफ 16.5
**उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कें (कि0मी0)**

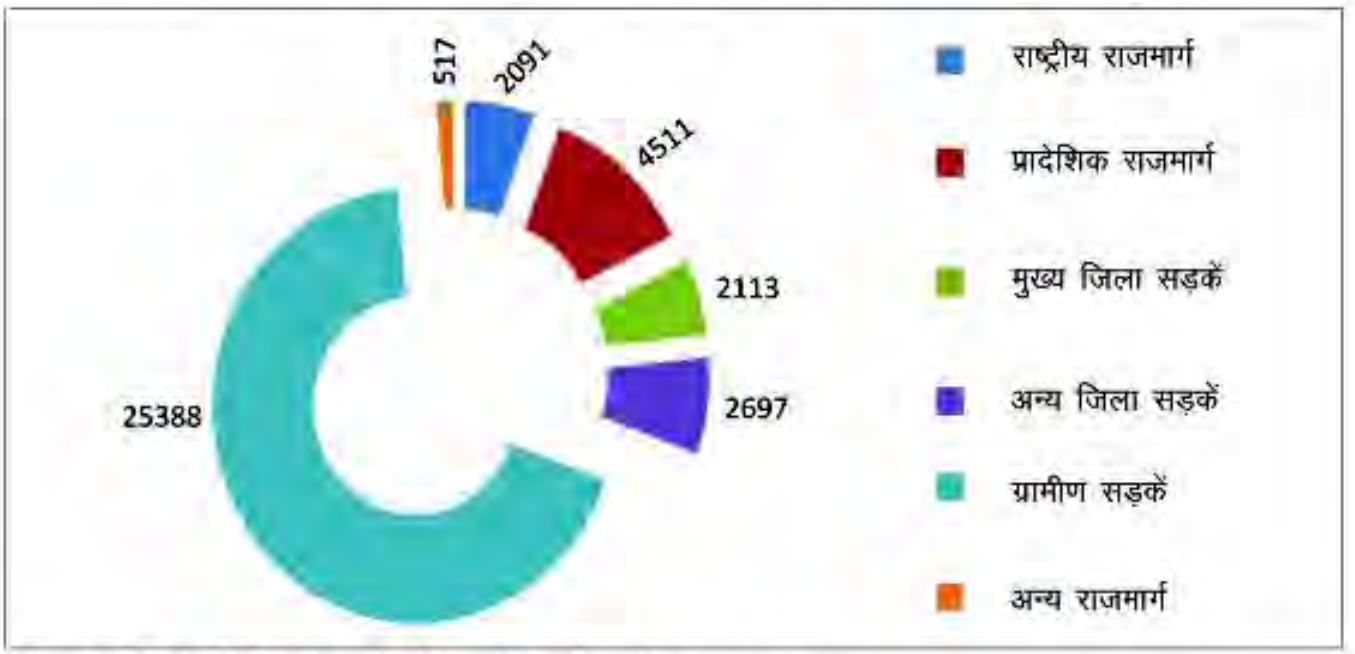


**स्रोतः** लोक निर्माण विभाग से सांख्यिकी डायरी 2019–20 हेतु प्राप्त सूचना।

**16.1.4 लोक निर्माण विभाग**– लोक निर्माण विभाग का मुख्य कार्य ग्रामीण आंचलों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश में कुल 15745 राजस्व ग्राम है, जिनकें सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 13194 ग्रामों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अवशेष 2551 ग्रामों में से 1813 ग्रामों हेतु मार्ग स्वीकृत हैं, शेष 738 ग्रामों हेतु विभिन्न चरणों में कार्यवाही गतिमान है। Treatment of Chronic Slides Zones में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे Geogrid, Gabbion, Soil Nailing/Anchoring, Netting etc. इसके अतिरिक्त पैच मरम्मत कार्य हेतु कोल्ड इमल्शन का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 तक 37319 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कों का निर्माण कर लिया है। वर्ष 2020–21 के लिए जिला सैक्टर, राज्य सेक्टर तथा केन्द्र पुरोनिधानित के तहत नव निर्माण कार्यों हेतु लक्षित ₹ 859.86 करोड़ के सापेक्ष दिसम्बर 2020 तक ₹ 393.03 करोड व्यय हुए तथा वहीं पुनर्निर्माण कार्यों में 795.88 करोड़ रूपये के लक्षित व्यय के सापेक्ष 536.50 करोड रूपये व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2020 तक 18 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 32 सेतु मार्च 2021 तक निर्मित किये जायेगें। वर्ष 2019–20 का लक्ष्य एवं दिसम्बर 2019 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 16.1 में दर्शाया गया है:–

**16.1.5** सड़कें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे

संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड में न के बराबर सडकों से आरम्भ करके लोक निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2020 तक 37319 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सडकों के क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रही हैं। वर्ष 2020–21 के लिए इस हेतु ₹ 2399.06 करोड़ का प्राविधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2020–21 का लक्ष्य एवं दिसम्बर 2020 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 16.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 16.1

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | लक्ष्य 2019–20 | वर्ष 2019 –20 की उपलब्धियां | लक्ष्य 2020–21 | 31.12.2020 तक की वास्तविक उपलब्धियां | 31.03.2021 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| राज्य क्षेत्र | वाहन चलने योग्य सड़क | किमी0 | 738.12 | 724.75 | 859.86 | 393.02 | 859.86 |
| | जल निकास | किमी0 | 738.12 | 724.75 | 859.86 | 393.02 | 859.86 |
| | पक्की तथा विरालित सड़के | किमी0 | 864.07 | 881.81 | 737.38 | 474.60 | 737.38 |
| | पुल | सं0 | 75 | 58 | 48 | 17 | 48 |
| | गॉव जुड़े | सं0 | 143 | 139 | 100 | 35 | 100 |

स्रोतः लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

**16.1.6** उत्तराखण्ड में दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक 13194 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा तालिका संख्या 16.2 में दर्शाया गया है:–

तालिका 16.2

| क्र0 सं0 | सड़कों से जुड़े गॉव | 31 मार्च की संख्या | | | 31.12.2020 तक की वास्तविक उपलब्धियां | 31.03.2021 तक की प्रस्तावित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1 | 1500 से अधिक आबादी वाले गॉव | 829 | 829 | 839 | 839 | 839 |
| 2 | 1000–1499 | 561 | 561 | 564 | 564 | 565 |
| 3 | 500–999 | 1653 | 1665 | 1707 | 1718 | 1729 |
| 4 | 250–499 | 2766 | 2809 | 2990 | 3008 | 3030 |
| 5 | 250 से कम | 6416 | 6481 | 7059 | 7065 | 7096 |
| **कुल योग** | | **12225** | **12345** | **13159** | **13194** | **13259** |

स्रोतः लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

## राष्ट्रीय राज मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

**16.1.7** प्रदेश में वर्तमान में 2954 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकें सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर 2020 तक ₹ 19.11 करोड का व्यय किया गया। विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यो का विवरण निम्नवत है:–

**1. ऑल वैदर रोडः**– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 40 नं0 कार्य, 670.414 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 8983.18 करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष कार्यो का दायित्व निम्न विभागों के पास है:–

- लोक निर्माण विभाग
- पी.आई.यू., मोर्थ (Project Implementation Unit-Ministry of Road Transport and Highway)
- बी.आर.ओ. (Border Road Organisation)
- एन.एच.आई.डी.सी.एल. (National Highway and Infrastructure Development Corporation Ltd.)

इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किमी0 लम्बाई में मार्गों का 02 लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर सहित निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकें अन्तर्गत 15 नं0 दीर्घ सेतुओं, 02 नं0 सुरंग मार्गो (चम्बा एवं राडी टॉप) एवं 03 नं0 एलिवेटेड मार्ग (सोनप्रयाग– लम्बाई 775 मी0, मरीन ड्राइव– लम्बाई 575 मी0 एवं मनेरी– लम्बाई 400मी0) का निर्माण कार्य किये जायेंगे।

इस परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2020 तक 08 नं0 कार्य, लम्बाई 51.542 किमी0, लागत ₹ 893.48 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, एवं 30 नं0 कार्य, लम्बाई 593.702 किमी0, लागत ₹ 7485.18 करोड़ के प्रगति पर है। परियोजना की पूर्णता की अवधि वर्ष 2021–22 तक लक्षित है।

**2. सेतु भारतम योजनाः**– सेतु भारतम योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) के निर्माण का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में निम्न रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनकों वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाना लक्षित है:–

- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 पर काशीपुर के निकट दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 56.76 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 76.52 करोड़।

3. जनपद टिहरी के नरेन्द्रनगर में रानीपोखरी मोटर मार्ग का डेढ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य, लागत ₹ 32.60 करोड माह जून 2019 में पूर्ण करा लिया गया है।

**4. बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माणः**– प्रदेश के मुख्य शहरों में शहर के अन्दर यातायात घनत्व कम करने हेतु बाहरी रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसके सापेक्ष हल्द्वानी रिंग रोड की प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

**5. फ्लाई ओवरों का निर्माणः**– देहरादून शहर में आई.एस.बी.टी. के समीप 02 लेन अतिरिक्त फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य लागत ₹ 29.00 करोड़ का माह मार्च 2019 में पूर्ण किया जा चुका है।

**6. श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्वार कार्यः**– माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता में सम्मिलित श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार कार्य के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा भी श्री केदारनाथ धाम में कार्य किये जा रहे है। शून्य तापमान के बावजूद बहुत कठिन परिस्थितियों में अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

**7. जनपद टिहरी में "डोबरा–चांठी" का निर्माणः**– जनपद टिहरी में टिहरी झील के ऊपर देश का सबसे लम्बा मोटर झूला पुल "डोबरा–चांठी लम्बाई 440 मीटर स्पान" का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायत हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

**8. जनपद टिहरी में "जानकी सेतु" का निर्माणः**– जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती में "कैलाश गेट के समीप गंगा नदी के ऊपर 310 मीटर स्पान के जानकी सेतु" का कार्य पूर्ण कर यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

**16.1.8 लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यः–**

- जनपद टिहरी गढ़वाल में "टिहरी झील के चारों ओर डबल लेन रोड लम्बाई 234.00 किमी0 का निर्माण किया जायेगा।
- मसूरी में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे माह मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- ऋषिकेश शहर में गंगा नदी पर प्रसिद्व लक्ष्मण झूला पुल के विकल्प के तौर पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेन्शन सेतु का निर्माण।

**16.1.9 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः**– ग्रामीण जनसंख्या को बारहमासी पक्की सड़कों से जोडें जाने हेतु वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) संचालित की जा रही है। राज्य में इस योजना की कार्यदायी संस्था ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (Uttarakhand Rural Road Development Agency-URRDA) है। योजना के तहत चरणबद्ध रूप से मैदानी क्षेत्रो में 500 से अधिक की आबादी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वऋतु सड़कों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में योजना आरम्भ से नवम्बर, 2020 तक कुल ₹ 5944.27 करोड व्यय करते हुए कुल 14477.05 कि0मी0 की सड़क के 1477 कार्य पूर्ण किये गये। राज्य में 250 से अधिक आबादी वाली 1872 बस्तियों के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2020 तक 1588 बस्तियों को सर्वऋतु सड़क से जोड़ दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसबर, 2020 तक 748 करोड़ रू0 व्यय करते हुए 130 कार्य पूर्ण किये गये और 70 बस्तियॉ जोड़ी गई। नवीन तकनीकी के द्वारा वर्ष 2017–18 से दिसम्बर 2020 तक कुल 1057.31 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है। सड़क निर्माण कार्य में सीमित कार्य अवधि एवं पारम्परिक निर्माण सामग्री की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत कोल्ड मिक्स, सीमेन्ट स्टेबिलाइजेशन, आर0बी0आई0 81, वेस्ट प्लास्टिक एव नैनो टेक्नालॉजी का उपयोग करके भी मार्ग निर्माण किया जा रहा है।

**उत्तराखण्ड परिवहन निगम–**

**16.1.10** राज्य के सड़क यातायात में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अहम भूमिका है। राज्य में परिवहन निगम तीन डिवीजनल कार्यालय तथा 20 डिपो के साथ यह लोगों को राज्य में तथा राज्य के

बाहर अन्य समीपवर्ती राज्यों में यातायात की सुविधायें प्रदान करता है। वर्ष 2019–20 में निगम की 1323 बसों द्वारा कुल 1484.40 लाख संचालित किमी0 के द्वारा 374.12 लाख सवारियों द्वारा यात्रायें की गयी। चालू वित्तीय वर्ष में कोविड–19 के कारण बस संचालन बाधित रहा और दिसम्बर 2020 तक निगम द्वारा संचालित 1287 यात्री बसों में 984.21 लाख किमी0 की संचालन से 90.81 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम की 1388 बसों में से 644 बसें पर्वतीय तथा 744 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं।

**16.1.11** वर्ष 2003–04 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः ₹ 5213.82 लाख तथा ₹ 4126.56 लाख रूपये थी। बाद के वर्षों में प्राप्तियों तथा व्यय दोनों में तेज वृद्धि हुई परन्तु 2006–07 के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में परिवहन निगम घाटे की स्थिति में बसों का संचालन करता रहा है। 2018–19 तक निगम की हानियां बढ़कर 6005.37 लाख तक पहुंच गई थीं। यद्यपि व्यय में कमी के फलस्वरूप 2019–20 में यह घाटा कुछ कम होकर 4277.47 लाख हुआ परन्तु कोविड–19 के कारण आर्थिक गतिविधियां का व्यापक प्रभाव परिवहन सेवाओं पर पड़ने से चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2020 तक निगम का कुल घाटा रूपये 14954.58 लाख तक पहुंच गया। परिवहन निगम की वर्षवार आय, व्यय तथा लाभ/हानि की स्थिति तालिका 16.3 तथा ग्राफ संख्या 16.6 एवं 16.7 में प्रदर्शित किये गये हैं।

**तालिका 16.3**

**उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/हानि (लाख ₹ में)**

| वर्ष | व्यय | प्राप्तियां | लाभ (+)/हानि(-) |
|---|---|---|---|
| 2003-04 | 5213.82 | 4126.56 | -1087.26 |
| 2004-05 | 12167.27 | 10656.21 | -1511.06 |
| 2005-06 | 15205.98 | 14116.53 | -1089.45 |
| 2006-07 | 16883.49 | 17158.09 | 274.60 |
| 2007-08 | 18735.10 | 18703.60 | -31.50 |
| 2008-09 | 21017.83 | 19550.92 | -1466.91 |
| 2009-10 | 22420.75 | 21268.61 | -1152.14 |
| 2010-11 | 26406.25 | 23570.34 | -2835.91 |
| 2011-12 | 28059.64 | 25383.63 | -2676.01 |
| 2012-13 | 33636.40 | 31101.57 | -2534.83 |
| 2013-14 | 40263.25 | 36464.05 | -3799.20 |
| 2014-15 | 43973.91 | 40480.26 | -3493.65 |
| 2015-16 | 44203.90 | 43146.26 | -1057.64 |
| 2016-17 | 48185.40 | 46250.17 | -1935.23 |
| 2017-18 | 53704.98 | 51403.30 | -2301.68 |
| 2018-19 | 61612.88 | 55607.51 | -6005.37 |
| 2019-20 | 60313.89 | 56036.42 | -4277.47 |
| 2020-21 (DEC-20 तक) | 28162.95 | 13208.36 | -14954.58 |

**स्रोतः** उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

ग्राफ 16.6

**वर्ष 2003–04 से 2020–21 के दिसम्बर 2020 तक व्यय के सापेक्ष प्राप्तियों का प्रतिशत**

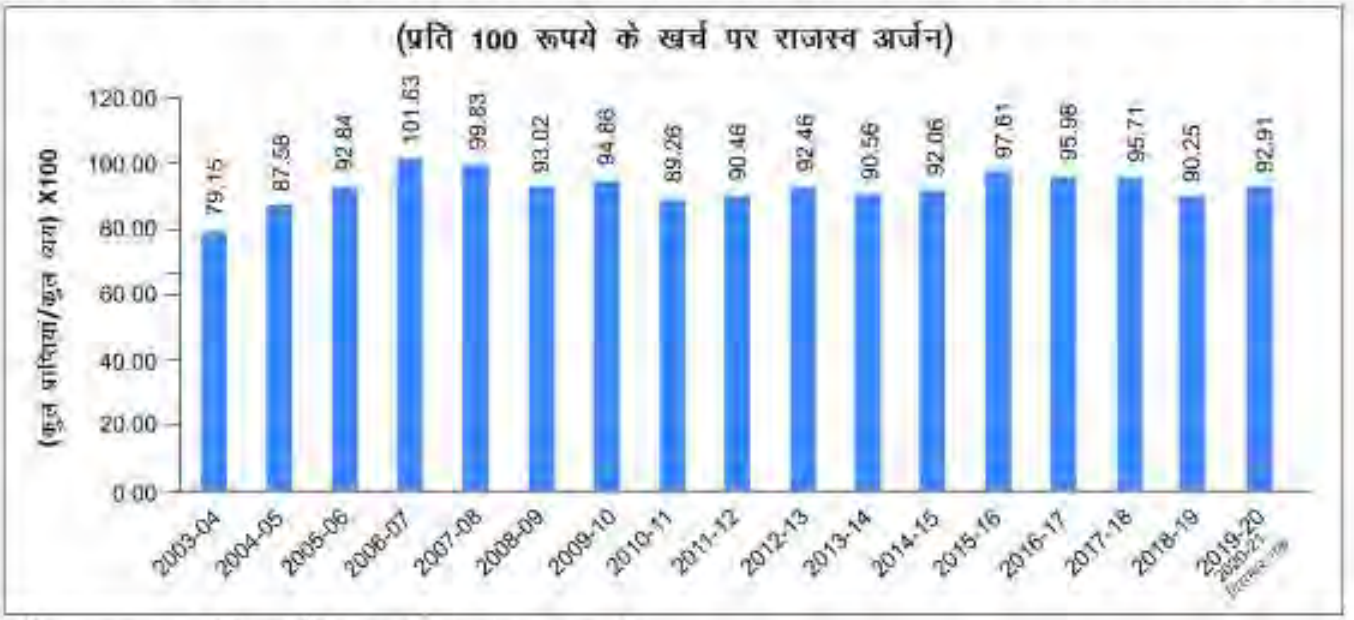


**स्रोतः** उत्तराखण्ड परिवहन निगम (तालिका संख्या 16.3 से)

ग्राफ 16.7

**वर्ष 2015–16 से दिसम्बर 2020–21 तक परिवहन निगम की हानियां (लाख ₹ में)**

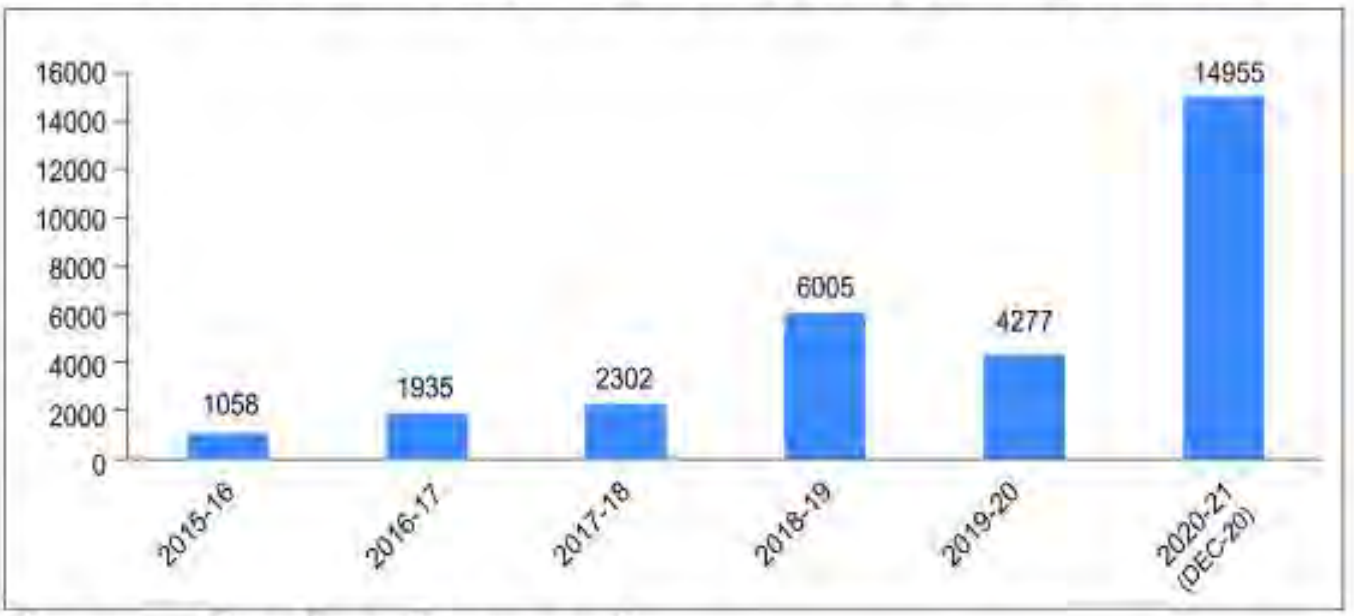


**स्रोतः** उत्तराखण्ड परिवहन निगम (तालिका संख्या 16.3 से)

**16.1.12** राज्य परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों के सुगम संचालन हेतु पड़ोसी राज्यों से परिवहन सम्बन्धी करार किये जा रहे है। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तरप्रदेश, से पारस्परिक परिवहन करार हो चुका है तथा हरियाणा, चण्डीगढ, जम्मू कश्मीर, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परिवहन सम्बन्धित करार गतिशील है। पड़ोसी देश नेपाल के महेन्द्रनगर से देहरादून एवं दिल्ली और नेपालगंज से हरिद्वार तक बस संचालन पर

भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है।

**16.1.13 परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं:–** परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता है:–

**i) मासिक पास योजना:–** परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना के तहत 2019–20 में 34892 पास जारी हुए थे तथा चालू वित्तीय वर्ष में कोविड–19 के कारण दिसम्बर 2020 तक मात्र 8235 पास जारी किये गये।

**ii) छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा:–** निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन की यात्रा हेतु 2019–20 में 724393 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में कोविड–19 के कारण दिसम्बर 2020 तक मात्र 724 छात्राओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

**iii) रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा:–** महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर वर्ष 2019 में 49415 यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2020 में 11321 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

**iv) दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा:** वर्ष 2019–20 में प्रदेश के भीतर 268030 विकलांग यात्रियो को तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर 2020 तक 29145 विकलांग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

**v) वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** वर्ष 2019–20 में 1839852 वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर 2020 तक 218222 यात्रियों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्राप्त हुई।

**vi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** वर्ष 2019–20 में 18854 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह नवम्बर 2020 तक 1513 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

**vii) उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा:–** वर्ष 2019–20 में 118314 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह नवम्बर 2020 तक 11734 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

**viii) कम्प्यूटरीकरण:–** बस संचालन कार्यो का कम्प्यूटरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस हेतु निगम के 20 डिपों तथा तीन डिविजनल कार्यालय एवं मुख्यालय को USWAN से जोड़ा जायेगा।

**उत्तराखण्ड परिवहन विभाग:–**

**16.1.14** राज्य गठन के समय राज्य में ऑनरोड पंजीकृत वाहनों की संख्या 3,63,916 थी जो विगत 20 वर्षों में निरन्तर बढ़ते हुए दिसम्बर 2020 तक बढ़कर 30,96,327 हो गई। कोविड–19 के आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव वाहनों की खरीद पर भी पड़ा है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि चालू वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से नवम्बर–2020 तक कुल 107466 पंजीकृत हुए जबकि वित्तीय वर्ष 2019–20 की समान अवधि में पंजीकृत हुए वाहनों की संख्या 179275 से 40 प्रतिशत कम है। कोविड–19 का प्रतिकूल प्रभाव परिवहन विभाग के राजस्व अर्जन पर पड़ा है। माह अप्रैल से दिसम्बर 2020 तक कुल राजस्व प्राप्तियां वार्षिक लक्ष्य का 47.85 प्रतिशत थी।

**16.1.15 परिवहन विभाग की वित्तीय प्राप्तियां**:– वर्ष 2001–02 में राज्य में मात्र ₹ 66.48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां थी। राज्य में कर ढाचें में सरलीकरण एवं प्रभावी प्रवर्तन के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक राजस्व अर्जन की प्राप्तियॉं निर्धारित लक्ष्यों के अपेक्षा अधिक रही थी परन्तु वर्ष 2018–19 से राजस्व अर्जन लक्ष्यों की तुलना में कम रहा है। 2018–19 में राजस्व प्राप्तियॉं लक्ष्य का 94 प्रतिशत तथा 2019–20 में 91 प्रतिशत थीं। कोविड–19 की महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक गतिविधियों में संकुचन का प्रतिकूल प्रभाव परिवाहन विभाग के राजस्व अर्जन पर भी पड़ा। वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह दिसम्बर, 2019 तक कुल राजस्व प्राप्तियॉं वार्षिक लक्ष्यों का 70 प्रतिशत थी जबकि चालू वर्ष 2020–21 की समान अवधि में यह प्राप्तियॉं लक्ष्यों का महज 40 प्रतिशत रहीं है। वर्ष 2010–11 से माह नवम्बर, 2020 तक के लक्ष्य एवं प्राप्तियॉं ग्राफ सं0–16.3 में प्रदर्शित है।

ग्राफ 16.8

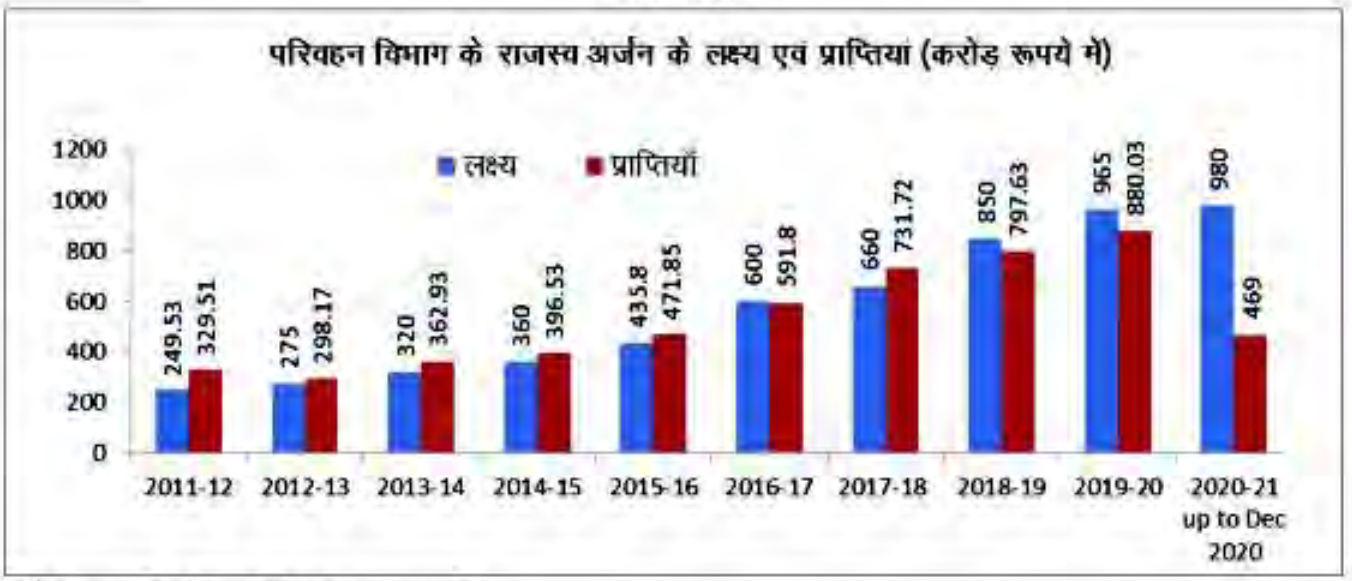


स्रोतः आयुक्त परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

ग्राफ 16.9 (2–प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य)

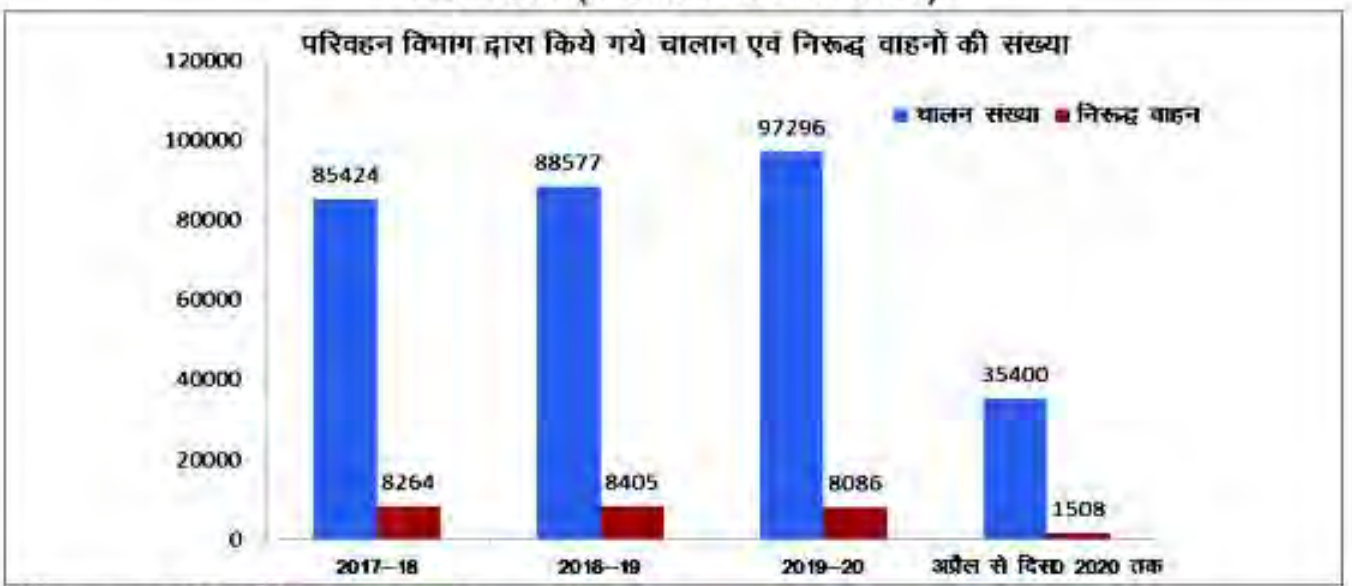


स्रोतः आयुक्त परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

ग्राफ 16.10 (राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण)

स्रोतः आयुक्त परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

**16.1.16 वाहन स्वामियों को ऑनलाईन सेवायें**– परिवहन विभाग के कार्यों हेतु 02 सॉफ्टवेयर हैं। 1–वाहन–वाहनों के पंजीयन संबंधी। 2– सारथी–चालक लाईसेन्स संबंधी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह नवम्बर, 2020 तक विभागीय कार्यों के फलस्वरूप लगभग 74 प्रतिशत राजस्व ऑन लाईन रूप में प्राप्त हुआ है। परिवहन विभाग की निम्नलिखित ऑनलाईन सेवायें प्रारम्भ की गयी हैः–

1. वाहन का स्वामित्व हस्तान्तरण।
2. एन0ओ0सी0।
3. पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति।
4. एचपीए (ऋण) पृष्ठांकन।
5. एचपीए (ऋण) निरस्तीकरण।
6. एचपीए (ऋण) कन्टीन्यूएशन।
7. फिटनेस आवेदन।
8. मोबाईल नम्बर अपडेशन।
9. वाहन में परिवर्तन।
10. वाहन परमिट जारी/नवीनीकरण हेतु आवेदन।
11. पता परिवर्तन।
12. पंजीयन प्रमाणपत्र नवीनीकरण।
13. आकर्षक पंजीयन नम्बर की ऑनलाइन बुकिंग/नीलामी।
14. लाईसेन्स सम्बन्धी समस्त सेवायें।
15. ऑन लाईन कर भुगतान।

**16.1.17 कोविड–19 के दृष्टिगत विभाग द्वारा प्रदान की गयी छूट**

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत जिन प्रपत्रों की वैधता दिनांक 01–02–2020 अथवा उसके पश्चात समाप्त हुई, की वैधता बढायी गयी है।

(2) राज्य में पंजीकृत समस्त मोटरयानों को दिनांक 01–04–2020 से 15–09–2020 तक की अवधि के लिये मोटरयान कर से छूट प्रदान की गयी है।

(3) सभी प्रकार के सार्वजनिक सेवायान परमिटों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में एक बार के लिये परमिट नवीनीकरण शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है।

(4) कोविड–19 के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा फँसे हुये लोगों को गन्तव्य तक पहुँचाने हेतु एवं अन्य सेवाओं हेतु अभी तक लगभग 9900 वाहन

चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करायी गयी है।

## 16.2 रेल यातायात

**16.2.1** पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में रेलवे का विकास अपेक्षकृत कम हुआ है। राज्य में रेलवे लाईन की लम्बाई 344.91 किमी0 की संचालित रेल लाइनें है। प्रदेश में रेलवे यातायात को बढाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनो प्रयासरत हैं जिसके फलस्वरूप 125.20 किमी0 की ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 27.45 किमी0 लम्बाई की देवबन्द–रूडकी रेलवे लाईन तथा चारधाम रेलवे परियोजना का कार्य गतिमान है। इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य के विकास की दर को त्वरित गति प्रदान करेंगी।

**16.2.2 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना–** ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच नई ब्रॉडगेज (Broad Gauge-1676 mm) रेल लाइन उत्तराखंड राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल संपर्क उपलब्ध कराने का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में स्थित तीर्थस्थल तक पहुंच को आसान बनाने, नए व्यापार केंद्रों को जोड़ने, पिछडे क्षेत्रों का विकास करने एवं क्षेत्र में रहने वाली आबादी को सेवायें प्रदान करना है। इस लिंक परियोजना से यह उम्मीद है कि इससे यात्रा के समय और लागत में काफी कमी आएगी, क्षेत्र में औद्योगिक विकास तथा कुटीर उद्योगों के अवसर उत्पन्न होंगे, राज्य की आर्थिकी तीव्र होगी तथा पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित रेल लाइन 5 जिलों के देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। 16216 करोड़ रूपये के प्राजेक्ट लागत की इस परियोजना की लम्बाई 125.20 कि0मी0 है। 105.47 कि0मी0 रेलवें लाईन भूमिगत होगी। परियोजना के अंतर्गत 16 पुलों एवं 17 सुरंगों का निर्माण किया जाना है। पुलों तथा सुरंगों का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

**16.2.3** इस रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश (वीरभद्र) तथा कर्णप्रयाग के मध्य न्यू ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, ऑक्जीलरी (सुरंग में), मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलनी, घोलतीर, गोचर तथा सिवाई सहित कुल 12 रेलवें स्टेशन बनाये जायेगें। इनमें में से पहले रेलवे स्टेशन न्यू ऋषिकेश स्टेशन का निमार्ण कार्य पूर्ण हो गया है।

**ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना की मुख्य विशेषतायें–**

- कुल लम्बाई : 125.20 किलोमीटर
- गेज : 1676 मिमी0 (ब्रॉड गेज)
- चरियोजना की लागत : ₹ 16216 करोड़
- कुल स्टेशन संख्या : 12
- कुल सुरंगें : 17 (सुरगों की लम्बाई 105.47 किमी0)
- मुख्य पुलों की संख्या : 16

तालिका 16.4

**Salient Features of Rishikesh Karnprayag rail Project**

| S.No. | Station | No of High Level Platforms | Total No of Lines | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Virbhadra (Existing station) 0 | 01 | 04 | 1st Section Commissioned after CRS inspection on 17-03-2020 |
| 1 | Yog Nagari Rishikesh (old name New Rishikesh) | 03 | 18 | |
| 2 | Shivpuri | 02 | 03 | Partly in Tunnel and Bridge (ESP Approved by N. Railway) |
| 3 | Byasi | 02 | 03 | Partly in Tunnel and Bridge (ESP Approved by N. Railway) |
| 4 | Devprayag | 02 | 02 | Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway) |
| 5 | Janasu (Auxiliary) | 01 | 02 | Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway) |
| 6 | Maletha | 02 | 03 | Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway) |
| 7 | Srinagar | 3 Passnenger + 2 Goods | 07 | In Open (ESP Approved by N. Railway) |
| 8 | Dhari Devi | 02 | 04 | Partly in Bridge (ESP Approved by N. Railway) |
| 9 | Tilani | 02 | 03 | Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway) |
| 10 | Gholtir | 02 | 03 | Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway) |
| 11 | Gauchar | 02 | 04 | In Open (ESP Approved by N. Railway) |
| 12 | Sivai (Karanprayag) | 3 Passnenger + 1 Goods | 10 | Partly in Tunnel (ESP Approved by N. Railway) |

**स्रोत:** रेल विकास निगम लिमिटेड।

## परियोजना की वर्तमान स्थिति–

**16.2.4** परियोजना के तहत वर्तमान वीरभद्र स्टेशन तथा योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (PK-1A) के मध्य 5.7 कि0मी0 के प्रथम ब्लॉक सैक्शन 17 मार्च 2020 में संचालन प्रारम्भ हो गया। इसके तहत ऋषिकेश के बाईपास में एक रेलवे अन्डर ब्रिज तथा ऋषिकेश–देहरादून मार्ग में एक रेलवे ओवर ब्रिज का निमार्ण कार्य शामिल है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन में ट्रेनों की मरम्मत की सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है।

इस परियोजना के तहत 17 सुरंगों का निर्माण किया जाना है। यह कार्य 10 पैकेज में विभाजित है जिसमें से 9 पैकेज के निर्माण का कार्य निमार्ण एजेन्सियों को आबंटित किया जा चुका है तथा शेष एक पैकेज का कार्य जनवरी, 2021 में आवंटित किया जायेगा।

**16.2.5 रेलवे ब्रिज**– चन्द्रभागा नदी पर तीन ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा अलकनन्दा नदी में लाचमोली तथा श्रीनगर में कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर, गोचर तथा सिवई में

कार्य स्थल तक पहुँच हेतु रोड ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

**16.2.6** वर्ष 2015 की लागत के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 16216 करोड अनुमानित है परन्तु 5 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति के कारण आवश्यक कोष की वैल्यू घटने के कारण वर्ष 2025 तक परियोजना की वास्तविक लागत ₹ 22042 करोड़ अनुमानित की गयी है।

तालिका 16.5

**Salient Features of Rishikesh Karnprayag Rail Project**

| S.No. | Parameters | Final Alignment |
|---|---|---|
| 1 | Total Length (km) | 125.20 |
| 2 | No. of New Stations (Nos.) | 12 |
| 3 | No. of tunnels (Nos.as per list of tunnels) | 17 |
| 4 | Total Length of tunnels (kms) | 105.47 |
| 5 | Escape tunnel (Kms) | 98.54 |
| 6 | Total Length of tunnelling involved (kms) | 218 |
| 7 | Max length of the tunnel (km) | 15.10 |
| 8 | Percentage of route tunnel length | 84.24% |
| 9 | No. of important bridges (Nos.) | 16 |
| 10 | Total Length of bridges (mtr) | 2835 |
| 11 | Max height of bridge(mtr) | 50 |
| 12 | Max length of bridge (mtr) | 460 |
| 13 | Percentage of bridge length | 2.26% |
| 14 | Length of open cutting/ Embankment (kms) | 16.89 |
| 15 | Percentage of open cutting/ Embankment (%) | 13.49% |
| 16 | Total Cost (INR) as per Detailed Estimate (2016) | 16216 Cr. |

**Source:** Rail Viaks Nigam Ltd.

**16.2.7 चारधाम रेलवे**– भारत के उत्तर में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में स्थित चारधाम रेल परियोजना में कुल 327 किमी लंबाई वाली चार अलग–अलग रेल लाइन शामिल हैं। यह रेल लाइन गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों से जुड़ेगी जो हिंदू धर्म के चार पवित्र मंदिर हैं। प्रथम पैकेज के रूप में 153 कि0मी0 लम्बी चारधाम एवं चारधाम यात्रा (गंगोत्री तथा यमुनोत्री) सिंगल ब्रॉड गेज (Broad Gauge-1676 mm) लिंक रेल कनेक्टिविटी तथा द्वितीय पैकेज के रूप में में 174 कि0मी0 लम्बी चारधाम एवं चारधाम यात्रा (बद्रीनाथ तथा केदारनाथ) सिंगल ब्रॉड गेज लिंक रेल कनेक्टिविटी का निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित नई रेल परियोजना का उद्देश्य चीन की सीमा के निकट स्थित पवित्र मंदिरों में तीर्थयात्रियों का आरामदायक और सुरक्षित परिवहन, नए व्यापार केंद्रों से कनेक्शन और पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के अलावा क्षेत्र में रहने वाली आबादी की सेवा करना है। इस परियोजना से गंगा/अलकनंदा घाटी में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

# अध्याय–17
# पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
# Tourism and Civil Aviation

उत्तराखण्ड हमेशा से ही देश–विदेश के पर्यटकों/यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा–रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मो के पवित्र तीर्थ स्थलों युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैसर्गिक, साहसिक, वन्य–जन्तु, इको टूरिज्म, मनोरंजन (आमोद–प्रमोद) आदि अनेक विधाओं के लिये संसाधन उपलब्ध है। भारत के उत्तरी भू–भाग को हरा–भरा करने वाली पतित पावनी गंगा–यमुना के उद्गम स्थलों के इस प्रदेश की सांस्कृतिक परम्परा, अलौकिक/नैसर्गिक सौन्दर्य तथा शीतल व प्राणदायिनी शुद्ध जलवायु पर्यटकों को आर्कषित करने के लिये प्रमुख संसाधन है।

वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण विश्वभर में पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य का पर्यटन व्यवसाय मुख्य रूप से चारधाम यात्रा पर भी कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव परिलक्षित हुआ है। इस महामारी के कारण राज्य की आर्थिकी के साथ–साथ पर्यटन में रोजगार/स्वरोजगार सृजन में भी स्पष्ट रूप से विपरीत असर दृष्टिगोचर होता है।

**17.1 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशतः–** वर्ष 2004–05 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.67 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2019–20 में घटकर 0.50 प्रतिशत है हालांकि गतवर्ष 2018–19 के सापेक्ष इसमें सुधार हुआ है। GSDP में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2004–05 में 0.19 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2019–20 में घटकर 0.09 प्रतिशत है। हांलाकि गत वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है इसे चार्ट 17.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 17.1

**स्रोतः** अर्थ एवं संख्या निदेशालय

चार्ट 17.2

**Shares of Tourism in GVA and Employment of the state**

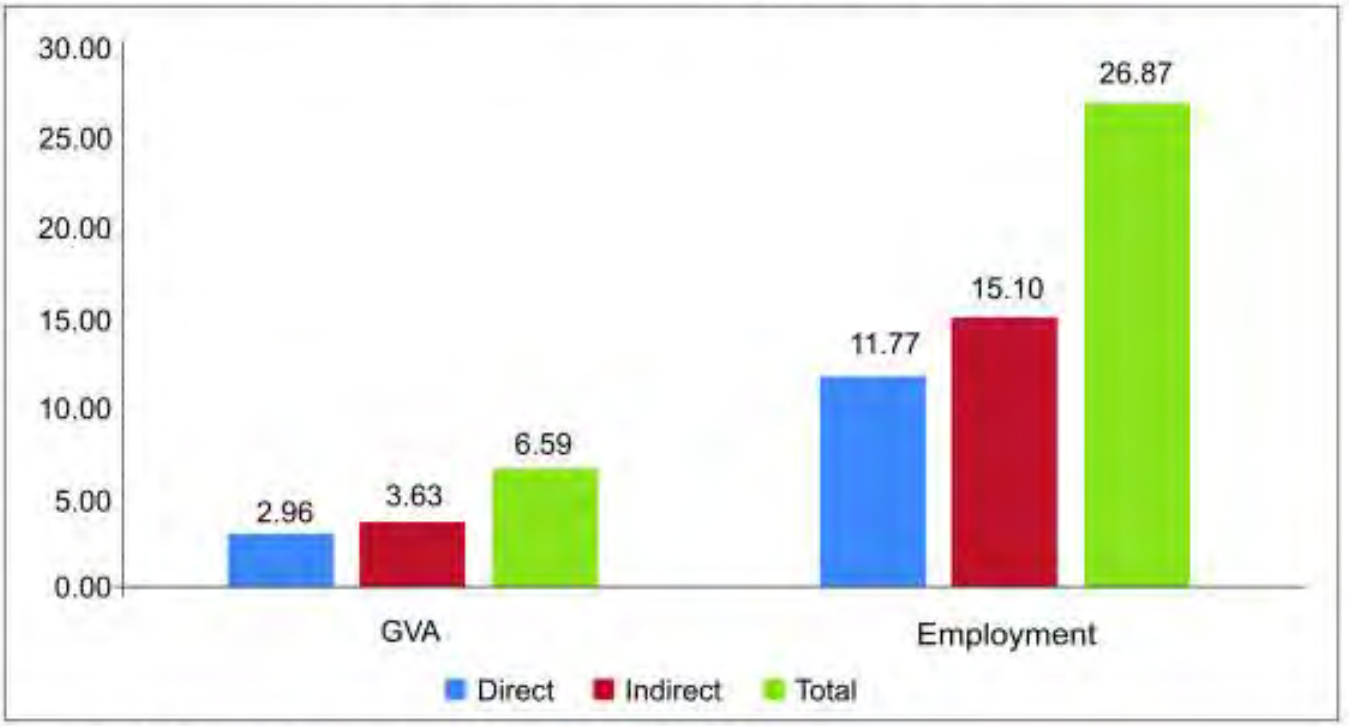


**Source:** NCAER Tourism Satellite Accounts Uttarakhand 2018-19

चार्ट 17.3

**Percent distribution of Domestic Tourism Expenditure (incurred by tourists from within the state) by products and services**

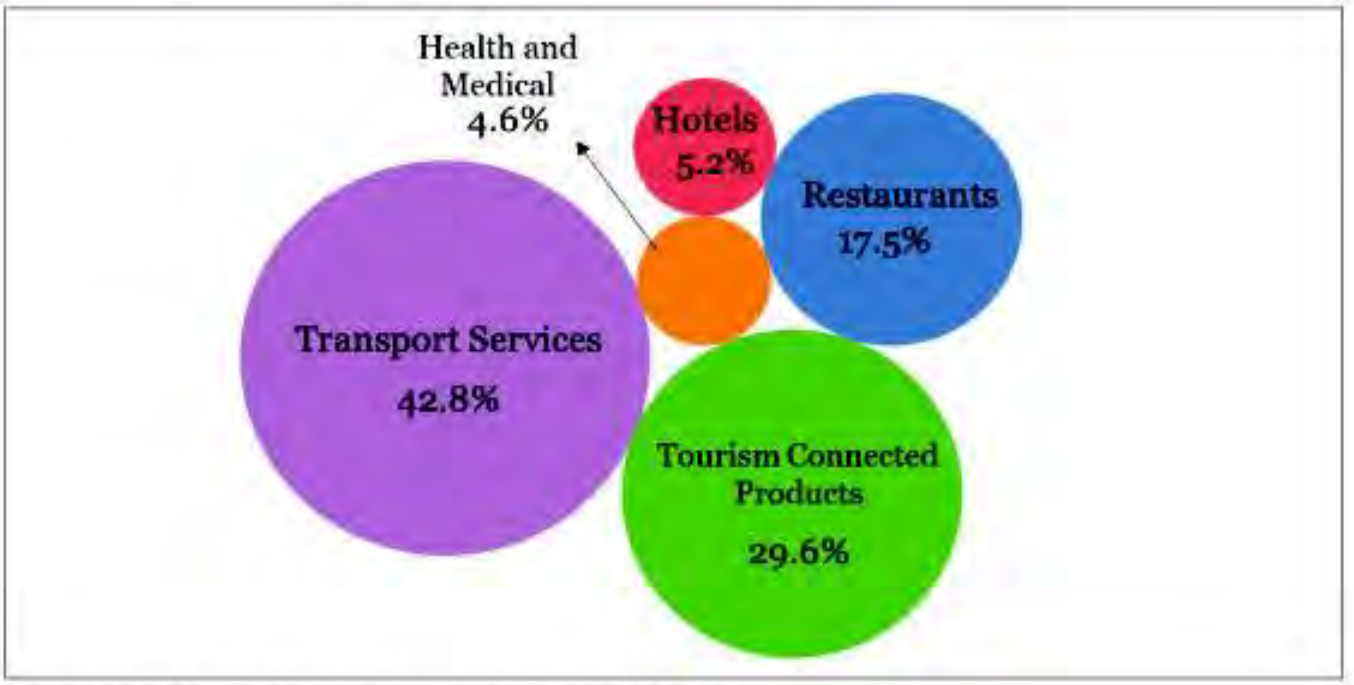


**Source:** NCAER Tourism Satellite Accounts Uttarakhand 2018-19

चार्ट 17.4

**Percent distribution of International Inbound Tourism Expenditure (incurred by International tourists) by products and services**

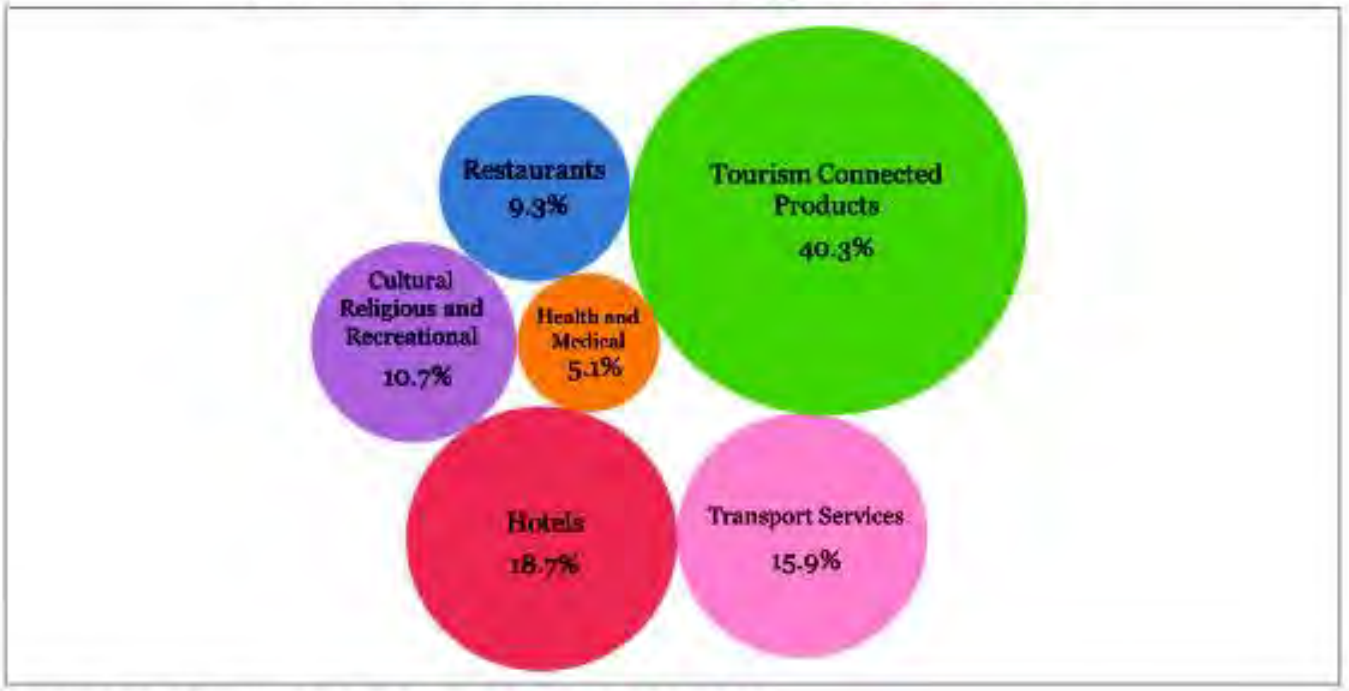


**Source:** NCAER Tourism Satellite Accounts Uttarakhand 2018-19

चार्ट 17.5

**Percent distribution of Outbound Tourism Expenditure by products and services**

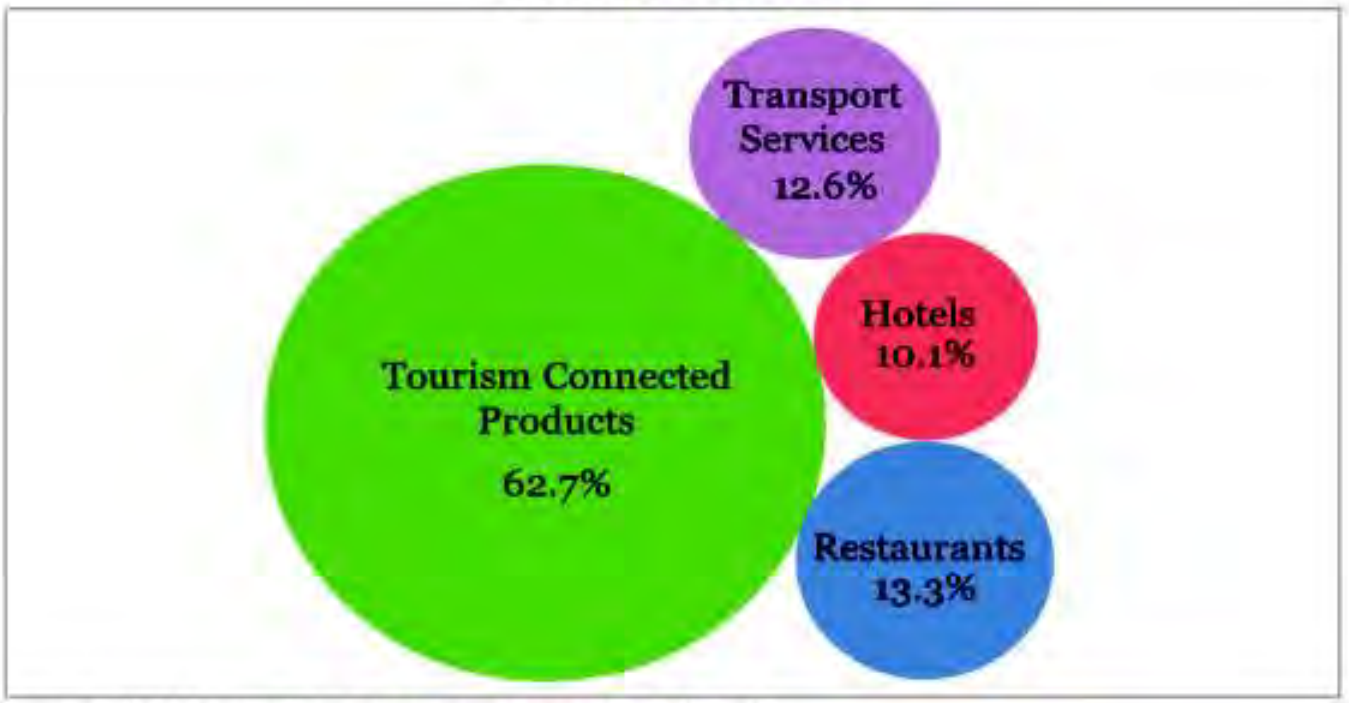


**Source:** NCAER Tourism Satellite Accounts Uttarakhand 2018-19

राज्य में पर्यटन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकॉनामी एण्ड रिसर्च (NCEAR) द्वारा किये गये अध्ययन के अनन्तिम परिणामों के आधार पर वर्ष 2018–19 में राज्य आय में पर्यटन का योगदान 6.59 प्रतिशत आंका गया है जबकि कुल रोजगार का 26.87 प्रतिशत रोजगार पर्यटन क्षेत्र से अनुमानित किया गया है। यद्यपि पर्यटन गतिविधियों में प्रत्यक्ष GVA कुल GVA का 2.96 प्रतिशत तथा रोजगार सृजन 11.77 प्रतिशत है, तथा अपत्यक्ष (Indirect) रूप से पर्यटन GVA कुल GVA का 3.63 प्रतिशत तथा रोजगार सृजन 15.10 प्रतिशत आंका गया है। राज्य में कुल रोजगार का 26.87 प्रतिशत रोजगार पर्यटन क्षेत्र से अनुमानित होने के कारण इसे और अधिक नियोजित एवं दीर्घकालिक नियोजन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है GVA तथा रोजगार को चार्ट 17.2 में प्रदर्शित किया गया है।

सामान्यतः घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में पर्यटन के विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है। यदि घरेलू पर्यटन में व्यय को देखा जाय उसमें सबसे अधिक व्यय 42.8 प्रतिशत परिवहन सेवाओं तथा 29.6 प्रतिशत पर्यटन से संबंधित उत्पादों में व्यय किया जाता है जबकि होटल तथा रेस्टोरेन्ट में व्यय क्रमशः 5.2 तथा 17.5 प्रतिशत है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 4.6% जिसे चार्ट 17.3 पर प्रदर्शित किया गया है। इसी क्रम में राज्य में आये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटको द्वारा सबसे अधिक व्यय 40.3 प्रतिशत पर्यटन व उससे संबंधित उत्पादों को क्रय करने में किया गया है, जबकि होटल में 18.7 प्रतिशत, परिवहन सेवा में 15.9 प्रतिशत, सांस्कृतिक, धार्मिक व मनोरंजन कार्य में 10.7 प्रतिशत, रेस्टोरेन्ट में 9.3 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में 5.1 प्रतिशत व्यय किया गया। जिसे चार्ट 17.4 पर प्रदर्शित किया गया है। राज्य के पर्यटकों द्वारा राज्य से बाहर एवं विदेशों में सामान्यतः 62.7 प्रतिशत व्यय पर्यटन संबंधी उत्पादों पर एवं परिवहन सेवा में 12.6 प्रतिशत, होटल पर 10.1 प्रतिशत, रेस्टोरेन्टों पर 13.3% व्यय किया गया है जिसे चार्ट 17.5 पर प्रदर्शित किया गया है।

उपरोक्त व्यय प्रवृति से स्पष्ट हो रहा है कि पर्यटकों द्वारा पर्यटन संबंधी उत्पादों पर प्रर्याप्त व्यय किया जाता है अतः राज्य में स्थानीय जैविक उत्पादों के साथ ही पर्यटन उत्पादों की विशेष ब्रैडिंग (Branding) की आवश्यकता इस क्षेत्र मे आर्थिक गतिविधियों को बढाने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

**17.2 पर्यटन स्वरोजगार योजनायें**:– प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से गतवर्षो में "वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" तथा "दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे अनुदान योजना" संचालित की जा रही है।

वर्ष 2020 में "ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना" प्रारम्भ की गई है इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेगें जहां से अधिकतम ट्रेकिंग मार्ग गुजरते हो। इन सेंटरों से गुजरने वाले ट्रैकिंग मार्गों पर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि व ट्रैकिंग मार्ग पर होमस्टे बनाये जाने पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

**17.3 वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना**:– यह योजना राज्य गठन के उपरान्त प्रारम्भ की गई शुरूआती स्वरोजगार योजना में से एक है। जिसमें अब तक लगभग सात हजार स्थानीय व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है। इन व्यक्तियों द्वारा सृजित की गई पर्यटन इकाईयों/वाहनों में कई अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य की "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" युवाओं के रोजगार के अवसर तलाशने में महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है।

इस योजना के अन्तर्गत वाहन मद में अनुदान राशि जो कि पूर्व में पूंजी का 25 प्रतिशत थी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख किया गया है।

तालिका 1

**वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक जनपदवार कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्याः–**

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | 2019–20 में लाभार्थियों की संख्या | 2020–21 में लाभार्थियों की संख्या (दिसम्बर–2020 तक) |
|---|---|---|---|
| 1. | देहरादून | 21 | 14 |
| 2. | उत्तरकाशी | 15 | 07 |
| 3. | हरिद्वार | 06 | 05 |
| 4. | टिहरी गढ़वाल | 17 | 04 |
| 5. | पौड़ी गढ़वाल | 24 | 09 |
| 6. | चमोली गढ़वाल | 32 | 22 |
| 7. | रूद्रप्रयाग | 13 | 03 |
| 8. | अल्मोड़ा | 21 | 08 |
| 9. | बागेश्वर | 09 | 12 |
| 10. | पिथौरागढ़ | 15 | 15 |
| 11. | चम्पावत | 09 | 06 |
| 12. | नैनीताल | 09 | 07 |
| 13. | ऊधमसिंहनगर | 03 | 04 |
| | **कुल योग** | **194** | **116** |

**स्रोतः** उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग

**17.4 अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजनाः–** इस योजना का मूल उददेश्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिये एक साफ और किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव व परंपराओं को समझने और भारतीय/उत्तराखण्डी व्यंजनों के स्वाद के लिये एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 2664 आवासीय इकाईयॉ पंजीकृत की जा चुकी है। वर्ष 2020–21 में मात्र 437 होमस्टे पंजीकृत किये गये है, जबकि वर्ष 2019–20 में 1262 इकाईया पंजीकृत की गयी थी।

तालिका 2

उत्तराखण्ड में गृह आवास (होम स्टे) योजना का जनपदवार विवरण

| क्र0सं0 | जनपद | वित्तीय वर्ष (2018–19) | वित्तीय वर्ष (2019–20) | वित्तीय वर्ष (2020–21) दिसम्बर–2020 तक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | देहरादून | 211 | 220 | 77 |
| 2 | हरिद्वार | 13 | 5 | 3 |
| 3 | टिहरी | 95 | 51 | 33 |
| 4 | उत्तरकाशी | 60 | 195 | 57 |
| 5 | रूद्रप्रयाग | 57 | 69 | 25 |
| 6 | पौड़ी | 19 | 76 | 14 |
| 7 | चमोली | 125 | 195 | 61 |
| 8 | नैनीताल | 149 | 127 | 64 |
| 9 | अल्मोड़ा | 59 | 85 | 30 |
| 10 | पिथौरागढ़ | 141 | 177 | 85 |
| 11 | चम्पावत | 5 | 29 | 51 |
| 12 | ऊधमसिंहनगर | 2 | 6 | 0 |
| 13 | बागेश्वर | 29 | 27 | 37 |
| | **योग** | **965** | **1262** | **437** |

स्रोतः पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 3

उत्तराखण्ड में उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का जनपदवार विवरण

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | निजी होटल/ लॉज/होम–स्टे आदि | | धर्मशाला गुरूद्वारा / आश्रम आदि | | पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के रेस्ट हाऊस / गेस्ट हाऊस | | पर्यटक आवास गृह, रैन बसेरा, जनता यात्री निवास व एफ0आर0पी0 हट्स | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | शैय्या | संख्या | क्षमता | संख्या | शैय्या | संख्या | शैय्या |
| 1 | पिथौरागढ़ | 230 | 1646 | 1 | 70 | 22 | 114 | 26 | 410 |
| 2 | चम्पावत | 128 | 1642 | 4 | 4200 | 22 | 46 | 06 | 202 |
| 3 | अल्मोड़ा | 366 | 6003 | 5 | 138 | 40 | 198 | 17 | 456 |
| 4 | बागेश्वर | 137 | 1999 | 1 | 15 | 24 | 283 | 05 | 102 |
| 5 | नैनीताल | 903 | 41628 | 18 | 1756 | 39 | 160 | 29 | 639 |
| 6 | उधमसिंह नगर | 127 | 3621 | 12 | 2470 | 15 | 98 | 04 | 58 |
| 7 | चमोली | 786 | 24178 | 44 | 3962 | 22 | 111 | 31 | 1741 |
| 8 | पौड़ी | 368 | 7132 | 18 | 2556 | 27 | 116 | 28 | 934 |
| 9 | रूद्रप्रयाग | 437 | 9748 | 14 | 204 | 18 | 205 | 18 | 1344 |
| 10 | देहरादून | 1264 | 30624 | 43 | 3456 | 63 | 452 | 09 | 558 |
| 11 | हरिद्वा र | 525 | 18050 | 660 | 96750 | 21 | 228 | 02 | 78 |
| 12 | टिहरी | 795 | 16890 | 27 | 9628 | 20 | 150 | 15 | 628 |
| 13 | उत्तरकाशी | 682 | 13269 | 16 | 419 | 28 | 82 | 18 | 559 |
| | **कुल योग** | **6748** | **176430** | **863** | **125624** | **361** | **2243** | **208** | **7709** |

स्रोतः उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग

## धार्मिक पर्यटन

**17.5 चारधाम यात्रा 2020 का संचालनः–** कोरोना महामारी के कारण इस बार चारधाम यात्रा पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई में प्रारम्भ होने वाली यात्रा इस बार जुलाई–अगस्त माह में भी सीमित संख्या में शुरू हो पायी। लॉकडाउन के कारण यात्री और पर्यटक अपेक्षाकृत कम मात्रा में आये। वर्ष 2020 में चारधाम के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 1.55 लाख, केदारनाथ में 1.35 लाख, गंगोत्री में 23,774, यमुनोत्री में 7,728 एवं हेमकुण्ड साहिब में 8,290 तीर्थयात्रियों द्वारा चारधाम एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा की गई जो पिछले वर्ष के मुकाबले अत्यधिक कम रही।

तालिका 4

चारधाम यात्रा एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा में आये पर्यटकों/यात्रियों की संख्याः–

| क्र0सं0 | धाम का नाम | वर्ष 2019 में आये कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या | वर्ष 2019 में आये कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या | वर्ष 2020 में आये कुल घरेलू पर्यटकों की संख्या | वर्ष 2020 में आये कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केदारनाथ | 998956 | 1065 | 135287 | 62 |
| 2. | बद्रीनाथ | 1244100 | 893 | 155009 | 46 |
| 3. | गंगोत्री | 529880 | 454 | 23736 | 38 |
| 4. | यमुनोत्री | 465111 | 423 | 7717 | 11 |
| 5. | हेमकुण्ड साहिब | 239910 | 223 | 8290 | 00 |
| | **कुल योग** | **3477957** | **3058** | **330039** | **157** |

**स्रोतः** उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग

**उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्डः–** उत्तराखण्ड में स्थित चारधामों यथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री सहित ही प्रसिद्ध मंदिरों के कायाकल्प तथा इनके अधिक सुव्यस्थित एवं सुचारू संचालन के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड" का गठन किया गया है।

केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु मास्टर प्लान तैयार कर कार्यवाही की गई है। जिस हेतु "श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" की स्थापना की गयी है। श्री केदारनाथ धाम के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान के अनुरूप लगभग ₹ 300.00 करोड़ के कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके है। जबकि लगभग 150.00 करोड़ के कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। केदारनाथ धाम की भॉति ही बद्रीनाथ क्षेत्र के सुनियोजित एवं समेकित विकास के दृष्टिगत बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है।

- प्रथम चरण में केदारनाथ मंदिर परिसर का चौडीकरण, मंदिर के सामने 200 मीटर लंबे पैदल मार्ग व चबूतरे का निर्माण मंदाकिनी नदी पर 400 मीटर लंबे आस्था पथ, आदि शंकराचार्य की समाधि, गरूडचट्टी–केदारनाथ पैदल, तीर्थपुरोहित के घर, मंदाकिनी व सरस्वती पर घाट का निर्माण और बाढ सुरक्षा कार्य होने थे। इसमें 80 फीसदी कार्य पूरे हो चुके हैं और अब द्वितीय चरण के कार्य शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

- **आजीविका से जुडा केदारधामः**— केदारनाथ धाम, पूरे विश्व की आस्था का केन्द्र है। यहा प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ चार धाम यात्रा प्रदेशवासियों के लिए लाईफ लाईन की तरह है। हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। होटल, रेस्टोरेंट, बस टैक्सी आदि के रूप पर्यटन से जुडे व्यवसाय काफी हद तक केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर निर्भर है। इससे हजारों लोगों को काम मिलता है। राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए नई पहल की है। देवभोग प्रसाद योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसमें स्थानीय उत्पाद का प्रयोग कर प्रसाद तैयार करवाया जाता है। अकेले केदारनाथ में 1 करोड़ रूपये का प्रसाद महिलाओं द्वारा बेचा गया है। प्रदेश के 625 बड़े मन्दिरों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। फलस्वरूप महिलाओं के साथ–साथ किसानों को भी अच्छी आमदनी हो रही है
- **ध्यान गुफा बनी आकर्षण का केन्द्रः**— जिस ध्यान गुफा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 घंटे एकांत वास किया वह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गई। उस गुफा मे रहने हेतु बुकिंग के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सी लग गई। पिछले साल सरकार ने पुनर्निर्माण के तहत भैरवनाथ मन्दिर के सामने इस प्राचीन गुफा को ध्यान के लिए तैयार किया था जो कि प्रधानमंत्री की साधना के बाद देश दुनिया में चर्चा में आई। स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम में तीन और गुफाओं का निर्माण कराया जा रहा है। यह तीनों गुफाएं केदारनाथ की पहाडियों पर बनाई जानी है। केदारनाथ धाम में समुद्र तल से 12500 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई ध्यान गुफा देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी। गढवाल मंडल विकास निगम की वेबसाईट पर ध्यान गुफा में रहने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए है।
- **केदारनाथ यात्रा इको फ्रेंडली बनाने का प्रयासः**— केदारनाथ यात्रा को इको फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सी पहल की गई हैं। पॉलिथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। एक ईको डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है। यात्रा मार्ग पर 25 स्वच्छता मित्र लगाए गए हैं। कूड़े को एक स्थान पर एकत्र कर कम्पोस्ट किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए एल0ई0डी0 बल्बों का प्रयोग किया जा रहा है।
- **बद्रीनाथ महानिर्माण योजनाः**— बद्रीनाथ महानिर्माण योजना पर ₹ 424 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचेगा तथा बद्रीनाथ धाम में यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। यात्री सुविधाओं हेतु मास्टर प्लान तीन चरणों में प्रस्तावित है। पहले चरण में शेष नेत्र एवं बदरीश झील का सौंदर्यीकरण शामिल है। दूसरे चरण मे बद्रीनाथ धाम परिसर तथा आसपास के स्थलों का सौंदर्यीकरण तथा विस्तारीकरण होना है तत्पश्चात् तीसरे चरण में शेष नेत्र से बद्रीनाथ मन्दिर तक आस्थापथ निर्माण प्रस्तावित है।

स्रोतः विकसित होता उत्तराखण्ड पत्रिका

**17.6 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीमबेस्ड डेस्टीनेशनः**— राज्य में दीर्घकालीन पर्यटन विकास के दृष्टिगत सभी 13 जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीमबेस्ड डेस्टीनेशन योजना आरम्भ की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत अब तक ₹ 137.00 लाख के कार्य किये जा चुके है जबकि लगभग ₹ 20.62 करोड़ के कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति हेतु गतिमान है।

**17.7 पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धिः**— पर्यटन सेक्टर की विभिन्न योजनाओं को पी0पी0पी0 मोड़ में (लोक—निजी—सहभागिता) संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है। "सुरकण्डा देवी" रोपवे का निर्माण कार्य इसी वर्ष 2021 में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा प्राप्त होगी वही "पूर्णागिरी देवी" रोपवे का निर्माण अगले वर्ष तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त देहरादून से मसूरी तक रोपवे पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। केदारनाथ, नैनीताल व अन्य स्थलों पर रोपवे विकसित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न चरणों में कार्यवाही गतिमान है।

**17.8 निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धिः**— पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता अतिमहत्वपूर्ण है। इससे जहां एक ओर बड़ी योजनाओं में निजी सहभागिता से पूँजी निवेश होता है वहीं पर्यटन सेक्टर में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते है। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत देहरादून से मसूरी तक रोपवे को पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। सुरकण्डा रोपवे निर्माणाधीन है जोकि जून—2021 से यात्रियों हेतु संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से पूर्णागिरी रोपवे एवं हेमकुण्ड साहिब रोपवे के लिये भी निजी निवेशकों का चयन किया गया है। टिहरी झील क्षेत्र में सृजित अवस्थापना सुविधाओं को भी 30 वर्षो तक संचालन हेतु निजी निवेशक को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य योजनाये भी पी0पी0पी0 मोड में संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटन में निजी क्षेत्र की सहभागिता में उतरोत्तर वृद्धि हो रही है।

**पर्यटन एवं अन्य साहसिक गतिविधियों से सम्बन्धित नीतियां**— नई पर्यटन नीति अधिसूचित की गई, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। जिससे अब विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ पर्यटन क्षेत्र को भी अनुमन्य होगा।

सहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग (संशोधन) नियमावली तथा उत्तराखण्ड फुट लॉन्च एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाईडिंग) नियमावली को प्रख्यापित किया गया है।

**17.9 बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत विकासः**— बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत Asian Development Bank (ADB) के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं की स्थापना, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की गतवर्षो में कार्यवाही की गई है। यह बाह्य सहायतित योजना पूर्ण हो चुकी है। वाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत गतवर्ष Department of Economic Affairs के माध्यम से टिहरी झील के समग्र पर्यटन विकास हेतु ₹ 1210 करोड़ के ऋण प्रदान किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है।

तालिका 5

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के (पी0पी0पी0) के अन्तर्गत प्रस्तावित/संचालित समस्त योजनाओं का विवरण (वर्ष 2020–21)

| क्र0सं0 | योजना का नाम | आवंटन का वर्ष | अनुमानित लागत | लम्बाई |
|---|---|---|---|---|
| 1. | टुलीगाड से पूर्णागिरी रोप–वे परियोजना (चम्पावत) | 2012 | 35.00 करोड़ | 903 मी0 |
| 2. | कददूखाल से सुरकण्डा देवी रोप–वे परियोजना। (टिहरी गढ़वाल) | 2013 | 5.00 करोड़ | 502 मी0 |
| 3. | घांघरिया से हेमकुण्ड साहिब (चमोली) | 2016 | 50.00 करोड़ | 2.00 कि0मी0 |
| 4. | देहरादून (पुरूकुल से मसूरी) रोप–वे परियोजना | 2019 | 285.00 करोड़ | 5.5 कि0मी0 |

स्रोतः उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग

**17.10 आध्यात्मिक पर्यटनः**– प्रत्येक वर्ष 01 से 07 मार्च तक अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता हैं। योग महोत्सव के लिये वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत परिव्यय ₹ 50.00 लाख हैं।

**पर्यटन गन्तव्यों का समग्र सुनियोजित विकासः**– ऋषिकेश में अर्न्तराष्ट्रीय कन्वेन्सन सेन्टर तथा वैलनेस सिटी विकास हेतु तकनीकी कन्सलटेन्ट से प्लान तैयार करवाया जा रहा है। औली स्कीइंग डेस्टिनेशन के सुनियोजित विकास हेतु तकनीकी कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। ऋषिकेश–हरिद्वार तथा जागेश्वर क्षेत्र में स्पीरिचुअल इको जोन स्थापित करने हेतु तकनीकी कन्सलटेंट के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य करवाया जा रहा है।

**17.11 डोबरा चाँटी पुलः**– उत्तराखण्ड असंख्य पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। उत्तराखण्ड की वैभवशाली परम्परा और गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय डोबंरा चाँटी पुल के रूप मे जोड़ा गया है। टिहरी जिले में भागीरथी नदी के ऊपर बने देश का पहला सबसे लम्बा झुला पुल डोबरा चाँटी का उदघाटन उत्तराखण्ड स्थापना दिवस 9 नवम्बर, 2020 को हो चुका है। 300 सौ करोड की लागत से बने 725 मी0 लम्बे पुल का लोकार्पण किया गया है। पुल से टिहरी और उत्तराखण्ड के लिये विकास का बडा द्वार खुल गया है।

**17.12 जार्ज ऐवरेस्ट हाउस मसूरी का जीर्णोद्धार**– भारत के प्रथम महा सर्वेक्षक सर जार्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी का जीर्णोद्धार करते हुये म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। इस कार्य में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। भविष्य में इस म्यूजियम का लाभ शोधकर्त्ताओं सहित ही पर्यटकों एवं यात्रियों को समान रूप से प्राप्त हो सकेगा।

**17.13 साहसिक पर्यटनः**– प्रदेश में वर्ष भर बहने वाली उत्तराखण्ड की नदियों में साहसिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत गंगा नदी में वर्ष 2019–20 में कुल 258 रिवर राफ्टिंग फर्मों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

तालिका 6
साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ

| क्र0सं0 | योजना का नाम | वर्ष | संख्या | राफ्टों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म) | 2018–19 | 261 | 576 |
| 2. | साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म) | 2019–20 | 258 | 562 |
| 3. | साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म) | 2020–21 | 253 | 561 |
| | **कुल फर्मों की संख्या** | | **772** | **1699** |

तालिका 7
साहसिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत होने वाले क्रियाकलापों की संख्या

| क्र0सं0 | योजना का नाम | वर्ष | संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | साहसिक क्रियाकलाप | 2019–20 | 949 |
| 2. | साहसिक क्रियाकलाप (दिसम्बर–2020 तक) | 2020–21 | 00 |

**17.14 नयार घाटी ऐडवेंचरः–** 19 नवम्बर, 2020 को पौड़ी के बिलखेत में प्रथम नयार घाटी ऐडवेंचर फैस्टीवल तथा राष्ट्रीय पैरा ग्लाइडिंग ऐक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, महोत्सव में 170 कि0मी0 की माउटेन बाइकिंग ट्रैल रनिंग स्पर्धा एवं एंग्लिक जैसी सहासिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

पर्यटन को उल्लेखनीय कार्यो हेतु प्राप्त पुरस्कारः–वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा Best Adventure Destination Award for Rishikesh- को National Tourism Award तक प्रदान किया गया, वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को BEST FILM PROMOTION FRIENDLY STATE AWARD 2019 प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त भी पर्यटन क्षेत्र में प्रदान किये जाने वाले AWARD प्राप्त हुये है।

**कोवडि–19 महामारी तथा पर्यटनः–** कोविड–19 महामारी के कारण विश्व में पर्यटन व्यवस्था पर प्रतिकूल एवं ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत में भी Covid-19 से पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। भारत की जी0डी0पी0 मे पर्यटन उद्योग का योगदान करीब 6.8 प्रतिशत है। भारत में पर्यटन उद्योग से करीब 8.75 करोड लोग जुडे है, 2018–19 में आकडों के अनुसार यह कुल रोजगार का लगभग 12.75 प्रतिशत है, जिसमें होटल कर्मी, टूर–ऑपरेटर, ट्रेबल ऐजेंट, ड्राइवर, गाइड छोटे व्यापारी सहित कई अन्य सम्मिलित है। इसके साथ ही यह कृषि, ट्रांसपोर्ट, हैंडलूम, एफएमसीजी सहित कई अन्य क्षेत्रों से भी जुडा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखण्ड में सरकार से लेकर आम लोगों की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है, लॉकडउन के कारण बड़े होटलों से लेकर छोटे–छोटे गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट तथा अन्य व्यवसाय जो पर्यटन क्षेत्र से जुडे हुये है, को भी आर्थिक हानि हुई है। चारधाम यात्रा में भी कोविड–19 के कारण वर्ष 2019 में 34 लाख पर्यटकों के सापेक्ष वर्ष 2020 में मात्र 10 प्रतिशत अर्थात

लगभग 3 लाख यात्री ही दर्शन करने हेतु आये। यही नहीं अपितु कॉवड मेला, रिवर राफ्टिंग, साहसिक पर्यटन जैसे क्रियाकलापों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। उत्तराखण्ड में धार्मिक पर्यटन तथा सहासिक पर्यटन क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों छोटे–छोटे व्यवसायी संलग्न रहते है, इन सभी को कोविड–19 के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानि हुयी है। कोविड–19 के कारण पर्यटन व्यवसायियों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

**कोरोना से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को राहतः**– कोविड–19 महामारी के कारण देश/प्रदेश में लागू लॉकडाउन में पर्यटन उद्योग पर पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये उक्त उद्योग से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों/कार्मिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि रू0 24.30 करोड़ (₹ चौबीस करोड़ तीस लाख) के सापेक्ष ₹ 11.85 करोड़ (₹ ग्यारह करोड पिचासी लाख) की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान तक 32,390 लाभार्थियों को ₹ 323.90 लाख की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरित की गई है।

गंगा नदी राफ्टिंग प्रबन्धन समिति के माध्यम से 584 रिवर राफ्टिंग गाइडों को ₹ 5000/– प्रति गाइड की दर से कुल ₹ 29.20 लाख की आर्थिक सहायता डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान की गई।

## नागरिक उडड्यन

उत्तराखण्ड राज्य मे पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के कारण आवागमन हेतु सड़क मार्ग पर ही जनता को निर्भर रहना पडता है, आपदा के समय बचाव कार्य हेतु एवं चारधाम यात्रा तथा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये राज्य में हवाई मार्ग अति आवश्यक है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में नये हैलीपैडों का निर्माण मौजूदा हैलीपैडों एवं हवाई पट्टी का सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण किया जा रहा है। राज्य में उत्तराखण्ड नागरिक उड़डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, प्राधिकरण का मुख्य उददेश्य मौजूदा हैलीपैडों का सुदृढीकरण, नये हैलीपैडों का निर्माण राज्य के चारधाम यात्रा हेतु पर्यटन के साथ–साथ पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढावा देने, हवाई सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराना है।

**तालिका 8**

**प्रदेश में पांच हवाई पटिटयां विद्यमान है जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार है**

| क्र0स0 | हवाई पट्टी/एयरपोर्ट | रनवे की लम्बाई एवं चौड़ाई |
|---|---|---|
| 1 | चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी | 1050 मी0 एवं 30 मी0 |
| 2 | नैनीसैनी, पिथौरागढ़ | 1510 मी0 एवं 30 मी0 |
| 3 | गौचर, चमोली | 1200 मी0 एवं 23 मी0 |
| 4 | पन्तनगर एयरपोर्ट, उधमसिंह नगर | 4500 मी0 एवं 100 मी0 |
| 5 | जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून | 2140 मी0 एवं 45 मी0 |

**उडान योजना–1**:– वर्ष 2020–21 का लक्ष्य दिल्ली से पन्तनगर हवाई उडान मै0 डेक्कन एविएशन प्रा0लि0 के सेवा दिये जाने के आदेश को निरस्त कर एयर इण्डिया के द्वारा दिल्ली (हिण्डन) से पंतनगर–देहरादून हवाई सेवा चलाई जा रही है। मार्च 2020 से देहरादून से चिन्यालीसौड, गौचर तथा माह जुलाई, 2020 से टिहरी एवं श्रीनगर के लिए उडान के अन्तर्गत हैली सेवायें आरम्भ की गयी।

**उडान योजना–2**:– प्रदेश में 14 मार्गों पर हवाई व हैलीकाप्टर सेवायें मैसर्स पवन हंस एवं मैसर्स हैरीटेज एविएशन द्वारा शुरू की जानी है। जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा आरम्भ की जा चुकी है, तथा देहरादून से चिन्यालीसौड़, गौचर तथा श्रीनगर व टिहरी के लिए सेवा वर्ष 2020 में आरम्भ की गयी है।

**उत्तराखण्ड राज्य में Project Implementation Unit Civil Aviation** के अन्तर्गत 27 हैलीपैड निर्मित है। जिस पर उड़ानों के परिचालन की योजना बनाई गयी। राज्य में 27 नये हैलीपैड का निर्माण किया जा चुका है जिससे आपदा अथवा अतिवृष्टि के समय आम मानस को राहत पहुँचायी जा सके। राज्य में सरकार को 51 हैलीपैड उपलब्ध हो गये है।

**आपात कालीन चिकित्सा में एयर एम्बुलेंस का उपयोग**:– आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि रोगियों तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचने और उन्हें तत्काल देखभाल में सहायता करने और आवश्यकता पड़ने पर समीप के अस्पताल में ले जाने की आवश्कता होती है। यहां तक कि एक सेकेन्ड के एक अंश की देरी से भी मरीज की जान जा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए गम्भीर आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में लोगों की अधिक कुशल तरीके से सेवा की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण सड़क मार्ग से पहुंचना एक दुर्गम कार्य है, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रर्याप्त चिकित्सा सुविधा न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजो को देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, एयर एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सा सुविधा सम्पन्न शहरों में उपचार हेतु लाया जा सकता है। राज्य में इस सुविधा को बढ़ावा देते हुये नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

**स्रोत**: उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण भाग–2 वर्ष 2019–20